

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. V, Second Session, 2019/1941(Saka)
No.5, Friday, November 22, 2019 / Agrahayana 1, 1941(Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
* Starred Question Nos. 81 to 87 and 99	10 - 88
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 88 to 98 and 100	89 - 141
Unstarred Question Nos. 921 to 1150	142 - 727

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 728 - 729

**COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES
AND SCHEDULED TRIBES** 729

Final Action Taken Statement

BUSINESS OF THE HOUSE 729- 733

ELECTIONS TO COMMITTEES 734 - 735

(i) National Jute Board 734

(ii) Sree Chitra Tirunal Institute for Medical
Sciences and Technology 735

**STATEMENT RE: PROHIBITION OF ELECTRONIC
CIGARETTES (PRODUCTION, MANUFACTURE, IMPORT,
EXPORT, TRANSPORT, SALE, DISTRIBUTION, STORAGE
AND ADVERTISEMENT) ORDINANCE, 2019** 735

**PROHIBITION OF ELECTRONIC CIGARETTES
(PRODUCTION,MANUFACTURE, IMPORT, EXPORT,
TRANSPORT, SALE, DISTRIBUTION, STORAGE
AND ADVERTISEMENT) BILL, 2019** 736

DISCUSSION UNDER RULE 193

742 - 770

Air pollution and climate change

Shrimati Pratima Mondal 742 –744

Shri Balli Durga Prasad Rao 745 –746

Shri Nihal Chand Chouhan 747 –748

Shri Jagdambika Pal 749 –750

Shri Adhir Ranjan Chowdhury 751 –755

Shri Prakash Javadekar 756 -763,
768 - 770**PRIVATE MEMBERS' BILLS ...Introduced**

771 - 784

- (i) Constitution (Amendment) Bill, 2019
(*Omission of article 44, etc.*)

By Adv. Ajay Bhatt 771

- (ii) Constitution (Amendment) Bill, 2019
(*Amendment of the Eighth Schedule*)

By Adv. Ajay Bhatt 771

- (iii) Population Control Bill, 2019

By Adv. Ajay Bhatt 772

- (iv) Essential Commodities (Amendment) Bill, 2019
(*Amendment of sections 3 and 7*)

By Dr. Sanjay Jaiswal 772

- (v) Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2019
(Amendment of section 3, etc.)
By Dr. Sanjay Jaiswal 772
- (vi) Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Amendment Bill, 2019
(Substitution of new section for section 4, etc.)
By Dr Sanjay Jaiswal 773
- (vii) Anganwadi Workers (Regularisation of Service and Welfare) Bill, 2019
By Shri N.K. Premachandran 773
- (viii) Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2019
(Insertion of new section 10E, etc.)
By Shri N.K. Premachandran 774
- (ix) Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill, 2019
(Amendment of section 3, etc.)
By Shri N.K. Premachandran 774
- (x) Mandatory Basic Facilities For Neglected Senior Citizens, Widows and Orphans Bill, 2019
By Shri Sudhakar Tukaram Shrangare 775
- (xi) Education Loan to Students belonging to Economically Weaker Section Bill, 2019
By Shri Sudhakar Tukaram Shrangare 775

(xii)	Girl Child and Adolescent Girls (Welfare) Bill, 2019	
	By Shri Sudhakar Tukaram Shrangare	776
(xiii)	Special Financial Assistance to the State of West Bengal Bill, 2019	
	By Prof. Sougata Ray	776
(xiv)	Tea Garden Workers (Timely Payment of Dues) Bill, 2019	
	By Prof. Sougata Ray	777
(xv)	Right to Play Sports Bill, 2019	
	By Dr.(Prof.) Kirit Premjibhai Solanki	777
(xvi)	Prohibition of Indecent Advertisements Bill, 2019	
	By Dr.(Prof.) Kirit Premjibhai Solanki	778
(xvii)	National Food Security (Amendment) Bill, 2019	
	<i>(Amendment of section 2, etc.)</i>	
	By Dr.(Prof.) Kirit Premjibhai Solanki	778
(xviii)	Representation of the People (Amendment) Bill, 2019	
	<i>(Amendment of section 62)</i>	
	By Shri Feroze Varun Gandhi	779
(xix)	Constitution (Amendment) Bill, 2019	
	<i>(Amendment of article 10.)</i>	
	By Shri Gopal Shetty	780
(xx)	Representation of the People (Amendment) Bill, 2019	
	<i>(Insertion of new section 16A)</i>	
	By Shri Gopal Shetty	780
(xxi)	Constitution (Amendment) Bill, 2019	
	<i>(Insertion of new article 21B)</i>	
	By Shri Gopal Shetty	781

(xxii)	Constitution (Amendment) Bill, 2019 <i>(Amendment of article 15, etc.)</i>	
	By Dr. Satya Pal Singh	781
(xxiii)	Compulsory Teaching of Vedic Education in Educational Institutions Bill, 2019	
	By Dr. Satya Pal Singh	782
(xxiv)	Central Universities (Amendment) Bill, 2019 <i>(Insertion of new Section 3E, etc.)</i>	
	By Shrimati Riti Pathak	782
(xxv)	Women and Girl Child (Prevention of Atrocities) Bill, 2019	
	By Shrimati Riti Pathak	783
(xxvi)	Constitution (Amendment) Bill, 2019 <i>(Insertion of new article 30A)</i>	
	By Shrimati Riti Pathak	783
(xxvii)	Opium Growers (Welfare) Bill, 2019	
	By Shri C.P. Joshi	784
(xxviii)	Special Financial Assistance for Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains in State of Rajasthan Bill, 2019	
	By Shri C.P. Joshi	784
	COMPULSORY VOTING BILL, 2019	785 - 822
	Shri Dushyant Singh	785 - 787
	Dr. Satya Pal Singh	788 - 790

Shri Gopal Shetty	791 - 796
Shri Ravi Kishan	797 - 799
Shri N. K. Premachandran	800 - 807
Prof. Sougata Ray	808 - 810
Shri Bhagirath Choudhary	811 - 813
Kunwar Pushpendra Singh Chandel	814 - 818
Shri P. P. Chaudhary	819 - 822

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	823
Member-wise Index to Unstarred Questions	824 - 829

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	830
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	831

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, November 22, 2019 / Agrahayana 1, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Questions No.81.

(Q.81)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री एस.वेंकटेशन, आपको सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना है या नहीं?

SHRI S. VENKATESAN : No, Sir.

माननीय अध्यक्ष : वैरी गुड, माननीय सदस्य ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको तो नहीं बुलाया । आप बैठ जाइए ।

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू ।

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU : Since the objective of creating a Chair is to act as a reliable source of information for host countries, has there been any instance of the AYUSH Chair being approached for information from the host country and other neighbouring countries; if yes, the details thereof?

श्री श्रीपाद येसो नाईक: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर मैंने दिया हुआ है, फिर भी मैं रिपीट करता हूं । आयुष चेयर जो है, हमने आयुष मंत्रालय शुरू होने के बाद 22 कंट्रीज में एमओयू साइन किए हुए हैं । बाकी 19 MoUs for undertaking collaborative research and academic collaboration have been signed with foreign universities. Thirty-two AYUSH Information Cells have been set up in

29 countries including Malaysia to disseminate authentic information about AYUSH systems of medicine.

To promote Siddha system of medicine in foreign countries, the Ministry of AYUSH, under the Indian Technical and Economic Cooperation which is a programme of the Ministry of External Affairs, has deputed a Siddha expert to Sungai Buloh Hospital, Malaysia for providing Siddha treatment including Varmam therapy.

On the recommendation of Ministry of AYUSH, Director General, Central Council for Research in Siddha, an autonomous organisation under the Ministry of AYUSH, नेशनल हेल्थ केयर ग्रुप, हेल्थ सर्विस आउटकम सर्विसेज़ सिंगापुर, सिद्धा प्रैक्टिसेज़ एसोसिएशन, इन सभी से हमने पूछा है कि क्या वे अपने इंस्टीट्यूशन में चेयर इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं, लेकिन उनकी ओर से हमें कोई प्रपोजल नहीं आया है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्वेश्चन नंबर 82, 86, 87 और 99 एक ही नेचर के सवाल हैं। अगर सदन की सहमति हो तो इनको एक साथ ले लें?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

(Q. 82)

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI : Sir, as far as the question of plastics is concerned, I have a suggestion to make. On the question of whether we put them in highways, there are simply not enough highways for the amount of plastic that is being generated in a single day. I have another idea which other countries are using. That is that there is a Japanese company that has got a machine called 'Blest'. This is being used by the Nordic countries, now by Azerbaijan and others to re-turn plastics back into oil. If you put in a certain type of plastic which we use very frequently, it becomes oil again. This oil can be monetised and sold for generators or other low-grade purposes. If we monetise plastic and ask poor people to bring it in, you will then be able to get the plastic out of the rivers, out of ponds, out of villages and into a collection centre where it can be turned into oil again. There is no other way to deal with plastic at this point.

I would like to know if the Government would consider this.

श्री प्रकाश जावड़ेकर: अध्यक्ष महोदय, आज प्लास्टिक के बारे में चार सवाल हैं और आपने उन सभी को इकट्ठा किया है, यह बहुत अच्छा है। देश में लगभग पच्चीस-तीस हजार टन कचरा प्लास्टिक रोज जमा होता है यानी रोज तैयार होता है, लेकिन उसका दो तिहाई ही कलेक्ट होता है और एक तिहाई नहीं होता है। यदि तीस हजार टन कचरा है तो बीस हजार टन ही इकट्ठा होता है और दस हजार टन इकट्ठा नहीं होता है और वह बिखर जाता है। वह सालों तक बिखरा रहता है। उससे नालियां चोक हो जाती हैं। उससे लिचेटिंग होता है, उसका प्रदूषण में परिणाम होता है। प्लास्टिक एक बड़ी समस्या बन गई है। वास्तव में भारत में प्लास्टिक की खपत प्रति व्यक्ति ग्यारह

किलो प्रति साल है, अमेरिका में 110 है। लेकिन कलैक्ट होना मुख्य मुद्दा है जो नहीं होता है। इसे कैसे कलैक्ट करें, मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ऑयल तैयार करने की अनेक फैक्ट्री हैं, तीन फैक्ट्रियों का उद्घाटन तो मैंने किया है। ये टेक्नोलॉजी है और चल भी रही है। आपने नए मैकेनिज्म के बारे में बताया है, सीपीसीबी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिल कर एक टीम बनाई है जो नई टेक्नोलॉजी के बारे में प्रस्ताव आते हैं उनकी जांच करते हैं और एडवाइस देते हैं।

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI : I am going to pursue this because I was suggesting that if municipalities bought this machine and we copied it or made an Indian version of it, and we paid for it to be collected and brought to us, and then fed that plastic into the machine, you will be able to get rid of plastic very quickly. It has been tried in other countries. In fact, the Nordic countries are clean because they use this technology.

The point is this. Are we ever going to look at it? Maybe, we could send a team to Japan to see how they do it. There was a big exhibition now in Baku. A lot of Indian business people had also gone there to look at it. It has passed every trial. It would be important for India to consider a machine like that.

श्री प्रकाश जावड़ेकर: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने शुरू में कहा किसी भी माननीय सदस्य ने अगर सुझाव दिया और उसका हमने एक स्थान तय किया है। सीपीसीबी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस

एंड टेक्नोलॉजी उस तंत्र ज्ञान के बारे में जानकारी और परीक्षण लेकर उचित सलाह म्यूनिसिपल बॉडी को देते हैं। इस सुझाव का भी निश्चित रूप से परीक्षण होगा।

माननीय अध्यक्ष: श्री एस. मुनिस्वामी - उपस्थित नहीं।

श्री दुष्यंत सिंह - उपस्थित नहीं।

(Q. 87)

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील: अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में हर दिन एक मिनट में एक ट्रक प्लास्टिक समुद्र में फेंका जा रहा है। प्लास्टिक में एथेनॉल ऑक्साइड, जाइलिन और बेंजीन जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। समुद्र में फेंकने की वजह से मछलियां छोटे प्लास्टिक के टुकड़े खा लेती हैं और वही मछलियां लोग खाते हैं। इस कारण कैंसर होने का भय पैदा हो गया है। समुद्र में मछलियों के प्लास्टिक खाने के कारण लोगों में कैंसर होने का खतरा बढ़ रहा है। मछलियों के पेट में प्लास्टिक न जाए और कैंसर जैसी बीमारी न हो, इसके लिए लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए क्या सरकार ने कोई उपाय किया है?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: माननीय सदस्य का सवाल बहुत अच्छा है। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कैम्पेन चलाया कि सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना है। लोग ही कहें – say no to single use plastic.

दूसरा काम यह किया कि प्लगिंग करके एक नई कल्पना दी। जॉगिंग करते समय या टहलते समय कहीं भी पालिथिन दिखे तो उठाओ। आज बिखरा हुआ प्लास्टिक का कचरा ही मुख्य समस्या है। The problem is with the uncollected waste. That is the problem. अनकलैक्टड न रहे, इसलिए लोगों की आदतें बदलने का भी मुद्दा है।

हमारी पार्टी द्वारा महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर कैम्पेन थिन प्लास्टिक बैग के लिए चलाया गया। थिन प्लास्टिक यानी गुटखा, पान पराग आदि के छोटे पाउचेज़ पड़े रहते हैं, क्योंकि इसे रैग पिकर्स नहीं उठाते हैं। मैंने मुम्बई में कचरे के ढेर के पास जाकर कचरा बीनने वालों से बात की, उन्होंने बताया कि हम पतली पन्नी नहीं उठाते, क्योंकि एक किलो के लिए ढाई-तीन सौ पन्नी लगती हैं, इसके लिए 250-300 बार झुकना पड़ता है, इसलिए हम बड़े प्लास्टिक उठाते हैं। यह आदत डालने का भी मुद्दा है। पब्लिक आंदोलन को अच्छी सफलता मिली है, हम इसे और आगे बढ़ाएंगे।

इसके लिए हमने गाईडलाइन्स ऑलरेडी इश्यू कर दी हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का क्या मतलब है? इसके बारे में लोगों को गलतफहमी है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं, 150 माइक्रोन से कम के कैरी बैग्स, नॉन वोवन कैरी बैग्स, स्ट्रॉज, स्टिरर्स, स्मॉल रैपिंग्स, पैकिंग फिल्म्स, कटलरी यानी पार्टियों में जो प्लास्टिक के ग्लास आदि यूज होते हैं, जो कचरा कोई उठाता नहीं है, ऐसे सारे आइटम इसमें हैं। मैं इसे सभा पटल पर भी रखूंगा। ये सिंगल यूज प्लास्टिक है और यही समुद्र में मछलियों के पेट में जाता है। यह माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर है, इसके लिए ऑलरेडी गाईडलाइन्स इश्यू कर दी गई हैं।

माननीय अध्यक्ष: यह सारा सदन 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे लगता है कि सारा सदन इस बात से सहमत होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक यूज बंद होना चाहिए। अधीर रंजन जी भी सहमत हैं। भारत की संसद यह संकल्प ले, 130 करोड़ जनता में आह्वान इस संसद के अलावा और कहीं से नहीं पहुंच सकता। आपको आग्रह करना चाहिए, एक दिन इसके लिए विशेष सत्र में इसका संकल्प लें। इससे सारे विश्व में मैसेज जाए कि भारत की संसद ने संकल्प लिया है।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: माननीय अध्यक्ष जी, आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है। हमारा पूरा समर्थन है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 86, श्री दुष्यंत सिंह।

(Q. 86)

श्री दुष्यंत सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, आपने अभी कहा कि 130 करोड़ जनता में मैसेज जाना चाहिए। ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने सबको सदन में बताया कि यह सदन 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। आपने सही बताया है। मैं माननीय मंत्री जी यह जानना चाहूंगा कि 15 अगस्त, 2019 को आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने 'reducing of single use plastic' की बात कही थी। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और यहां ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा सांसद हैं, शहर में भी हैं। हमारे जो छोटे व्यापारी, वेजेटेबल सेलर्स, स्मॉल रिटेलर्स हैं, जब यह प्लास्टिक बैन होगा तो आपके द्वारा कोई क्लीयर डायरेक्शन्स तथा उनके लिए नए-नए, छोटे-छोटे कैरी बैग्स के बारे में आप क्या बताएंगे, जिससे हमारे छोटे व्यापारियों को, फूड कंपनीज़ को प्लास्टिक बैन होने के बाद क्या ऐसा करना पड़े, जिससे इनको पूरा समर्थन मिले।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: अध्यक्ष महोदय, हम सभी यहां बैठे हैं। बचपन में हम सब्जी मार्केट या बाजार में घर से अपना थैला लेकर जाते थे, लेकिन लोग इसको पिछले 30-40 सालों में भूल गए। हर जगह प्लास्टिक की पन्नी मिलती है तो यह एक आदत बन गई। हमें पुरानी आदत को रिस्टोर करना है। हम कपड़े की थैली का प्रचलन करें। That is reusable, कितनी बार भी यूज करें। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री तो बहुत खुश होगा, यदि सभी लोग प्लास्टिक के बजाय कपड़े की थैली लेंगे।

दूसरा, जो अल्टरनेटिव प्लास्टिक्स हैं, कम्पोस्टेबल, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, इसके लिए भी सीपेट संस्था काम करती है। अनेक लोग नई टेक्नोलॉजीज लाए हैं। लोगों ने भी ऐसे अल्टरनेटिव प्लास्टिक का उपयोग करना शुरू कर दिया है। लेकिन 'सीपेट' संस्था एक शिखर संस्था है, कौन-सी टेक्नोलॉजी सब जगह प्रचलित होगी इसको देखते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको निश्चित रूप से एलाउ करूंगा। आप नहीं कहते तब भी मैं आपको एलाउ कर रहा था।

श्री दुष्यंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री जी भी यहीं हैं और पर्यावरण मंत्री जी भी यहीं हैं। मंत्री जी ने कहा कि इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है। क्या मंत्रालय आगे भारत के एनजीओज को मदद करेंगे, दूर-दराज इलाकों की संस्था को मदद करेंगे, जिससे उनको प्रोत्साहन मिले। हमारे हड़ोती क्षेत्र में कोटा, बारां, झालवाड़ क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में क्या आप लोगों को प्रोत्साहन देंगे? क्या आप छोटे-छोट एनजीओज को आगे बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से बातचीत करके उनको प्रोत्साहन देने का प्रयास करेंगे?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: यह एक अच्छा सुझाव है।

(Q.99)

श्री अधीर रंजन चौधरी: माननीय मंत्री जी जवाब में कह रहे थे कि दो-तिहाई प्लास्टिक ही कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करना एक बात है, लेकिन इसको डिस्पोज कैसे किया जाता है? आपको यदि छोटे शहरों में जाने का मौका मिले तो आप जाकर देखिए कि वहां वे किस हालत से गुजर रहे हैं। वहां सालिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई काम नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी द्वारा सारे गार्बेज को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। इससे वहां का सारा वातावरण बेहाल हो जाता है। लोगों की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है। गोल-मोल जवाब देने से कोई फायदा नहीं है। मेरा मतलब है कि आप भी सीरियस हैं, लेकिन हमें एक पॉलिसी के बारे में निर्णय करना चाहिए, जरूरत पड़े तो कानून लाना चाहिए। प्रधान मंत्री जी कह रहे थे कि प्लास्टिक से मुक्त होना चाहिए। लेकिन, उनको भी सिंगल यूज में आना पड़ा। चूंकि इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज शामिल हैं, बहुत लोगों के लिए रोजी-रोटी का सवाल है, इसलिए आपको इसे बैलेंस करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि दो-तिहाई कलेक्शन होता है। मुझे नहीं लगता है कि दो-तिहाई कलेक्शन हो रहा है। आप इसको सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए कन्वर्जन कीजिए, जैसे मेनका गांधी जी ने कहा कि इससे तेल निकाला जा सकता है वगैरह-वगैरह। यहां हमारी बहन टेक्सटाइल मंत्री भी उपस्थित हैं। हिन्दुस्तान में जूट एक गोल्डेन फाइबर है। आपने अभी-अभी कहा बायोडिग्रेडेबल चीज अपनाना चाहिए तो जूट से बड़ा बायोडिग्रेडेबल क्या हो सकता है। वह एक गोल्डेन फाइबर भी है और बायोडिग्रेडेबल भी है। प्लास्टिक हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कुछ विकल्प नहीं है। कोई खुशी से प्लास्टिक यूज नहीं करता। हमारी मजबूरी है कि हमें प्लास्टिक यूज करना पड़ता है क्योंकि इसका विकल्प कुछ नहीं है। आप इसका विकल्प ढूंढ़िए। विकल्प ढूंढ़ने में जूट एक बड़ी सहायता दे सकता है। जूट बायोडिग्रेडेबल है और प्लास्टिक का विकल्प भी हो सकता है। हिन्दुस्तान में जो यह प्लास्टिक मीनेस है, It has been growing at a menacing proportion. इस प्लास्टिक मीनेसिंग के चलते, प्लास्टिक के बारे में आप क्या पॉलिसी और कानून लाने वाले हैं?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : माननीय अध्यक्ष जी, प्लास्टिक के बारे में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में नोटिफाई किये गये थे। इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रैस्पॉसिबिलिटी से लेकर यानी आप समझिए कि जो भी ईवेंट ऑरगेनाइज करता है, तो उसकी जिम्मेवारी तय की गई है कि उसको सारा कलैक्ट करना पड़ेगा और रीसाइक्लर को देना पड़ेगा। Environment is the issue. एनफोर्समेंट ढंग से करें, इसके लिए हम आने वाले महीने में सारे पर्यावरण मंत्रियों की, सभी राज्यों के मंत्रियों की और सभी अधिकारियों की बैठक बुलाएंगे क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पर बहुत अच्छी तरह से अमल होना चाहिए। यदि उनको थोड़ा बदलना भी पड़े तो उसके बारे में भी सुझाव आते हैं, तब हम चर्चा कर सकते हैं।

हमने मरीन प्लास्टिक के बारे में एक 'मरीन प्लास्टिक सैल' कांस्टीट्यूट किया है। नॉर्वे, जर्मनी और जापान के साथ हमारा रिसर्च और नयी-नयी तकनीक लाने के लिए हमने एक टाइ-अप किया है। अभी बीच क्लीनिंग का भी हमारे यहां कार्यक्रम चल रहा है। 50 बीच में यह कार्यक्रम चल रहा है और मैंने सभी मंत्रियों को भी लिखा है कि यह टाइम-टेबल है, आपको जैसे-जैसे समय मिले, आप जरूर जाइए। यह कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन आपने जो कहा है, नोटिफिकेशन कानून ही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नोटिफिकेशन है। इलैक्ट्रॉनिक वेस्ट भी हमारे यहां है। हमारे यहां 120 करोड़ मोबाइल्स हैं। हर दो-तीन साल में मोबाइल बदलने पड़ते हैं। यानी हर साल 40 करोड़ मोबाइल खत्म होते हैं। उसका भी बहुत कचरा जमा होता है। इलैक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, हजार्डुअस वेस्ट मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट ऐसे 6 नोटिफिकेशंस जारी किये हैं। उनका कड़ाई से अमल हो, इसके लिए अगले महीने एक बड़ा कार्यक्रम बनाया जाएगा।

अध्यक्ष जी, जूट के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम जैसे कपड़े की थैली ले जाते थे, जूट का भी कितना उपयोग करते थे। अभी जूट का उपयोग फिर से करना है। आपको यह

जानकर अच्छा लगेगा कि अभी मैंने पत्रकारों को अपने घर बुलाया था । मैंने सबको जूट का बैग दिया था और उस पर लिखा था 'प्लास्टिक नहीं, कपड़ा सही, जूट सही ।'

एक माननीय सदस्य : सर, सांसदों को भी दे देना ।...(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : हां, हां ।

श्री नामा नागेश्वर राव : माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो मुझे यहां बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । आपने जिस तरह से बोला है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है । मैं दो-तीन मुद्दों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हम लोगों के माननीय प्रधान मंत्री जी और चीन के प्रेसीडेंट जब महाबलीपुरम में मिले थे, महाबलीपुरम में जब सुबह की सैर में प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे थे, तब समुद्र के बगल में चलते-चलते प्लास्टिक के कचरे को वह एक झोले में कलैक्ट करके लाए । यह पूरे देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत वाइरल हुआ है । इसका मतलब यह है कि जैसे अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि वही प्लास्टिक जब समुद्र में चला जाएगा, मछली उसको खा लेंगी, उसकी वजह से हम लोगों पर भी उसका असर पड़ेगा ।

मैं सरकार को दो सुझाव भी देना चाहता हूं । अभी हाल ही में हमारे तेलंगाना के मुख्य मंत्री ने एक कार्यक्रम किया था जिसमें 30 दिनों में गांवों को क्लीन करना था । उसमें एक कलैक्टर ने ऐसा किया कि जो व्यक्ति एक किलो प्लास्टिक लेकर आएगा, उसको एक किलो चावल दिया जाएगा । एक किलो प्लास्टिक लाने के बदले एक किलो राइस मिलेगा, इस कार्यक्रम के चलते अभी प्लास्टिक इतना कलैक्ट हो गया कि विलेजेज में प्लास्टिक नहीं मिल रहा है । उस कलैक्टर को अभी हाल ही में हमने दिल्ली में बुलाया था । एक समिति की बैठक में उनका प्रेजेंटेशन भी करवा दिया है । सर, हमारी यह रिक्वेस्ट है कि यह गवर्नमेंट इसको थोड़ा देखे । हरेक चीज में हमारा तेलंगाना इंडिया में नम्बर वन रहेगा । हम लोग इसमें नम्बर वन पर हैं । एक किलोग्राम प्लास्टिक एक किलोग्राम राइस ।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि मनरेगा का जो इश्यू है, अगर हम लोग उसमें भी इसको ऐड कर दें, उसको इनक्लूड करेंगे तो लोग प्लास्टिक लेकर आएंगे और प्लास्टिक का इश्यू काफी हद तक खत्म हो जाएगा। प्लास्टिक का इश्यू बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे प्रधान मंत्री जी डेवलपिंग कंट्रीज में सही समय पर इश्यू को लेकर गए हैं। गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, वह बहुत अच्छी बात है।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : नागेश्वर राव जी, आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं। आपने कहा कि तेलंगाना नम्बर वन है, मैं चाहता हूँ कि भारत का हर राज्य नम्बर वन पर आए, ऐसी कॉम्पिटिशन होनी चाहिए।

(Q. 83)

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE : Hon. Speaker, Sir, according to National Family Health Survey, 38.4 per cent of children under the age of 5 are stunted, 35.7 per cent of children are under-weight, 18 per cent of children were born under-weight and 58 per cent of children in the age group 6-59 months and 53 per cent of women in the age group 14-49 years have anaemia.

I would like to congratulate the hon. Prime Minister who launched the Poshan Abhiyan in 2018, the world's largest nutritional programme, which is expected to help 10 crore people. It aims to reduce stunting, under-weight and low birth-weight each by two per cent per year and anaemia among the children, adolescents, and women each by three per cent per year until 2022. A special target for stunting is set at 25 per cent by 2022. I would like to ask the hon. Minister whether the Government has any mechanism to assess the performance of Poshan Abhiyan and rule out its drawbacks.

The Government of India and the UNICEF have jointly signed the survey in January, 2018. Under the agreement, what support is UNICEF going to give to the Ministry of Women and Child Development?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : माननीय अध्यक्ष जी, आपने अभी प्रकाश जी की प्रश्नावली में संसद के संकल्प के बारे में उल्लेख किया। आज इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, मैं सदन और आपको विशेष रूप से आपके आह्वान और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करती हूँ, जो आपने सितम्बर, 2019 के पोषण माह के लिए दिया।

महोदय, मैं आपको और सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि आप सभी के आशीर्वाद, प्रयास और सहयोग की वजह से हम ने अभूतपूर्व आंकड़ों को देखा। देश भर में 3 करोड़, 66 लाख गतिविधियाँ मात्र एक महीने में 'पोषण' अभियान के संदर्भ में हुईं। इस अभियान के माध्यम से मात्र एक महीने में हमारे समाज में भिन्न समुदायों ने ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर 2 करोड़, 26 लाख विविध प्रकार कम्प्यूनिटी बेस्ड इवेंट्स किए और होम विजिट्स किए, ताकि गर्भवती माताओं से और नवजात शिशु से हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स मिल कर उन्हें कोई विशेष प्रावधान या समर्थन दें। एक महीने में ऐसे 2 करोड़, 70 लाख होम विजिट्स हुए। यह संसद के आह्वान को हमारे देश के सामने प्रस्तुत करता है और मैं संसद के सभी माननीय सांसदों और आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने इस आह्वान में हमारा सहयोग दिया।

महोदय, सुभाष जी ने अपने प्रश्न में फैमली हेल्थ सर्वे की जो बात कही है, मैं उसका विश्लेषण करना चाहूंगी। इन्होंने साल 2015-16 के नम्बर्स पढ़े हैं। अगर आप साल 2005-06 के आंकड़े देखेंगे तो तब से लेकर हम ने साल 2015-16 तक स्टंटिंग में 34.7 प्रतिशत एक देश के नाते बेहतर परफॉर्म किया है। हम ने अंडर न्यूट्रिशन के केसेज में 33.4 प्रतिशत बेहतर किया है। अनीमिया में हमारी उपलब्ध 40 प्रतिशत तक रही है। मैं यह नहीं कहती कि यह संतोषजनक है, लेकिन निश्चित इस बात को दर्शाना चाहती हूँ कि हम सभी ने मिल कर एक राष्ट्र के नाते, समाज के नाते इस विषय पर अपनी-अपनी ओर से सहयोग दिया है। मैं सहयोग देने वाली आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स का आपकी अनुमति से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। इन्होंने यूनिसेफ के एक समझौते का उल्लेख किया। मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि पोषण अभियान की शुरुआत, जो माननीय प्रधान मंत्री जी के दिशा-निर्देश के अनुसार हुई, मैं कई सिविल सोसायटीज पार्टनर्स हैं, जो सहयोग देते हैं। उनमें वर्ल्ड बैंक, बिल गेट्स फाउंडेशन, यूनिसेफ हैं। इन सभी विविध सामाजिक संस्थाओं के साथ हमारा एकमुश्त करार होता है, जो यह है कि वे हमें नयी तकनीकें बताएँ। इसके साथ ही, यदि विश्वस्तर पर नयी उपलब्धियाँ हुई हैं, तो उन्हें हम लोग अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करें।

महोदय, मैं आपकी अनुमति से सबको आमंत्रण देना चाहती हूँ। जब सिटिज़न्स और सांसद संग आते हैं, तो पोषण में क्या उपलब्धि हो सकती है, 3 दिसम्बर को सिटिज़न्स एवं वर्तमान और पूर्व सांसदों ने एक पोषण ऐन्थम बनवाई है, जिसे आप सबके आशीर्वाद से प्रेषित करने का मेरा प्रयास रहेगा। आप सब उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं।

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE : I would like to remind the hon. Minister that I had asked her whether there is any mechanism to assist the progress of Poshan Abhiyaan.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I would like to highlight here that the Prime Minister's endeavour to start the Poshan Abhiyaan was to ensure that we have real time data accessible from every nook and corner of the country. That is why ICDS-CAS system was enrolled. My senior colleague and predecessor in the Ministry, Shrimati Maneka Gandhi is present in the House. I would like to appreciate her efforts in that endeavour.

Today, in 15 languages, Anganwadi workers across the country give real time data for eight crore fifty lakh beneficiaries which include children, pregnant women and lactating mothers.

HON. SPEAKER: Shrimati Supriya Sule.

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE : My second supplementary question is still remaining. ...(*Interruptions*)

The Government had launched the National Nutritional Mission to drastically reduce the prevailing high incidence of malnutrition. For the success

of the Mission, Anganwadi workers play an important role as they provide vital health and nutrition services to mothers and children in villages and help the Government in eradicating malnutrition. However, many Anganwadi Centres lack basic amenities and face infrastructure problems affecting the success of the Mission.

In this context, I would like to ask the hon. Minister about the number of Anganwadi Centres that are functioning without basic amenities and infrastructure. I would like to know whether the Government will take steps to provide them basic amenities and infrastructure facilities in a time-bound manner so that Anganwadi workers can perform better and achieve the target fixed under the Mission.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I would like to inform the hon. Member that Government of India does provide major support for the Anganwadi workers and we also provide infrastructure facilities for them in the country. I must here also indicate to the hon. Member that implementation falls within the ambit of the State Governments. To highlight how incrementally the Anganwadis have become better, the drinking water facilities in March 2016 were eight lakh in number and today they exceed 12 lakh in number.

We are in continuous dialogue with State Chief Ministers. I would, through you, like to tell the House that in the past four to five months, I have had the pleasure of meeting 14 Chief ministers and three hon. Governors so

that they are brought up to speed about the efforts to strengthen the infrastructure in the States.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : Since it is a serious issue, I would like to add one small caveat. The hon. Member Dr. Bhamre made a mention about electricity. We have done it through our *zilla parishads*.

The hon. Minister said that if you use the funds of the panchayat samitis, you can strengthen your Anganwadis. I have done that in my constituency and in my district.

I would like to make one small request. The English version of the reply to this Question is incomplete, but in the Hindi version the reply is complete. Members like Shri A. Raja who cannot read Hindi are struggling to ask questions.

I do appreciate the fact that this Poshan Abhiyaan Programme was launched only a year ago. So, I do understand that you cannot make drastic progress within a year. It is all going in the right direction. What specific interventions are you making through these Melas beyond awareness in the food that is given to them, like protein content, etc. just making sure that malnutrition is eradicated in the diet form, which can be implemented by the States through you? Thank you.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I would appreciate the hon. Member's intervention with regard to MPs delving into their own funds and capacities locally ...(*Interruptions*). I am appreciating ...(*Interruptions*)

It is rare, Sir, that I compliment MPs and I get an intervention ...(*Interruptions*). Premchandranji, I have the complete analysis of what Kerala is doing and the challenges that you are facing. I would, rather, not make it a question of political battle. ...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय, मैं महिला और बच्चों के विषय को लेकर इसलिए आक्रामक नहीं होती, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है, जिसमें हमारी राजनीति चाहे जो भी रही हो, राष्ट्रनीति के आधार पर we try and ensure that we work together irrespective of our politics.

Insofar as Shrimati Sule's interventions and her question with regard to nutritional value of the kind of food that we give our children are concerned, yes, for too long, we have focussed our efforts, and traditionally so, on the quantity of food that is given to our children. जितना ज्यादा खिलाएंगे, बच्चा उतना ज्यादा हष्ट-पुष्ट होगा, लेकिन सत्य यह है कि quality of the food is extremely important.

महोदय, आप सबके ध्यान में मैं लाना चाहूंगी कि with the Bill Gates Foundation, M. S. Swaminathan and other agencies, we have ensured that now we map the nutritional contents of crops pattern in 127 agro-climatic zones in our country so that the nutritious food that can be made available locally is identified for citizens at large.

I would also like to compliment my colleagues in the Ministry of Agriculture who have said that through these efforts, we will also ensure that this information is passed on to the Krishi Vigyan Kendras so that local cultivation of these nutrient crops can be undertaken and my colleague in Food Processing Ministry, Shrimati Harsimrat Kaur Badal has also assured me that agro-processing opportunities and food processing opportunities in the segment will also be explored.

माननीय अध्यक्ष: श्री ए.राजा जी। वैसे ए.राजा जी ने आधा ही पढ़ा है न?

SHRI A. RAJA : Sir, I appreciate the measures being taken by the Minister and the Government in this regard. As hon. Member Shrimati Supriya Sule has put it, we cannot expect substantial results within one year. But I want to give one suggestion to the hon. Minister.

The same identical scheme was launched by Tamil Nadu Government when our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi was the Chief Minister. In addition to this identical scheme, the then Tamil Nadu Government headed by our leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi used to give Rs.6000 to the pregnant women who are suffering from malnutrition irrespective of caste, creed and everything. It starts from 5th month with Rs.1000. Upto to 10th month, it continues with rupees Rs.1000 every month. It covers one more year for the lactating period also.

Such a noble scheme started by the State of Tamil Nadu was widely acknowledged as a successful scheme. I want to know from the Hon. Minister

whether there is any such identical idea to implement for direct funding to the pregnant woman.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I am sure that the learned Member of Parliament is well aware of Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana and currently the similar efforts undertaken the State Government of Tamil Nadu. So, not only one, but two such schemes are operational.

माननीय अध्यक्ष: श्री मोहन देलकर जी ।

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । मैं भी मैडम को पोषण अभियान चलाने पर बधाई देना चाहता हूँ । हमने यह भी देखा कि उसका असर भी काफी हुआ है, जैसा कि मैडम ने यहां पर बताया है । सर, आपको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस विषय पर गंभीरता दिखाई और सारे एम.पीज को भी आपने सूचित किया कि कुपोषण जैसी बीमारी को समाप्त करने के लिए सबको सक्रिय रहना चाहिए । यह बात भी बिल्कुल सही है कि सरकार इसके लिए बहुत काम कर रही है । मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि कुपोषण की जो बीमारी है, उसका इफेक्ट हमने ज्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में देखा है । इस विषय में गुजरात सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं । मैंने देखा है कि मेरे दादरा नागर हवेली क्षेत्र के बिल्कुल बॉर्डर पर दक्षिण गुजरात है । वह पूरा आदिवासी इलाका है । वहां पर सरकार ने एक स्कीम चलाई है कि गवर्नमेंट स्कूल में जितनी भी बच्चियां पढ़ती हैं, उन बच्चियों को हर महीने दाल, चावल, ऑयल वगैरह देते हैं । उससे बच्चियों को बीमारी से बचाने में काफी फायदा हुआ है । मेरा यह सुझाव है और मैं मंत्री महोदया से गुजारिश करता हूँ कि जो स्कीम वहां बच्चियों के लिए लागू की गई है, वह स्कीम ऐसे सभी क्षेत्र, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां लागू करने के बारे में मंत्री जी क्या विचार करेंगी?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : अध्यक्ष महोदय, एक मिथ्या है, एक भ्रम है, जो हम पालते हैं कि कुपोषण की चुनौती केवल आदिवासी क्षेत्रों में है या गरीब परिवारों में है । आप अगर नीति आयोग

का डेटा देखें तो देश भर में सही न्यूट्रिशन पाने वालों की संख्या मात्र 9 प्रतिशत है। इसका मतलब जो अमीर घरों से हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं, वे भी शायद क्वांटिटी ऑफ फूड पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फूड पर नहीं। जहां तक प्रोटीन का और दाल-चावल का विषय है, हमने वर्ष 2017 में सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन की गाइडलाइंस को प्रेषित किया था और हाल ही में स्टेट्स के साथ हमारी एक बातचीत में हमने यह भी निर्धारित किया है कि आगामी समय में हम एक-दो माह के अंतराल में स्टेट्स और नीति आयोग के साथ बैठकर, जिसमें ट्राइबल मिनिस्ट्री भी सम्मिलित होगी, अगर कैलोरी और प्रोटीन के संदर्भ में जो हिडन हंगर को कहीं न कहीं एक जवाब या सोल्यूशन देने का प्रयास करता है, उसके संदर्भ में जितने भी राज्य भर में प्रयोग हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पढ़ेंगे भी और बेस्ट प्रैक्टिस को हम सम्मिलित भी करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : कुपोषण को समाप्त करने के लिए हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें। अपने-अपने संसदीय क्षेत्र में कुपोषण को समाप्त करने का अगर हमने जनआंदोलन खड़ा किया तो इसी संसद के अंतिम सत्र में हम कह सकेंगे कि यह देश कुपोषण से मुक्त हो गया है।

श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) : महोदय, न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस है कि क्या खाना चाहिए, लेकिन इक्वली क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस है या नहीं? अनहेल्दी फूड टेस्टी होता है और बच्चे उसको खाते हैं, जैसे चिप्स और जंक फूड वगैरह। जैसे आपने गुटखा बैन किया है, उसी तरह से जंक फूड को बैन करने की क्या आपकी कोई सोच है या नहीं?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : महोदय, हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो बच्चे के जन्म के पहले हजार दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और माता का भली-भांति पोषण हो, वैक्सीनेशन हो, वह दवाइयां और आयरन की गोलियां लेती रहे, इसका प्रयास होता है। यह पांच सूत्र हम पहले से ही प्रस्तुत कर चुके हैं। शताब्दी जी जिसका उल्लेख कर रही हैं, वह बच्चों के स्कूल के आस-पास जंक फूड और बैटर फूड हेबिट्स के बारे में है। मेरी जहां तक एचआरडी के दिनों से याद्दाश्त ठीक है, तो सीबीएससी और स्टेट बोर्ड्स बार-बार स्कूलों से आह्वान करते हैं कि स्कूल प्रिमाइसेस में

जंक फूड न खिलाया जाए। लेकिन अंततोगत्वा बच्चे हमारे हैं और माता-पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को ऐसे खाद्य पदार्थों से दूर रखें और बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए हम उन्हें फल, हरी सब्जियां और अपने कल्चर एफिनिटी की चीजें खिलाएं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे कहना है कि आप गर्भवती और कुपोषित महिलाएं, जो मां बनने वाली हैं, उनका डाइट चार्ट अपने-अपने क्षेत्र के हिसाब से एक बार सभी संसद सदस्यों को भेजें। उसके लिए फिर हम एक सामूहिक प्रयास करेंगे।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : निश्चित रूप से महोदय।

(Q. 84)

PROF. SOUGATA RAY : The Minister has given a very detailed reply to the Question. But it is mainly descriptive, giving a list of projects undertaken and papers published. If you really look at the output of CSIR laboratories, which were a very good idea set up by Pandit Jawaharlal Nehru, then you will see that the output of the national laboratories has been poor quality-wise. Our Papers published have not been recognised in internationally-acknowledged periodical journals, and the transfer to the industry has been very minimal. So, you have a huge network. ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया संक्षिप्त में पश्च पूछें। माननीय मंत्री जी जवाब देंगे, ताकि हम आगे बढ़ें। ...(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : It is said that the whole of CSIR has too much of bureaucracy and too much of stagnation. What is the Minister doing to improve the quality of research in CSIR laboratories so that they are of world standards to match the rest of the world?

DR. HARSH VARDHAN: I am sorry. Prof. Saugata Roy is a very distinguished Member and he has a lot of information about the country. But his information about CSIR and its progress over the years, what CSIR has done at present for the country, and what is the status of CSIR internationally today, I think, he is grossly and badly mistaken. I do not think he has any significant information about CSIR right now.

CSIR is one of the most prestigious organisations of the country, In fact, it was set up in 1942, much before we had our Prime Minister in 1947. ...(*Interruptions*) All the great scientists like Bhatnagar had played a very instrumental role in 1942. Of course, nobody can deny the fact that in the initial years when it was developed to a great level, there were two persons in this country who played a significant role. No doubt, one was Pandit Jawaharlal Nehru, and the other was Dr. Shyama Prasad Mukherjee. He may not be knowing that. It may be surprising information for him.

I will start by telling you as to what is the ranking of CSIR today at the international level. There are 1,391 organisations like CSIR all over the world. These are the organisations which get money from the Government. They are supported by the Government as they are public institutions. They do research, develop technologies, and transfer those technologies to the industry to be delivered to the people of their respective countries. They share their research outcomes all over the world with each other.

In the Scimago Institutional Ranking of 1,391 organisations, right now, the position of CSIR is 17th in the whole world. This must be news for him. Amongst the Asian Region, there are 1,855 institutions in which the ranking of CSIR is 24th. CSIR is the only organisation in the country which is amongst the list of first 50 global institutions. Amongst the intellectual property organisation patent families, its ranking is 16th.

So, we should not have any misgivings about what CSIR is doing. I would rather like to invite all of you. CSIR has offices all over India including Bangalore and Chennai.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगर माननीय हर्षवर्धन जी से आपने जवाब मांगा है, तो पूरा सुनना पड़ेगा ।

...(व्यवधान)

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I have to give him a detailed reply.

...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए । माननीय मंत्री जी, आप कितना भी डिटेल् में जवाब दे दें, लेकिन दादा संतुष्ट होने वाले नहीं हैं । आप अपना उत्तर जल्दी पूरा करें । मैं नैक्स्ट प्रश्न बोलने वाला हूँ ।

...(व्यवधान)

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I would love to give him some good information. There are hundreds of extraordinary things that CSIR has done, I can name all of them but I will just name a couple of things.

Right now, there was a discussion in this House about what we do with plastic. So, I am just adding to that. In 2016, I went to a CSIR lab in Dehradun, which is called the Indian Institute of Petroleum. In one small room, they were doing a research about converting plastic waste into wealth. I must tell you that in 2019 itself, just after taking over, I went to the same laboratory. They have

set up a big plant in the campus, where in 24 hours, our CSIR Indian Institute of Petroleum is converting one tonne of plastic waste, which they collect from the whole city of Dehradun with their own efforts and with the help of NGOs, into 800 litres of diesel, it can get converted into petrol and petrochemicals also. Following that, we got a meeting organised in Delhi. We called all the corporations, all the DDA people and this technology can be scaled up to ten tonnes or 100 tonnes. So, if it is scaled up to ten tonnes, instead of 800 litres, you get it converted into 8000 litres. In Delhi also, we are going to set up all these plants with the help of DDA. Maneka ji was also talking about some technology ...(*Interruptions*).

Sir, you must have seen that airplane flying on 26th January. It was run on bio jet fuel which was made by Jatropha plant. It has been for the first time made by CSIR and ours is amongst the only two or three countries in the whole world to make it. Now, we are flying these airplanes with that fuel.

From an atomic clock to virtually everything, like Saras, the small commercial aircraft which is going to help us in regional connectivity, the ink that you use in the elections, these things were developed in our own CSIR lab. Today, the ink is exported and we get a royalty of Rs. 2 crore to Rs. 3 crore only with this ink....(*Interruptions*)

Sir, before I had gone, seen, understood, and appreciated CSIR, because of lack of information, I did not know about CSIR. So, I request all the hon. Members also to visit CSIR lab all over the country and they will have a

different picture about the scientists who have delivered fantastic outcomes for this country and made us proud all over the world.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 85.

श्री संजय जाधव - उपस्थित नहीं ।

(Q. 85)

डॉ. निशिकांत दुबे : महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं जिस राज्य से आता हूँ, वहाँ केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची है। वर्ष 1918 में यह बना और आज उसके 101 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे भारत में मनोचिकित्सा का जो कानून बना, वह हमारे ही रांची के कारण बना और रांची संस्थान में ही बना। वह संस्थान लंदन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से एफिलिएटेड था। उसका इतिहास इतना बड़ा है।... (व्यवधान) हाँ, वह आगरा से बड़ा है। एशिया का लार्जैस्ट मनोचिकित्सा संस्थान रांची, काँके है। बीच के दिनों में, जब यूपीए की सरकार थी, तो उसका जो एफिलिएशन है, वह एफिलिएशन खत्म हो गया था, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से चालू हुआ। उस संस्थान की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह फैकल्टी की है। वहाँ फैकल्टी का प्रॉपर रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है। मेरा मंत्री जी से केवल यह आग्रह है कि इतने बड़े संस्थान को बचाने के लिए भारत सरकार के पास क्या कार्य योजना है?

DR. HARSH VARDHAN: Sir, no doubt it is a very prestigious institution and it is one of the oldest institutions of the country. After the enactment of the National Mental Health Act in this House in 2017 and its notification in 2018, the Government has a huge programme all over the country which supports strengthening of mental healthcare services at all places, which includes this place also, starting from the Primary Health Centre to Psychiatry Department in a medical college to the 41 Mental Hospitals run by various State Governments.

There is a huge scheme in which, when a plan is made by the respective hospital or a department or an institution like this, we support them to be

converted into centres of excellence. The Government pays something like Rs.33 crore for an institution. For Departments in medical colleges, etc., support at different levels is provided already to all those places which have projected their requirements. I would also urge the Members, including the hon. Member who has asked the question, to go and visit either the Psychiatry Departments in the various medical colleges or the exclusive mental hospitals in their respective States, or the national institutions like the one at Tezpur, Bengaluru and Ranchi. Of course, in the new AIIMS also we have set up these Departments.

There is a well-defined, comprehensive, thoroughly inclusive scheme which is already supporting these institutions. I am so happy to tell you that out of almost 718 Districts in the country, we are right now supporting 655 Districts. This District Mental Health Programme is also operational in 535 Districts. So, I would suggest that the hon. Member who is concerned about Ranchi to take proactive interest in the proposals made by the Ranchi institution for its support. In fact, we have put Director of NIMHANS, Bengaluru, and they have done a lot of surveys on the Ranchi institution. There are some issues there like internal conflicts and internal differences of opinion amongst the faculty and the workers about the development of that institution. But I would urge upon the hon. Member to personally go and visit and help the Government in improving the conditions there.

I would urge not only the hon. Member who asked the question but all of you to take proactive interest in improvement of Psychiatry Departments in their respective medical colleges in their State or any one of the 41 exclusive mental hospitals in the country. Those who are proactively working have already got the support. And those who now come out with support, we will strengthen all those places....(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, इस पर चर्चा होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: आप इस पर नोटिस दे देना और फिर आपको माननीय मंत्री जी के लिए समय भी पर्याप्त देना पड़ेगा।

12.00 hrs

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन-प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने किसी भी स्थगन-प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्लीज, बैठ जाइए। अभी सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अभी सदन में सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। इसके पहले कोई माननीय सदस्य न उठें।

12.01 hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE**

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नं. 2 - श्री श्रीपाद येसो नाईक जी।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I rise to lay on the Table a copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Reports and Audited Accounts of the North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Shillong, for the years 2016-2017 and 2017-2018 within the

stipulated period of nine months after the close of the respective accounting years.

[Placed in Library, See No. LT 772/17/19]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के अंदर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 773/17/19]

- (2) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 29 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियम, 2019, जो 21 अक्टूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एफ. 14-3/69(98) कोआर्डिनेशन सेल/स्था. (भाग-2) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 774/17/19]

- (3) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 28 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नियम, 2019, जो 26 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 693(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 775/17/19]

12.01 ½ hrs

COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED

CASTES AND SCHEDULED TRIBES

Final Action Taken Statement

डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन' के बारे में 15वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 27वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम की-गई-कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.02 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Speaker, Sir, I rise to announce that the Government Business during the week commencing the 25th November, 2019 will consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - *[it contains consideration and passing of the National Institute of Design (Amendment) Bill, 2019, as passed by Rajya Sabha.]*
2. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Ordinance, 2019 (No.14 of 2019) and consideration and passing the Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Bill, 2019, after its introduction.
3. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019 (No.15 of 2019) and consideration and passing of the Taxation Laws (Amendment) Bill, 2019 after its introduction.
4. Consideration and passing of the following Bills, after their introduction:-

- (i) The International Financial Services Centers Authority Bill, 2019.
- (ii) The Recycling of Ships Bill, 2019.
- (iii) The National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Bill, 2019.
- (iv) The Industrial Relations Code Bill, 2019.
- (v) The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union Territories) Bill, 2019.
- (vi) The Special Protection Group (Amendment) Bill, 2019.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सर, इसमें मुझे एक बात कहनी है। बी.ए.सी. की मीटिंग में आपने इसके लिए सहमति जताई थी कि हर सप्ताह एक कॉलिंग अटेंशन और एक नियम-193 के तहत चर्चा ली जाएगी।

सर, इन्होंने आज जो लिस्ट पढ़ी है, उसमें कुछ नहीं है। इसमें न ही कॉलिंग अटेंशन के बारे में है और न ही नियम-193 के तहत चर्चा के बारे में है।

सर, हम लोग बार-बार यह मांग करते हैं कि जम्मू-कश्मीर की सिचुएशन पर चर्चा होनी चाहिए, अनइम्प्लॉयमेंट पर चर्चा होनी चाहिए, इकोनॉमिक क्राइसिस पर चर्चा होनी चाहिए, फार्मर्स डिस्ट्रेस के बारे में चर्चा होनी चाहिए।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मैंने सरकार की ओर से प्रपोजल को पढ़ा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह पहला सप्ताह था और इस सप्ताह में एक 'नियम-193 के तहत चर्चा' को ले लिया। अभी अगला सप्ताह तो पूरा नहीं हुआ न?

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, हमें कम से कम इसके बारे में बताइए। आज तो यह सप्ताह खत्म हो गया।

माननीय अध्यक्ष : यह सप्ताह खत्म हो गया। अगले सप्ताह जब बी.ए.सी. की बैठक होगी तो निश्चित रूप से आपके सुझावों पर बी.ए.सी. के अन्दर बैठ कर चर्चा की जाएगी।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, हमारे गवर्नमेंट बिजनेस में जो बिल्स आने वाले हैं, उनके बारे में बताया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नो डिबेट।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सुरेश जी, इस पर बी.ए.सी. में डिबेट कीजिए, सदन में इस पर डिबेट नहीं होती।

सबमिशन - डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद।

DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Hon. Speaker, Sir, the following matters may be included in the next week's Agenda of the House:

1. Upgradation of Government hospital at Vandavasi, Tamil Nadu into multi-speciality hospital.
2. Need to establish Agricultural University at Cheyyar in my Arani constituency, Tamil Nadu.

डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाए:-

1. Formulation of a Universal Health Insurance Scheme for senior citizens.
2. New flights under UDAN Scheme from Ahmedabad to Shirdi and Ahmedabad to Somnath.

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए:-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में एक और कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता है।
2. मेरे संसदीय क्षेत्र में अजमेर-चित्तौड़गढ़ व कोटा-चित्तौड़गढ़ में रेलवे मार्ग के दोहरीकरण की अत्यंत आवश्यकता है। इन दोनों विषयों को कार्यसूची में जोड़ा जाए।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:-

1. भीलवाड़ा लोक सभा क्षेत्र में मेमू कोच फैक्ट्री का शिलान्यास हो गया है, लेकिन आगे कोई प्रगति नहीं हुई है।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148डी में गुलाबपुर से भीम तक किसानों की अवाप्त भूमि का मुआवजा चार गुना नहीं दिया गया है। इसके बारे में चर्चा की जाए।

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): Hon. Speaker, Sir, the following matters may be included in the next week's Agenda of the House:

1. The Upgradation of the Kendriya Vidyalaya of my constituency in Bandel.
2. The construction of a Navodaya Vidyalaya in my constituency.

SHRI D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): Hon. Speaker, Sir, the following matters may be included in the next week's Agenda of the House:

1. I request the Government to set up the 'Equal Opportunity Commission' immediately.
2. The Government should formulate a policy to help the agricultural labourers.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप दोनों सदस्य सदन में बहुत खड़े रहते हैं।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए:-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र मावल में करजत से पनवेल तक रेल सेवा शुरू करने की घोषणा तीन साल पहले बजट में हुई थी, जबकि यहां पर जमीन अधिग्रहण का काम धीमी गति से चल रहा है। अतः यहां पर कार्य को गति देने की आवश्यकता है और
2. मेरे संसदीय क्षेत्र के पुणे लोनावाला के बीच तीसरे और चौथे ट्रैक को बनाने की मंजूरी दी गई थी और इसके लिए सर्वे भी किया जा चुका है। अतः यहां पर तीसरे और चौथे ट्रैक के कार्य को जल्दी शुरू किए जाने से संबंधित विषय को शामिल किया जाए।

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए:-

1. बिहार राज्य के मधेपुरा जिला पिछड़ा जिला है। यहां विद्युत रेल इंजन कारखाना, रेलवे एवं बैंक के काफी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। मधेपुरा में केन्द्रीय विद्यालय नहीं रहने के कारण इन कर्मचारियों को अपने बच्चों को पढ़ाने में काफी दिक्कत होती है। अतः मधेपुरा में केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए।

2. पूर्व-मध्य रेलवे अंतर्गत मानसी-सहरसा-पूर्णिया रेल खंड में दोहरी लाईन बिछाने से ही अत्यधिक गाड़ी का परिचालन सुगमता पूर्वक होगी और रेल यात्री के भीड़ दबाव को कम किया जा सकेगा। अतः मानसी-सहरसा-पूर्णिया रेल खंड का दोहरीकरण किया जाए।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Speaker, Sir, the following matters may be included in the next week's Agenda of the House:

1. The dilapidated condition of National Highways Kollam-Thirumangalam (NH-744), Kollam-Theni (NH-183), Bharanikkav-Vandiperiyar (NH-183) require urgent repair works, two-lane traffic, etc.
2. Immediate clearance of permission to resume works related to the establishment of the proposed rubber park at Pathanapuram in Kollam district of Kerala.

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए:-

1. मेरे लोक सभा के जनपद प्रतापगढ़ का प्रमुख उत्पाद आंवले के फल को वन उपज से हटा कर कृषि उपज घोषित किया जाए, क्योंकि यहां आंवला जंगल में नहीं, बल्कि किसान खेती के रूप में लगता है।
 2. जनपद प्रतापगढ़ के नगर क्षेत्र में एक भी रेलवे ओवरब्रिज न होने से लोग जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। शहर में नया माल गोदाम रोड पर रेलवे ओवरब्रिज और जेल रोड क्रॉसिंग पर रेलवे अंडरपास का निर्माण कराया जाए।
-

12.10 hrs

ELECTIONS TO COMMITTEES

(i) National Jute Board

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): I beg to move:

“That in pursuance of clause (b) of sub-section 4 of section 3 of the National Jute Board Act, 2008, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the National Jute Board, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder.”

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, जूट बोर्ड में दो-चार मेंबर्स बढ़ा दीजिए, क्योंकि बंगाल, ओडिशा, असम, बिहार सारे जूट बेल्ट में है। वहां के लोगों को जूट बोर्ड में थोड़ा रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्याधीन राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 7, डॉ हर्षवर्धन जी ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सभा पटल पर पत्र रखते समय कोई भी माननीय सदस्य खड़ा नहीं होता । आप नए सदस्य हैं, आपसे पुनः आग्रह करता हूँ । आप तो वरिष्ठ सदस्य भी हैं । सभा पटल पर पत्र रखते समय कभी भी कोई माननीय सदस्य सदन में खड़ा नहीं होता ।

(ii) Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): I beg to move:

“That in pursuance of sub-section (j) of section 5 read with sub-section (1) and (2) of section 6 of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Act, 1980, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Institute Body of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, subject to the other provisions of the said Act and the Rules and Regulations made thereunder.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम, अधिनियम, 1980 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा

(ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्याधीन श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के संस्थान निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.12 hrs

STATEMENT RE: PROHIBITION OF ELECTRONIC CIGARETTES PRODUCTION, MANUFACTURE, IMPORT, EXPORT, TRANSPORT, SALE, DISTRIBUTION, STORAGE AND ADVERTISEMENT) ORDINANCE, 2019*

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): I beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Ordinance, 2019 (No.14 of 2019).

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 776/17/19.

12.14 hrs

PROHIBITION OF ELECTRONIC CIGARETTES (PRODUCTION, MANUFACTURE, IMPORT, EXPORT, TRANSPORT, SALE, DISTRIBUTION, STORAGE AND ADVERTISEMENT) BILL, 2019*

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): I beg to move for leave to introduce a Bill to prohibit the production, manufacture, import, export, transport, sale, distribution, storage and advertisement of electronic cigarettes in the interest of public health to protect the people from harm and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि लोगों को जोखिम से संरक्षा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन निषेध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. HARSH VARDHAN: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2, dated 22.11.2019.

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती प्रतिमा मण्डल ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आज वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है । इसलिए आज शून्य काल को नहीं ले रहे हैं ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, प्रदूषण पर हम लोग दो दिन से चर्चा कर रहे हैं, आज भी करेंगे । आप आगे कहेंगे, तो और हफ्ता भर करते रहेंगे, लेकिन हमारे दो-चार बिंदु हैं, उनको भी उठाने का मौका दीजिए । ... (व्यवधान) सर, दो-चार मुद्दे हैं । ... (व्यवधान) सर, छोटे-छोटे दो-तीन मुद्दे हैं । ... (व्यवधान) सर, यह प्रदूषण तो चलता रहेगा । हम भी इसमें भाग लेंगे । दो दिन से चल रहा है, यह आगे भी चलेगा, हमें असुविधा नहीं है । उनको भी समय दीजिए और हमें भी दीजिए ।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Please listen to me for a

minute. ... (Interruptions) मेरा एक सजेशन है, पोल्यूशन के बारे में दो दिनों से डिस्कशन हो रही है । हम आपकी बात सुनते हैं लेकिन आप हमारी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं ।

... (व्यवधान) Hon. Minister is here. Let him reply. ... (Interruptions) इसके बाद जीरो ऑवर ले लेंगे ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : यह समय जीरो ऑवर का है और आप इसे इन्क्रोचमेंट कर रहे हैं ।

श्री प्रहलाद जोशी: महोदय, ऐसा तो बहुत बार चेंज हुआ है । ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, हमारे एरिया में इन्क्रोचमेंट मत कीजिए । ...*(व्यवधान)*

SHRI PRALHAD JOSHI: My request is that let the hon. Minister reply and after that -- before Private Member's Business it can be taken up. ...*(Interruptions)*

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, इस चर्चा में हम भी भाग न लें ।

श्री प्रहलाद जोशी: महोदय, चर्चा तो हो गयी है, अब रिप्लाय का टाइम है । ...*(व्यवधान)*

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, यह मौका छीना न जाए ।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो): महोदय, मैं आपसे विनती करता हूँ कि बंगाल के सारे सांसद यहां हैं । कल बहुत ही गंभीर घटना घटी है । ...*(व्यवधान)* अनशन करते वक्त एक टीचर की मौत हो गई है, उसके बारे में बंगाल के सांसद दो शब्द बोलना चाहते हैं, अगर आप अनुमति दें ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य अगर अनुमति इधर होगी और तो अनुमति उधर भी होगी । पहले अनुमति इधर होगी उसके बाद उधर होगी ।

श्री बाबुल सुप्रियो: महोदय, आपको क्या प्रॉब्लम है दादा, आपके खिलाफ ही बोलना है । जरा बोलने दीजिए । ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी आप बहस मत कीजिए । आप बैठिए । आप मंत्री हैं, सदन में बहस मत किया कीजिए । आप बैठ जाइए । शून्य काल में अगर कोई महत्वपूर्ण विषय है ।

...*(व्यवधान)*

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Hon. Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the House and the people of our country. The

Government of India has been pursuing the path under the template -- 'One Nation, one intention and go for privatisation'.

Sir, you will be astonished to note that this Government is on a selling spree. The profit-making Public Sector Undertakings are being sold away only to please some pampered corporate Houses in our country ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस विषय पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली): अध्यक्ष महोदय, ग्यारह नवम्बर से अनशन चालू हुआ है ... (व्यवधान) कल पश्चिमी मेदिनीपुर में एक पारा टीचर रेवती राउत का डेथ हो गया और पांच लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ... (व्यवधान) शिक्षा के गुरु अपने भविष्य के लिए रास्ते में आंदोलन करेंगे तो छोटे-छोटे बच्चों का क्या होगा? आप बोलिए। जो सपना देखना और समाज में बोलना सिखाता है, वह बच्चों के लिए क्या करेगा? अभी तक शिक्षा मंत्री ने कुछ भी जवाब नहीं दिया है। ... (व्यवधान) अभी पश्चिमी बंगाल में कोलकाता के रास्ते में आंदोलन चल रहा है। दादा आप प्रोफेसर हैं, बंगाल वाले हैं। बंगाल वाले दूसरे विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं लेकिन अभी कोलकाता में आंदोलन हो रहा है और आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एक भी लोग उधर नहीं जाएगा, अभी भूख हड़ताल चल रही है, सब लोग चुप हैं, एक की मौत हो गयी है, पांच-छह लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आप कुछ कीजिए। बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला है। पांच-छः लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। आप कुछ कीजिए। ... (व्यवधान) पश्चिम बंगाल के ...* चीफ मिनिस्टर ने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है। वह बोल रहे हैं कि अभी केंद्र सरकार उसका पैसा नहीं दे रहे हैं। शिक्षा की मांग अधिकार की मांग है। अभी तक पश्चिम बंगाल की

* Not recorded.

सरकार कुछ भी नहीं देख रही ।...(व्यवधान) अगर यह आंदोलन ऐसे ही चलेगा तो बहुत शिक्षक लोगों की मौत हो जाएगी । राज्य सरकार के ...* अभी क्या कर रहे हैं? आप देख लीजिए ।...(व्यवधान) ये लोग शिक्षक और पैरा टीचर्स को मार डालेंगे ।...(व्यवधान) इनडायरेक्टली पूरा मार डालेंगे ।...(व्यवधान) आप देखिए, सब देखिए ।...(व्यवधान) पूरा शिक्षक समाज पीड़ित है । ...(व्यवधान) हम जिन्हें इंटेलेक्चुअल कहते हैं, एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं ।...(व्यवधान) आपको इस विषय को देखना चाहिए । ...(व्यवधान)

आपको टीचर लोगों के लिए कुछ करना चाहिए ।...(व्यवधान) वे अपने भविष्य के लिए रास्ते पर आंदोलन कर रहे हैं । वे बच्चों के लिए क्या करेंगे? ...(व्यवधान) बच्चे टीवी में देख रहे हैं ।...(व्यवधान) पुलिस लाइट ऑफ करके इनको मारती है, लाठी चार्ज करती है ।...(व्यवधान) महिला लोगों का ...* क्या यह शिक्षा का परिचय है? ...(व्यवधान)

12.22 hrs

(At this stage, Adv. Dean Kuriakose and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

... (Interruptions)

पश्चिम बंगाल में शिक्षा का कुछ भी हो नहीं रहा है ।...(व्यवधान) जो मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी नहीं कर रही हैं ।...(व्यवधान) ये लोग चिल्ला रहे हैं । अभी पश्चिम बंगाल में जो सिचुएशन है, आपको देखना होगा । ...(व्यवधान) पैरा टीचर्स को लेकर जो हो रहा है, ...(व्यवधान) बहुत गंभीर विषय है ।...(व्यवधान) आप बंगाल के लोगों को देखिए, इनके पास एक भी शब्द नहीं है । ... (व्यवधान) कुछ भी शब्द नहीं हैं । शिक्षा के लिए कुछ भी सम्मान नहीं है ।...(व्यवधान) शिक्षकों

* Not recorded.

का अपमान हो रहा है, अत्याचार हो रहा है ।...(व्यवधान) कुछ भी सम्मान नहीं है । महिला की मौत हो गई । इसमें बच्चे लोग भी शामिल हैं । भूख हड़ताल पर हैं ।...(व्यवधान)

12.23 hrs

(At this stage, Adv. Dean Kuriakose and some other hon. Members went back to their seats.)

... (Interruptions)

महिलाओं की मौत हो गई ।...(व्यवधान) पश्चिम मेदनापुर में इतनी बुरी हालत में हैं ये लोग ।...(व्यवधान) दो-तीन लोगों को ब्रेन स्ट्रोक भी हो गया है, अभी तक वे हॉस्पिटलाइज्ड हैं । ... (व्यवधान) कुछ भी नहीं है, लॉ एंड आर्डर कुछ भी नहीं है ।...(व्यवधान) पश्चिम बंगाल में लॉ एंड आर्डर कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा एकदम खत्म हो गया है ।...(व्यवधान) उधर के ...* कुछ भी नहीं करने वाले हैं ।...* होता है, उसमें पैसा होता है, उसमें डाल देते हैं । ...* इधर हो रहा है, आहा रे बांग्ला हो रहा है, लेकिन उधर शिक्षकों की भूख हड़ताल हो रही है । ... (व्यवधान) आपको देखना चाहिए । जो शिक्षक छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं, अगर उनका यह हाल होगा तो भविष्य में क्या होगा? आपको सोचना होगा ।...(व्यवधान)

अभी ये लोग दूसरे राज्य की बात करते हैं, खुद की स्टेट में कुछ भी नहीं संभाल पा रहे हैं ।...(व्यवधान) ये खुद की स्टेट की बात करें ।...(व्यवधान) आपको देखना होगा ।...(व्यवधान) क्या ये छोटे बच्चों के भविष्य के लिए आए हैं?... (व्यवधान) एमपी, सांसद, बच्चों के लिए चिंता नहीं करते हैं, सिर्फ खुद के बारे में चिंता करते हैं । ... (व्यवधान) चिट फंड के बारे में चिंता करते हैं, ...* के बारे में चिंता करते हैं ।...(व्यवधान) आपको देखना होगा, पश्चिम बंगाल में महिला ...* होने के बावजूद भी महिला लोगों की मौत हो जाती है ।...(व्यवधान) कुछ भी नहीं हो रहा है । आपको

* Not recorded.

देखना होगा । ... (व्यवधान) सबको ध्यान देना होगा । ... (व्यवधान) पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत खतरनाक है । ... (व्यवधान)

12.24 hrs

(At this stage, Adv. Dean Kuriakose and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

... (Interruptions)

बंगाल के लिए ये कुछ भी नहीं बोलते हैं, बाहर के लिए बोलते हैं । ... (व्यवधान) जब बाहर लोग मर जाते हैं, तब आंदोलन शुरू करते हैं, लेकिन बंगाल के लिए कुछ नहीं करते हैं । ... (व्यवधान) एक के बाद एक टीचर्स के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है । कुछ भी नहीं कर रहे हैं ।

... * लोगों का काम है । ... (व्यवधान) यह विचार चाहिए । ... (व्यवधान) इस पर विचार होना चाहिए । ... (व्यवधान) वीरभूमि में भी कल एक मौत हो गई । इस पर विचार चाहिए । ... (व्यवधान) पैरा टीचर्स की मौत हो गई, इस पर विचार होना चाहिए । ... (व्यवधान) नहीं तो आंदोलन बढ़ेगा । ... (व्यवधान) अभी जो चल रहा है, इस पर विचार होना चाहिए । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती लॉकेट चटर्जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

माननीय सदस्य, आप अपनी सीट पर जाएं ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वह अपनी सीट पर बैठ गए हैं, आप भी सीट पर जाएं ।

... (व्यवधान)

* Not recorded.

12.24 ½ hrs

(At this stage, Adv. Dean Kuriakose and some other hon. Members went back to their seats.)

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: सदन में सबको बोलने का मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी सीट पर जाएं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अर्जुन जी, प्लीज। आप भी अपनी सीट पर जाएं। वे बैठ गए हैं। आप भी अपनी सीट पर जाएं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सबको सदन में बोलने का मौका है। आप अपनी सीट पर जाएं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, आप अपनी सीट पर जाएं।

...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, this Government has been resorting to the selling of Government PSU stakes only to fund the exchequer, much to the disservice of our economy. ...*(Interruptions)* Sir, just for example, I am referring to the case of HPCL. ...*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य यह आप बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, do you know the case of HPCL? ...*(Interruptions)* The importance of HPCL has been derogated by this Government. ...*(Interruptions)* The Government is trying to evade even the Parliament scrutiny. ...*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या आप कोई मोशन लेकर आए हैं?

...*(व्यवधान)*

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : In 2003, the Supreme Court of India made it clear in the context of BPCL and HPCL that they cannot be disinvested without the concurrence of the Parliament. ...*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...*(व्यवधान)*

श्री अधीर रंजन चौधरी : पार्लियामेंट की कंकरेंस नहीं ली जाती है। एक के बाद एक सारे प्रोफिट ...*(व्यवधान)*

12.26 hrs

*(At this stage Shri Adhir Ranjan Chowdhury and
some other hon. Members left the House)*

12.27 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193

Air pollution and climate change....Contd.

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती प्रतिमा मण्डल जी ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज । दादा, मैं आपसे चर्चा कर लूंगा ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी नहीं । प्लीज बैठ जाइए । दादा आप भी बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रतिमा मंडल जी आप नियम 193 पर बोलिए ।

...(व्यवधान)

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Thank you, hon. Speaker Sir,
for allowing me to speak on the topic, air pollution and climate change.

...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ । आप अपनी सीट से न उठें ।

...(व्यवधान)

SHRIMATI PRATIMA MONDAL : Sir, before I start my speech, I completely disagree with what an hon. Member from West Bengal said. ...(*Interruptions*)
Whatever he said, he is completely ... * ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप अपने विषय पर बोलिए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी है । आप सब सदन में स्पीकर नहीं बने हैं । आप बैठ जाइए । केवल नियम 193 की अधीन ही चर्चा अंकित होगी । अगर आप भी बीच में बोलेंगे तो आपका कोई अंकित नहीं होगा । केवल विषय पर बात अंकित होगी ।

...(व्यवधान)

SHRIMATI PRATIMA MONDAL : Thank you, hon. Speaker Sir, for giving me a chance to speak on the topic, air pollution and climate change.

Sir, we have had a lot of discussion on this subject for the past few days but what we actually need is not just the discussion, the committees and the reports. What we need is instant action. 133 people of our country need an instant action. Air pollution has been recognised as the world's largest single environmental health risk, and the average PM 2.5 in our air is equal to smoking 7 cigarettes. This means that we have come to a point where instead

* Not recorded.

of feeding bottles, infants are made to smoke a pack of cigarettes through natural breathing process. There are equal number of non-smoker lung cancer patients as that of smoker patients. E-vaping has been banned but our environment itself has become a vaping chamber. Numerous industries, transport, random burning of waste and road making process are the contributors to the natural vaping system.

Sir, having said that, I would like to contribute by requesting the Government to spread among the masses that as much as it is our responsibility to make provisions, equal participation has to come from their end as well. People of our country are sensible enough to understand that we do not need Kiki Challenge, 10-Year Challenge, or Ice Bucket Challenge to go viral. We should take-up the challenge for cleaning up our environment. I request eminent personalities on social media to initiate this *Shudh Hawa* challenge, even for the sake of 'likes and comments'. A small contribution can definitely be made. I would request the hon. Prime Minister and all other Members to take up this initiative. If every individual conserves energy, uses public transport or opts for car pool, uses energy efficient products, a huge difference can be brought about. In order to deal with this monstrous issue, rigid and stern steps are inevitable.

12.31 hrs

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

The Government has to impose a cap on use of coal instead of digging new coalmines. The existing ones should be capped and renewable energy

sources must be worked upon. India, being the initiator of International Solar Alliance, must take help of the *Surya devta* to deal with *Vayu dev*. Fuel burning has to be stopped or else an incident like Great Smog of London is inevitable in India.

Now, I come to the issue of stubble burning. The Government should take strong steps and initiate a stubble collection programme by providing small incentive to attract farmers. This can easily be re-used by several methods like making paper, packing material, biomass pellet and even biomass power plants can be set up. It is a gift of nature which has so many re-usable properties. The solution lies in the problem itself just like a tricky question of a competitive exam. We just need smart and strict actions.

Also, we must impose a strict ban on production and use of fire crackers. People involved in this industry can work in the stubble recycling units. This will directly protect innumerable children and adults involved in this sector. After all, it is a festival of lights and not sound.

I would like to end by repeating myself that a mass participation with extra impetus from the Government's end is required to tackle the problem of air pollution. I once again thank you for giving me a chance to speak on this issue.

SHRI BALLI DURGA PRASAD RAO (TIRUPATI): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on the alarming issue of pollution. At the outset, we have to think over this problem in a dual manner. Number one, what are the reasons and what are the circumstances for this discussion?

The pollution cannot be seen in villages, because of the climatic conditions and the prevailing atmosphere in villages, whereas in cities, apprehension of pollutions like sound pollution, air pollution and water pollution can be seen. Whenever an alarming situation arises, then only we discuss about such issues.

India is a secular country under a democratic set up. The rules and regulations vary from State to State. Besides, climatic conditions prevailing in different States are not similar. Because of change in the climatic conditions, we are losing periodical monsoons. Sometimes only because of cyclones in particular places and depression in the Bay of Bengal, we get abundant rains. Earlier, the highest rainfall place, known to the nation, was Cherrapunji only. Now, it is possible, whenever there is depression or cyclone, abundant rains happen. Monsoon, starting from Andaman and entering in different parts of India, has also changed its direction due to unstable climatic changes, unpredictable rains and floods and it is mainly because of pollution in the atmosphere.

The recent examples are floods in Mumbai, Kerala and Tamil Nadu. We are in a dangerous situation. The climatic conditions, laws and prevailing

atmospheres in different countries are different in comparison to India. Our climatic conditions are different. Our prevailing circumstances are different. The financial structure of our country is different. Under the dynamic leadership of hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, we have taken an initiative of Swachh Bharat Mission through which open defecation has been controlled. As a result, many infectious diseases in rural areas have also been controlled. We can see everywhere the viral fever, malaria, etc. Now, all are 50 per cent controlled. We have to encourage the awareness programme among the people to control pollution. What is the role of the State Pollution Control Boards? In every State, there is a Pollution Control Board. What are their duties and responsibilities? Are they periodically sending their reports to the Centre or to the States? What is the monitoring mechanism with regard to the same? That can be examined in an appropriate manner. Then only, things will be controlled.

There is another issue regarding their proper functioning. All these Pollution Control Boards are there only for the name-sake in the country or in the States.

As everybody is saying, there is another issue regarding crackers and stubble burning. This is not at all a correct reason. There is a lot of scarcity of fodder in various parts of the country. You have to make use of this stubble to produce fodder and manure for the farmers. Through soil waste management, we can generate power also. So, there is a need to take these issues into

consideration. Earlier, the Governments were sanctioning hundreds of acres of lands for plantation. There were plantations only for the name-sake. The entire lands are vacant.

Sir, the afforestation is not taken up properly by the concerned departments. It is because the rules are very rigid. In some countries, they are flexible. In our country, it is not flexible upto that extent. I am requesting the Government to take up afforestation with the help of the State Governments. Then only, we can save the country in an appropriate manner from pollution. Thank you.

माननीय सभापति : श्री निहाल चंद जी । कृपया आप अपनी बात दो-तीन मिनट में सामप्त करें ।

...(व्यवधान)

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): सर, मैं अपनी बात दस मिनट में खत्म करूंगा ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप अपनी बात शुरू कीजिए ।

...(व्यवधान)

श्री निहाल चन्द चौहान : सभापति महोदय, आज नियम 193 के तहत चर्चा में देश और दुनिया में बढ़ते वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के संबंध में सभी माननीय सदस्य बात यहां पर रख रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज भारत ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व इससे परेशान है। चाहे पानी हो, गाड़ियों का धुआं हो, औद्योगिक क्षेत्र हो या वायु हो, बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के कारण आने वाली पीढ़ियां और हम सभी पर कितना गंदा प्रभाव पड़ रहा है, यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जब आज मैं अपने घर से पार्लियामेंट आ रहा था, तो मैंने दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा तो वह 500 था। 500 के स्तर पर सांस लेना कितना मुश्किल होगा, मुझे इसके बारे में कुछ भी कहने में कोई शंका नहीं है। स्वीडन में जून, 1972 में जब पर्यावरण पर सम्मेलन हो रहा था, तो दुनिया में कभी किसी व्यक्ति ने नहीं सोचा था कि आने वाला समय इतना गंदा होगा। आने वाले समय में क्या इतने वन कट जाएंगे, क्या हमारे पास कोई पेड़ बचेगा, यह किसी ने कभी नहीं सोचा था। तब से लेकर अब तक यह वातावरण कितना गंदा और दूषित हो रहा है, यह सभी लोग जानते हैं। यह सदन तीन दिनों से इस पर चर्चा कर रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि 1972 में जहाँ 70 पर्सेंट फॉरेस्ट हुआ करता था, आज वह मात्र 16 पर्सेंट बचा है। सारे वन कट गये हैं। वन कटने की वजह से यहाँ का वातावरण जितना प्रदूषित हुआ है, उसे आप सभी जानते हैं। मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि आज विश्व में गंदा पानी पीने के कारण तीन मिनट में एक शिशु की मौत हो रही है। आज इस गंदी स्थिति के कारण यह हो रहा है। इस देश में जिस तरह से दूषित पानी और दूषित वातावरण बढ़ रहा है, वह आपके सामने है।

अगर हमारे जीवन में कोई खराबी होती है, अगर हमारे शरीर में कोई खराबी होती है, अगर कोई बीमार होता है, तो वह सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण ही नहीं, बल्कि पानी, खेत का पानी, पीने का पानी आदि से भी हो सकता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोगों के शरीर में वायु प्रदूषण की वजह प्रॉब्लम हो रही हैं, कुछ लोगों के शरीर में पीने के पानी की वजह से भी प्रॉब्लम हो रही हैं।

मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, मैं राजस्थान प्रदेश के श्रीगंगानगर से बिलांग करता हूँ, जो एक सीमावर्ती क्षेत्र है। अगर मैं उस प्रदेश की बात बताऊँ, तो वहाँ पंजाब से बहुत गंदा पानी आ रहा है। उस गंदे पानी को जब हम लोग पीते हैं, तो लोगों को सीधे कैंसर हो रहा है। मुझे यह कहते हुए कोई शंका नहीं है कि वहाँ पर जितने औद्योगिक क्षेत्र हैं, जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, उनका केमिकलयुक्त पानी हरिके बैराज में जा रहा है और हरिके बैराज से वह पानी सीधा राजस्थान के कैनाल्स में आ रहा है। राजस्थान में करीब आठ जिले उससे प्रभावित हैं। यदि मैं गंग नहर और भाखड़ा नहर का जिक्र करूँ, तो पंजाब से फैक्ट्रियों का केमिकलयुक्त गंदा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं, सीमावर्ती क्षेत्र में लोग काफी बड़ी तादाद में बीमार हो रहे हैं। लोगों को कैंसर, पीलिया आदि बीमारियाँ हो रही हैं। ... (व्यवधान)

सर, यह एक बहुत बड़ा मैटर है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इसके बारे में एनजीटी ने पंजाब सरकार को डायरेक्शन दी, लेकिन आज भी राजस्थान में पंजाब की फैक्ट्रियों का गंदा पानी आ रहा है। मैं यहाँ पर एक बात क्वोट करना चाहूँगा। पंजाब में एक चड्ढा शुगर मिल है। उसका एक बैरल फटा, जिसका पानी रणजीत सागर बांध से निकलकर हरिके बैराज में गया। उससे पूरे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को पानी मिलता है। यह अकेले राजस्थान प्रदेश या मेरे श्रीगंगानगर जिले की ही स्थिति नहीं है, इससे तीनों प्रदेशों को पानी मिलता है। जब चड्ढा शुगर मिल का बैरल फटा, तो उसके फटने से सारा केमिकलयुक्त गंदा पानी नहर में चला गया, जिससे राजस्थान, पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सारे पशु मर गये, सारे पक्षियों की मौत हो गई। ... (व्यवधान) इससे जोधपुर सहित पूरे राजस्थान में पानी जाता है। वह पानी पंजाब के मुख्य मंत्री भी पीते हैं और राजस्थान के मुख्य मंत्री भी पीते हैं। हम लोग इतना गंदा पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से भी सारा-का-सारा वातावरण खराब हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूँगा कि एनजीटी ने पंजाब सरकार को जो डायरेक्शन दी है, जितना भी पंजाब का केमिकलयुक्त गंदा पानी राजस्थान के नहरों में आ रहा है, उस पर रोक लगाई जाए ताकि वायु में जो प्रदूषण हो रहा है, उससे मुक्ति मिल सके।

जहाँ तक दिल्ली की बात है, तो सब लोग किसानों के पीछे पड़े हैं। किसान पराली जला रहा है, किसान पराली जला रहा है, उसकी वजह से धुआँ हो रहा है। धुआँ उसकी वजह से नहीं हो रहा है, अगर हम लोग आज से तीस साल पहले देखें, तो तीस साल पहले कोई भी एयर कंडिशन नहीं था, कोई भी एयर कंडिशन गाड़ी नहीं थी। अगर सारा वातावरण खराब हो रहा है, तो एयर कंडिशन की वजह से भी हो रहा है। गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ, उसके बढ़ते हुए प्रभाव के कारण भी लोग बीमार पड़ रहे हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, वैसे तो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने गाड़ियों के बारे में पार्लियामेंट को एक पैगाम तैयार करके दिया है, इस देश को एक नयी दिशा दी है। मेरा यह भी निवेदन है कि जिस घर में गाड़ी हो, उस घर में गैरेज होना भी जरूरी है। आज दिल्ली की यह स्थिति है कि किसी भी गली में चले जाएँ, तो वहाँ पर पाँच-दस गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। अगर एक परिवार है, उसमें दो बच्चे हैं, उनकी पत्नियाँ हैं, चार लोग हैं, तो उस घर में चार गाड़ियाँ हैं, जो सड़क पर खड़ी रहती है। इसलिए गाड़ियों के धुएँ से बढ़ते हुए प्रभाव के कारण भी वातावरण खराब हो रहा है। इस पर भी विशेष कार्य करने की जरूरत है।

आज जिस तरह से दिल्ली का वातावरण खराब हो रहा है, जिस तरह से पेड़ काटे गये हैं, अगर वातावरण इसी तरीके से खराब होता गया, तो आने वाले दस-बीस सालों में क्या होगा, यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है।

इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि इस पर भी रोक लगाई जाए। डीजल की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, उनके बढ़ते हुए धुएँ का प्रभाव है। जितने भी ट्रक्स दिल्ली में आ रहे हैं, जितनी बसें दिल्ली में आ रही हैं, उनके धुएँ का प्रभाव भी हमें झेलना पड़ रहा है। इससे भी कहीं-न-कहीं वातावरण खराब हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ियों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूँगा कि ऐसे वातावरण को देखते हुए, आने वाले समय को देखते हुए, वातावरण को साफ-सुधरा रखने के लिए सरकार इस पर कार्रवाई करे।

सभापति महोदय, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ।
आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, इसके लिए मेरी तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं अत्यंत आभारी हूं कि आज यह सदन, जो देश की जनाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाला सर्वोच्च सदन है और देश की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से इस उत्तरदायित्व की अपेक्षा भी करती है कि देश की ज्वलंत समस्याओं के संबंध में इस देश के सदन में चर्चा होगी। मैं बहुत आभारी हूं कि देश में और भी बहुत महत्वपूर्ण-महत्वपूर्ण विषय हैं, लेकिन जिस तरह से दिल्ली, एनसीआर या देश के अन्य राज्यों, चाहे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी राज्य में जिस तरह से एयर पॉल्यूशन की स्थितियां विषम हुईं, एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य स्थिति से बढ़कर 500 तक पहुंच गया। यह एक डिजास्टर वाली सिचुएशन पहुंच गई, जिस कारण दिल्ली के स्कूल बन्द करने पड़ गए, दिल्ली के बच्चों को घरों में ही रहना पड़ा। लोगों को सड़कों पर निकलने में तमाम तरह की परेशानियां उत्पन्न हुईं, उनकी आंखों में जलन होने लगी। इस कारण काफी फ्लाइट्स भी कैंसिल करनी पड़ीं। कहीं न कहीं इस प्रकार से व्यापक प्रभाव जनमानस पर पड़ा। सदन में कम से कम पिछले तीन दिनों से इस विषय पर चर्चा चल रही है। इसका एक संदेश पूरे देश में जा रहा है कि आज हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि इस महत्वपूर्ण विषय की प्राथमिकता को समझ रहे हैं और सदन इसका कोई न कोई उपाय निकालना चाहता है।

महोदय, हम दूसरे सदन का उल्लेख नहीं करते हैं, लेकिन पर्यावरण मंत्री जी ने जिस तरह से दूसरे सदन में भी इस चर्चा में उत्तर दिया, उससे आज इस देश में एक विश्वास भी पैदा हो रहा है कि सरकार एक शॉर्ट टर्म और एक लॉंग टर्म उपाय पर विचार कर रही है। जिस तरह के उत्तर आए, उससे लगता है कि हम तात्कालिक रूप से क्या उपाय कर सकते हैं और दीर्घकालिक रूप से क्या उपाय कर सकते हैं। इस विषय पर चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या तमाम एजेंसीज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स हों, जिस तरह से उत्तर आया, रूल्स बनाने के बाद आज उसको लागू करने का दायित्व हम सब पर है। ये परिस्थितियां केवल इस देश की नहीं हैं, पूरी दुनिया में ऐसी परिस्थिति है। करीब सेवेन मिलियन डेथ्स पूरे विश्व में पुअर एयर क्वालिटी के

कारण हो रही हैं। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यह भी रिपोर्ट है कि :

“Nine out of ten people worldwide breath unsafe air and a study by IQAIR visuals stated that 22 out of 30 most polluted cities were in India and is topped by Gurugram and is followed by Ghaziabad, Faridabad, Noida and Delhi is at 11th spot.

Global Burden of Disease 2017 Report states that air pollution kills a child at every three minutes in India. 1,95,000 deaths occurred in 2017 which comes around 535 deaths per day.

As per the World Bank, air pollution causes a loss to Indian economy of 8.5 per cent of its GDP.”

महोदय, यह न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए जानलेवा हो रही है, बल्कि हमारी जीडीपी को भी इफेक्ट कर रही है। इस पर नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, जिस पर उनके सीईओ श्री अमिताभ कान्त ने कहा है कि :

“Today cities occupy just 3 per cent of the land but contribute to 82 per cent of GDP and are responsible for 78 per cent of carbon dioxide emissions.”

महोदय, आज पूरी दुनिया में, चाहे पेरिस की बात हो, भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी, जिस समय प्रधान मंत्री बने, उन्होंने पूरी दुनिया में स्वच्छता अभियान और क्लाइमेट चेंज को लेकर कार्बन उत्सर्जन पर दुनिया के प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और भारत में जिस तरह का कन्सर्ट किया, उससे पूरी दुनिया प्रभावित है। स्वाभाविक है कि जिस तरह से देश में

कार्बनडाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, आखिर इसमें हमारा क्या उत्तरदायित्व है। निश्चित तौर से यह ऋग्वेद के जमाने से चला आ रहा है –

“प्रकृति: रक्षित रक्षिता”

The nature protects, if it is protected. जब हम आज इस बात की चिंता करते हैं कि सरकार क्या उपाय कर रही है, दिल्ली में डीडीए क्या उपाय कर रहा है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन्स क्या कर रही हैं? इस पर हम लोगों ने भी चिंता की है। हमने अपनी कमेटी में इसकी चिंता की है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, The Rigveda as a matter of fact venerates deities like Agni, Indra, Varuna and Aditya and looking at every entity of nature with the eyes of a friend and sympathy. मैं बहुत नहीं कहना चाहता हूँ, केवल इतना कहना चाहता हूँ कि Earth is my mother and I am her son.

“माता भूमि पुत्रोहं पृथिव्या”

एक मुख्य बात कहना चाहता हूँ – A pond equals 10 wells, a reservoir equals 10 ponds, a son equals 10 reservoirs and a tree equals 10 sons.

आखिर वृक्ष का कितना महत्व है? जिस तरीके से आज प्लांटेशन की बात हो और 33 प्रतिशत भूमि वनों से आच्छादित होनी चाहिए, लेकिन आज स्थिति क्या है? 14 परसेंट भी नहीं है और कुछ राज्यों में तो उससे भी कम है। स्वाभाविक है कि आज जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, इसके लिए हम जो कर रहे हैं, उसमें सरकारी उपाय के साथ-साथ हम राज्यों को और खुद हमें भी इस बात का अवेयरनेस लाना होगा कि इस गम्भीर समस्या के लिए हम सब लोग मिलकर उपाय करें। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, today the discussion is going on, under Rule 193, on the issue of air pollution and climate change. The issue is itself self-explanatory that it has a wider ramification.

To start with, I must admit that there must be some sort of global initiatives because it is not confined to India or any region. It is a global phenomenon and that is why, it has to be dealt with globally. Since 1992, we have been going towards that direction. We have adopted the United Nations Framework Convention. We have adopted the Kyoto Protocol. Thereafter, we have accepted the Paris Agreement. The Katowice package was also adopted. Our approach is based on the principle of equity and equal but differentiated responsibility and respected capacities.

Recently, we have adopted the rulebook on the basis of Nationally Determined Contributions. Nobody under the Sun is spared from the onslaught of air pollution and climate crisis. From the upper reaches of atmosphere to the darkest depth of sea, everywhere it is killing us. There is an African proverb that if you want to go alone, go quickly but if you want to go far, go together. So, there must be an approach of going together and we are following that dictum. Human civilizations and earth's ecological system are always colliding and the virulent and more destructive manifestation of that collision is the climate warming and climate crisis.

So, now we have to do one thing that what goes up must come down. कल हमारे साथी डॉ. संजय जायसवाल जी ने सदन को बताया था कि लंदन में वर्ष 1952 में जिस तरह से स्मॉग आई थी। उसके कारण चार दिन तक लंदन में धूप नहीं थी, सूरज देखने को नहीं मिला था। It is absolutely true. इसके चलते चार हजार लोगों की मौत एक हफ्ते में हो गयी। कई हफ्तों में आठ हजार मौतें हो गयीं। ये मौतें रेस्पेरेटरी प्रॉब्लम्स और एसफिक्शियेशन की वजह से हुईं। यहां डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। लेकिन लंदन में वर्ष 1956 में पार्लियामेंट कानून पारित किया गया और कोल बर्निंग बंद कर दी। इनसेंटीवाइजेशन का इंतजाम किया। वर्ष 1952-56 से लेकर आज तक वहां ऐसे हालात पैदा नहीं हुए।

सर, कुछ साल पहले चाइना में एयरपो -क्लिप्स (Airpocalypse) हम लोगों ने देखी है। चाइना में भी ऐसा हुआ कि 246 मिलियन पीपल्स अफैक्टिड हो गए थे, वह भी इससे निपट लिया। सर, यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री एक-एक फॉर्म्युला, एक-एक मैकेनिज्म एडॉप्ट करती है उन देशों को प्रदूषण से बचाने के लिए। लेकिन हमारे यहां क्या है? Our approach is spasmodic in nature especially on pollution control. We do not have any long-term perspective plan. Today's rallying topic is air pollution because Delhi has been affected, number of cities have been affected. So, it becomes a rallying topic nowadays. But after a few weeks, everybody will forget as to what has taken place in Delhi and other areas.

लेकिन बात होती है कि पराली-पराली-पराली। ठीक है कि पराली तो एक वजह है, लेकिन हमें इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए। हम तीन दफा इसरो के जरिए चन्द्रयान भेजने के लिए तैयार बैठे हैं और हमारे साइंटिस्ट्स जरूर सफल होंगे। क्या हमारे साइंटिस्ट्स काबिल नहीं हैं कि पराली से हमें बचा पाएं? लेकिन हमारा इस तरीके का एफर्ट नहीं है। इससे निपटने के लिए हमें एफर्ट्स करने चाहिए।

सर, आप जाइए पैरिस में, नीदरलैंड में, जर्मनी में, कोपेनहेगन में। सर, कोपेनहेगन में क्या हैं, आप जानते हैं? वहां आम आबादी से साइकिल ज्यादा हैं। क्या हम यह नहीं अपना सकते हैं? हमारी कारों की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। क्या हम साइकिलिंग नहीं कर सकते हैं? सर, जर्मनी में अगर कोई अपने घर में कार नहीं रखेगा तो उसको मकान बनाने के लिए सुविधा दी जाती है, अलग से फाइनेंशियल इन्सेटिव दिया जाता है। यह उसको घर बनाने के लिए दिया जाता है, इसलिए कि तुम अपने घर में कार नहीं रखते हो। तरह-तरह के देशों में जो तरह-तरह की स्ट्रैटिजी हैं, उनको हमें अपनाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हम इसमें काफी दूर बैठे हैं।

Sir, India's total Greenhouse Gas (GHG) emissions in 2014 were 3202 million metric tons of carbon dioxide equivalent, totalling 6.55 per cent of global GHG emissions. In India, 68.7 per cent of GHG emissions come from the energy sector, followed by agriculture, industrial processes, land-use change and forestry, and waste, which contribute 19.6 per cent, 6 per cent, 3.8 per cent and 1.9 per cent relatively to GHG emissions.

India's GDP increased 357 per cent from 1990 to 2014, while Greenhouse Gas emissions increased 180 per cent. Relative to GDP, India emits twice as many as GHGs as the world average. Therefore, our approach should be pragmatic, our approach should be based on reality and our approach should be based on scientific method.

Air quality in Delhi has gone above the danger level. It is really a matter of great concern. But it is not confined to Delhi alone. Since Delhi is the capital of our nation, the furore has been created. But silently across the nation each

and every second our future generations have been falling prey to pollution. In Delhi itself, 28 people are dying per day due to pollution.

12.58 hrs

(Hon. Speaker *in the Chair*)

सर, हमें अपनी एप्रोच को देखना चाहिए। दिल्ली के हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी हमें फटकार लगा रहा है। The Supreme Court says that it is a question of life and death of crores of people in Delhi NCR region, which is facing severe air pollution and the authorities have to be held responsible for its failure to curb it. यह मैं नहीं कह रहा हूँ। विपक्ष के दल नहीं कह रहे हैं। यह हमारा सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है।

“Delhi is choking every year and we are unable to do anything,” said the Supreme Court Justice Arun Mishra.

“Can you permit people to die like this due to pollution? Can you permit the country to go back by 100 years?” This is the observation of a bench headed by Justice Arun Mishra.

13.00 hrs

Sir, air pollution claimed five lakh lives in India in 2016, as per a report. The most appalling fact is that 90 per cent of children are exposed to PM 2.5 levels that are above WHO guidelines, damaging their health throughout their lives. As severe air pollution in North India has become an annual affair, the country could breathe easy by emulating policy interventions and technology of other countries. That is why, I am suggesting to this Government that they

should emulate the technologies followed in other countries so as to prevent the menace of air pollution.

The Government has assured the Supreme Court that they are going to adopt hydrogen fuel. I do not know the status of hydrogen fuel. If you have it, please explain it. It may assuage the grievances of the common people.

Hon. Minister, I know that your Department is victim of the campaign that is going on against air pollution. You should not allow yourself to be termed as a villain of air pollution. We know that there are deficiencies, but you should strive hard to establish the fact that this Government is serious enough to deal with this air pollution and climate crisis.

What are we observing here? I have the highest regard for the hon. Health Minister. It has been reported that he suggested to the common people that आप लोग गाजर खाते रहो, गाजर खाने से पॉल्यूशन कम होगा। हमारे पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर साहब कहते हैं कि गाना सुनते रहो। इस तरीके के फिलपेंट comment अगर आप लोगों की तरफ से आते रहें, देखिये, खबर पेपर में निकली है, मैं कुछ बना कर नहीं बोलता हूँ, तो बुरा असर होगा।... (व्यवधान) गोयल साहब ने कहा कि हम ऑड इवन नहीं मानेंगे। न मानने से क्या फर्क पड़ता है? सिंगापुर में ऑड इवन है। पेरिस में है, जर्मनी में है। सिर्फ खिलाफत करने के लिए कुछ बोलना नहीं चाहिए। ऑड इवन अच्छा है। साथ ही साथ मेरी सलाह यह है कि राज्य की सरकार, केन्द्र की सरकार को मिलकर एक कॉन्सर्टेड एफर्ट लेना चाहिए। बचपन में मैंने एक छोटी सी लाइन पढ़ी थी- No one can tell me - no one knows - where the wind comes from and where the wind goes. कोई नहीं जानता कि हवा कहां से आती है और कहां जाती है। सब का मिलकर, यह कॉन्सर्टेड एफर्ट होना चाहिए। दिल्ली हमारा बुरा करती है, कोई

कहता है कि हरियाणा और पंजाब की वजह से ऐसा हो रहा है, यह trading of blame cannot bring any tangible benefit to us. We should avoid the trading of blame, rather we should concentrate ourselves to deal with the situation in a concerted and coordinated manner.

कल मान साहब बोल रहे थे कि पंजाब के किसान क्या करें, उनके पास विकल्प/साधन नहीं है। अगर वे धान पैदा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? सर, सिर्फ एक किलो धान पैदा करने के लिए पाँच हजार लीटर पानी की जरूरत होती है। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा, हम किस तरीके से इस स्थिति का मुकाबला करें।

इसलिए मैं यह बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश में क्लाइमेट जस्टिस क्या है? There is a need for climate justice because citizens suffer from the threat which has emanated from climate change. Why should the common people be the victims of the lackadaisical and cavalier approach adopted by the Government whatsoever? They always enjoy the fundamental right to breathe fresh air. I think, it is right of life enshrined in our Constitution.

We need a climate-smart economy. For the convenience of the hon. Minister, a climate-smart economy is an extremely profitable economy. It is an economy that will create more jobs and leave us greener and better. यह मैं नहीं एक एनवायर्नमेंटलिस्ट Songwe ने बताया है। We need a strong governance system to move the climate discourse and actions forward. महोदय, हमें पता चल गया कि हमारे देश में क्लाइमेट क्राइसिस है, हमारे देश में प्रदूषण है। इसका मुकाबला करने के लिए हमें एडाप्टेशन कैसे करना पड़ेगा, हमें रेज़िलीएंस लाना पड़ेगा। हमारे एडाप्टेशन मेजर्स क्या हैं? हम तो वही पुरानी आदत बरकरार रखते हुए चल रहे हैं। हमें इसका मुकाबला करने के लिए एडाप्टेशन

मीजर्स लेने चाहिए । What are the adaptation measures that we have adopted? You should introduce climate literacy; and you should create climate warriors and climate activists. A 16-year old girl, Greta Thunberg, had exhibited to the world her guts and gumption for protecting the environment. She has awakened the conscience of the world.

मैं जावड़ेकर साहब से यह जरूर कहूँगा कि आपको हमारी दो-चार टिप्पणियाँ तो सुननी ही पड़ेंगी, क्योंकि आप मिनिस्टर हैं । Under the NDA Government, the Minister of Environment and Forest appears to be a pro-business entity focussing on environmental clearance rather than on conservation and pollution prevention. Climate change was not mentioned even once in the Budget speeches of 2015-16, 2016-17, 2017-18 and 2018-19. So, never have you uttered a word about climate change in your Budget speeches in the last so many years. It does show that you are less sensitive to the gravity of the menacing proportion of air pollution. The average number of days for clearance of projects have gone down from 223 days in 2016 to 140 days in 2018 in a hurry to appease business houses at the cost of environment.

The National Clean Air Programme covers only 102 cities. The other day you were citing this figure. It excludes nearly half of the cities of India that flout air pollution norms. The objective of the National Clean Air Programme is to reduce the concentration of specific particulate matters by 20 to 30 per cent by 2040. But even then do you think that this is the healthy level? So, you have to be more serious.

I know climate crisis is a problem which has to be tackled at a global level that India has been pursuing.

Last but not the least, everybody of us should be taught:

नजर बदलो, नजर बदलने से नजरिया बदलते हैं,

सोच बदलने से सितारे बदलते हैं ।

कशियां बदलने की जरूरत नहीं,

दिशा बदलने से किनारे खुद-ब-खुद बदल जाते हैं ।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): महोदय, आज मुझे बहुत अच्छा लगा है कि शायद ही अनेक वर्षों में पहली दफा एक विषय की चर्चा सदन में तीन दिन चल रही है।...(व्यवधान) मैं उनको ही बधाई दे रहा हूँ। आपकी संवेदनशीलता और बाकी सभी सदस्यों ने जिस तरह से चर्चा में भाग लिया। इस बार दोनों विषय थे। इस बार पॉल्यूशन का विषय भी था और क्लाइमेट चेंज का विषय भी था। दोनों का एक-दूसरे से रिश्ता है, फर्क भी है, लेकिन समझने की जरूरत है, क्योंकि दोनों विषय सही हैं। इसलिए जहाँ से शुरू हुआ, अभी हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती मना रहे हैं, तो मैं इसमें उन्हीं का एक शब्द लेता हूँ कि यह दुनिया, यह पृथ्वी, पृथ्वी पर बसे सभी लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन लालसा को पूरा नहीं कर सकती। It can take care of needs of everybody but not the greed of everybody.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : There is sufficiency in the world for the need of the people, but not for their greed.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: That is what I am saying. So, he told us about the basic principle of need and greed. दूसरा मुद्दा यह भी है कि एक ही पृथ्वी है। जनसंख्या बढ़ रही है। रिसोर्सेज उतने ही हैं या थोड़े-थोड़े कम हो रहे हैं। इसलिए हमारी लाइफ स्टाइल से लेकर हर विषय और आपने जिस क्लाइमेट जस्टिस का उल्लेख किया, वह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन, इस विषय में जाने से पहले सभी माननीय सदस्य, जिन्होंने इसमें भाग लिया, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए। उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ-साथ उन सबका मैंने नोट लिया है। उसमें जो अच्छे-अच्छे बिन्दु आए हैं, जो सुझाव आए हैं, उन पर हम जरूर विचार करेंगे, यह मैं पहले आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ।

एक बात है कि यह क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन में फर्क को समझना चाहिए। क्लाइमेट चेंज का कारण है - कार्बन डाई-ऑक्साइड का उत्सर्जन। ये सैकड़ों

साल पृथ्वी पर बने रहते हैं, वातावरण में बने रहते हैं। पॉल्यूशन के लिए जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वे थोड़े समय के लिए रहते हैं और फिर उड़ जाते हैं। इन दोनों में यह मूल फर्क है।

महोदय, मैं पहले क्लाइमेट चेंज का पाँच मिनट में वर्णन करूंगा। भारतीय जीवन पद्धति ऐसी है कि हम सारी चराचर सृष्टि को एक मानते हैं। व्यक्ति, समष्टि, सृष्टि और परमेश्वर, इस तरह हम जाते हैं। इसका मतलब फल है, पशु है, पेड़ है, पानी है, पृथ्वी है, पशु-पक्षी हैं, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा हैं। यह जीवन एक है। केवल मनुष्य को सबको मारने का अधिकार है और बाकी सबका काम केवल हमारे पेट में जाना है, यह नहीं है, बल्कि सबको अस्तित्व का अधिकार है, ऐसा मानने वाली यह संस्कृति है।

दूसरी बात है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल में कितने पर्यावरणपूरक हैं? पेड़ों के लिए इस देश में 300 से ज्यादा लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं। पेड़ कटने की बजाय हमारे सिर कट जाएं तो भी चलेगा, राजस्थान में जिस तरह से खेजड़ी में यह काम हुआ और बिश्नोई समाज के बहुत जांबाज लोगों ने यह करके दिखाया है, यह भारतीय जीवन मूल्य है। इसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने पेरिस में बहुत जोरदार तरीके से किया कि भारत की जीवन-शैली है कि हम धूप में ही अपने कपड़े सुखाते हैं, ड्रायर में नहीं सुखाते। हमारे यहां बच्चों के लिए जो कपड़े हैं, वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते हैं। एक पीढ़ी के बच्चों से दूसरी पीढ़ी के बच्चों को और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी और इसी तरह चौथी पीढ़ी के बच्चों को वही कपड़े पहनाए जाते हैं। यह हमारी मूल संस्कृति है और हमारा जीवन, जो एक तरह से पर्यावरण पूरक है, यह उसका उदाहरण है। इसलिए उन्होंने दो वाक्य लिखे कि लाइफ स्टाइल बदले बिना हम इस पृथ्वी पर होने वाले अत्याचारों को समाप्त नहीं कर सकते। मुझे खुशी है कि पेरिस एग्रीमेंट के प्रियम्बल में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो क्लाइमेट जस्टिस की बात की और जिसकी बात अभी आपने भी की है, उसे और लाइफ स्टाइल, इन दोनों मुद्दों का समावेश हुआ है। इसका मतलब कि दुनिया ने इसे मान लिया है।

जब दूसरी औद्योगिक क्रांति हुई, तब जो फैक्ट्रियां शुरू हुईं, उनमें जो कोयले को जलाना शुरू हुआ और उसके कारण जो कार्बन उत्सर्जन हुआ, वह बहुत हुआ। पृथ्वी में अदरवाइज बैलेंस है। मनुष्य साँस से जितनी कार्बन डाई-ऑक्साइड छोड़ता है, उसे वनस्पति सोख लेते हैं और वनस्पति हमें ऑक्सीजन देते हैं, यह एक नैचुरल बैलेंस है। लेकिन, जब नया और आधुनिक उत्पादन शुरू हुआ तो वह कोयले के कारण हुआ और कोयला जलाने के कारण कार्बन डाई-ऑक्साइड वायु का जो अधिक उत्सर्जन हुआ, वह जमा रहा। वह सैकड़ों साल जमा रहता है और उसके कारण पृथ्वी पर जो सूरज की गर्मी से उत्पन्न होने वाला तापमान है, वह बाहर होकर दूर जाता नहीं है और इसलिए पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। यह उसका एक सिम्पल फेनोमेनन है जो जलवायु परिवर्तन है, उसके लिए भारत जिम्मेवार नहीं है। अमेरिका में 16 टन का कार्बन उत्सर्जन है, यूरोप में 13 टन का है, चीन में 8 टन का है, लेकिन भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 2 टन भी नहीं है। यह 1.9 टन है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।

दूसरा, आज दुनिया के क्लाइमेट चेंज में बहुत कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। जहां तक कार्बन एमिशन की बात है, हमारा कार्बन एमिशन 4 परसेंट भी नहीं है, बल्कि यह 3 परसेंट है। बाकी दुनिया का बहुत ही अधिक है। We are not cause of the problem, but ultimately, we are suffering and everybody is suffering. So, as a responsible country, India has decided to become a part of the solution.

आज हमने पेरिस में अगुवाई की और वहां हमने चार बड़े संकल्प किए। पहला संकल्प यह किया कि हम मिक्स एनर्जी में 40 परसेंट रिन्यूएबल एनर्जी लाएंगे, क्योंकि हमें कोल का प्रयोग कम करना है। इससे जरा भी प्रदूषण तथा कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। इसको हमने तय किया है। जब प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की कि हम 1,75,000 मेगावाट की नवीन ऊर्जा तैयार करेंगे, तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि जो 1,75,000 मेगावाट का एलान

किया गया था, उसमें विगत चार सालों में 80,000 मेगावाट तैयार होने लगा। इसमें सोलर, विंड और बायोमास है। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : जावड़ेकर साहब, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर: चौधरी साहब, आप एक मिनट के लिए रुकिए। I am not yielding, please. ... (Interruptions) I will take your questions afterwards. ... (Interruptions)

आपको डिस्टर्ब करने की आदत नहीं है, लेकिन इससे दूसरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ... (व्यवधान) मैं आपको बाद में बता दूंगा। यह किसी पार्टी की बात नहीं है। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। यह सबका विषय है। अभी पिछले महीने हम न्यूयार्क में थे। वहां यू.एन. असेम्बली में प्रधान मंत्री जी ने खड़े होकर भारत की तरफ से कहा कि अभी तक हमने 1,75,000 मेगावाट के अपारंपरिक ऊर्जा का लक्ष्य रखा था। अब हम इसको बढ़ाकर 4,50,000 मेगावाट कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने घोषणा की और इस पर हम चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ष 2030 से पहले ही हमारे मिक्स एनर्जी में 40 फीसदी सोलर, विंड तथा बायोमास एनर्जी की सहभागिता रहेगी।

दूसरा, इसका हमने खुद टारगेट किया है। इसको हम नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस बोलते हैं। उसमें हमने टारगेट लिया है कि हम एमिशन इन्टेन्सिटी 35 फीसदी रिड्यूस करेंगे। आज हमारा जो एमिशन है, वह बहुत ही कम है। एमिशन कम करना एडवांस्ड कंट्रीज का मुद्दा है और हमें एमिशन इन्टेन्सिटी कम करनी है। एक डॉलर का जीडीपी तैयार करने के लिए आज जितनी ऊर्जा खपत होती है, वह कम ऊर्जा में कैसे खपत होगी। इससे एनर्जी एफिशियन्सी भी बढ़ेगी और हम एमिशन इन्टेन्सिटी भी रिड्यूस करेंगे। इसके लिए हमने सारे उद्योगों के मानक बदल दिए हैं। सबको नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के लिए कहा गया है। पहले उत्पादन में जितना कार्बन उत्सर्जन होता था, अब उतना नहीं हो रहा है। अब यह हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए हमने 3,500 पॉल्यूटिंग करने वाली इंडस्ट्रीज की चिमनी पर 24x7 मॉनिटरिंग मशीन लगाई है। जहां से उनका डिस्चार्ज वाटर निकलता है, वहां मशीन लगाई है। इस प्रकार से हमने

यह दूसरा काम किया है। मुझे खुशी है कि आज हमारी 22 परसेंट एमिशन इन्टेन्सिटी रिड्यूस हो गई है। अब हमें इसे 35 परसेंट करना है। अभी पेरिस के अमल को शुरू करना बाकी है। आज हमने जो काम किया है, उसका यह उदाहरण है।

इसके अलावा, हमने जो तीसरा टारगेट लिया है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमको पता है कि जब हम पेड़ लगाते हैं, तो वे हवा से कार्बन सोखते हैं और उसी से लकड़ी बनती है। हम आने वाले 10 सालों में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट का निर्माण करेंगे। फॉरेस्ट के लिए हमने बहुत बड़ा उद्देश्य रखा है। दुनिया में किसी ने जंगल बढ़ाने के लिए इतना बड़ा उद्देश्य नहीं रखा है। मुझे खुशी है कि पिछले चार सालों में हमने देश में ग्रीन कवर लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ाया है। यह जंगल में तथा जंगल के बाहर भी बढ़ा है। हम समझते हैं कि जंगल पूरा कट रहा है, लेकिन आज भारत का ग्रीन कवर बढ़ रहा है। यह केवल दो देशों का बढ़ रहा है, उसमें से एक भारत है। इसकी हम सबको खुशी होनी चाहिए।

तीसरा, एक अंतिम गोल लिया। प्रधान मंत्री ने पिछले महीने जब यहां लैंड डीग्रेडेशन पर कॉप-14 हुआ, तब प्रधान मंत्री जी ने घोषित किया कि भारत ...(व्यवधान) कॉप-25 में मैं अभी जाऊंगा। कॉप-14 लैंड डीग्रेडेशन के मुद्दे पर था, जो नई दिल्ली में हुआ था। उसमें यह हुआ कि 26 मिलियन हेक्टेअर्स, 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेअर्स भूमि जो आज बंजर पड़ी हुई है, उस बंजर भूमि को फिर से हरित करने के लिए जो भी करना पड़ेगा, भारत उसे 10 साल में करेगा। यह एक नया टारगेट प्रधान मंत्री जी ने देश के सामने रखा है और उस पर काम चल रहा है। ये महत्वपूर्ण मुद्दे क्लाइमेट चेंज के संबंध में हैं।

लास्ट में, मैं दो बातें इस पर कहूंगा। हम हमारे रास्ते पर चल रहे हैं, अब दुनिया को चलना है। अगले महीने मैं स्पेन में कॉप-25 में जाऊंगा। उसके बारे में भारत की भूमिका सीधी है कि भारत अपना काम कर रहा है। हर देश को इसे करना चाहिए। पेरिस में जो वादा सबने किया, वह निभाना पड़ेगा, यह हमारा कहना है। इसके लिए विकासशील देशों को फाइनेंस मिलना चाहिए, जो

100 बिलियन डॉलर्स कबूल किया था और टेक्नोलॉजी ऐट कॉस्ट मिलनी चाहिए, अफोर्डेबल कॉस्ट पर मिलनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, तो यह बदलाव जल्दी नहीं आ सकता है।

बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्लियरेंस कर रहे हैं। मैं आपका बताता हूँ। मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेस्ट उदाहरण देता हूँ। दिल्ली की मेट्रो आप देख रहे हैं। दुनिया की वन ऑफ दी बेस्ट मेट्रो यहां पर है। मैं जब दिल्ली में वर्ष 2003 में आया, तब यहां पहली मेट्रो लाइन बनी थी। अब 10-12 लाइंस हो गई हैं। इसमें 274 स्टेशंस हैं, 355 किलोमीटर की मेट्रो रेलवे है, 50 लाख लोग रोज पर्यावरणपूरक प्रवास करते हैं, 4 लाख गाड़ियां जो अदरवाइज सड़कों पर आतीं, वे नहीं आती हैं, लेकिन उसके लिए जो स्टेशंस बनाए, मेट्रो का विकास किया, तब कुछ पेड़ काटने पड़े। पेड़ काटने पर हमारी एक पॉलिसी है कि एक पेड़ काटो तो पांच पेड़ लगाने पड़ेंगे, बढ़ाने भी पड़ेंगे। मुझे खुशी है कि दिल्ली की मेट्रो के लिए जितने पेड़ काटे गए थे, उससे पांच गुना ज्यादा पेड़ बढ़े हैं। वे दिखाई देते हैं। कहां हैं, आपको भी कभी दिखाएंगे। पेड़ भी बढ़े, जंगल भी बढ़ा और लोगों को पर्यावरण की इतनी सुविधा हुई। यह सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल है। पर्यावरण की रक्षा भी ... (व्यवधान) मैं बता रहा हूँ। वहां भी यही होने वाला है। मूल मुद्दा ऐसा है कि विकास भी और पर्यावरण की रक्षा भी, दोनों साथ में हमें करनी है।

अब पोल्यूशन पर आते हैं जिसकी चर्चा आज दिल्ली और सारे देश में है। इसमें एक नया फैक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास आज के आंकड़े आए हैं। जैसे कल के आंकड़े थे, अभी निहाल चंद जी बताया कि 300 मानक से ज्यादा प्रदूषण वाले शहर बागपत, भिवंडी, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, हिसार, कानपुर, कुरुक्षेत्र, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, नोएडा, पानीपत, पटना, यमुना नगर, सभी जगह पीएम 2.5 की 300 से ज्यादा पोल्यूशन की मात्रा है। यह लोगों की चिंता जताती है। यह एयर क्वालिटी इंडेक्स कहां से आया? प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी होता है, जब प्रॉब्लम है, यह रेकग्नाइज करते हैं। इसलिए प्रधान मंत्री जी ने वर्ष

2015 में एयर क्वालिटी इंडेक्स लाँच किया। आज 730 जगहों पर उसका परीक्षण होता है, 344 शहरों में परीक्षण होता है। यह उन्होंने करके दिखाया। ...(व्यवधान) आज यह यहां 300 से ज्यादा है।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: एयर क्वालिटी इंडेक्स अमेरिका से चालू हुआ।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: वह अलग है। हमने ढूंढा नहीं है। भारत में पहली दफा हम लाए। मैं एक नया मुद्दा बता रहा हूँ। जब हम प्रदूषण की चर्चा करते हैं, इतने शहरों में इंडेक्स तीन सौ से ज्यादा है, मैंने पढ़ा है। अभी तिरुअनंतपुरम में 45 है, एल्लोर में 35 है, रामनगर में 48 है, अजमेर में समुद्र नहीं है लेकिन 90 है, अलवर में 96 है, औरंगाबाद में 85 है, कोयम्बटूर में 54 है, गांधी नगर 72 है, हल्दिया में 96 है, मैसूर में 52 है, नासिक 100 है, दिल्ली का 400 है, यह पहले ही बताया। आप थोड़े समय जागते हो और थोड़े समय सोते हो। ऐसा मत कीजिए। तिरुपति में हम सभी जाते हैं, इन्होंने सही कहा कि उसकी कुछ दूरी पर सागर है। ज्योग्राफी भी एक मुद्दा है, मैं यही बताना चाहता हूँ। ज्योग्राफी के बारे में ऐसा क्यों होता है कि देश के एक हिस्से खासकर इंडो गंजेटिक प्लेन में सबसे ज्यादा प्रदूषण है क्योंकि गंगा से भी नमी आती है, हिमालय से भी नमी आती है, ठंड हवा होती है या जब हवा की स्पीड कम होती है। दिल्ली की स्थिति है उसे ट्रॉफ बोल बोलते हैं, जोकि बोल जैसा है। बोल जैसा होने के कारण हवा बीस किलोमीटर से चलेगी तो हवा साफ हो जाती है। लेकिन जब विंड की स्पीड बीस किलोमीटर से कम होती है तब हवा वहीं की वहीं रहती है इसलिए ज्यादा पोल्यूशन की स्थिति है। मैं साइंस्ट नहीं हूँ। एक साइंटिस्ट की रिपोर्ट के आधार तीन लाइन पढ़ना चाहता हूँ। "Meteorology plays a dominant role in Delhi's air quality and also other places' air quality. 'Ventilation Index' defined as product of wind speed and mixing height is a significant factor affecting air quality. Winters are dominated by cold dry air and ground-based inversions with low

wind conditions which make the air stagnant and creates an unfavourable condition for dispersion.”

यह होता है, यह भी एक नया फैक्टर है। पोल्यूशन के चार कारण हैं। इंडस्ट्री से पोल्यूशन होता है, वाहनों से पोल्यूशन होता है, धूल से प्रदूषण होता है, बायोमास बर्निंग से प्रदूषण होता है। हरेक विषय में पिछले चार-पांच सालों में क्या-क्या काम हुए हैं, उस बारे में भी बताऊंगा। उपाय होना जरूरी है, रोज काम करना जरूरी है। यह चुनाव का मुद्दा नहीं होता है, पार्टी का मुद्दा नहीं होता है। यह सभी लोगों का मुद्दा है क्योंकि हम सभी सांस एक ही हवा में लेते हैं। हमें हवा साफ करनी है, यह हमारा अधिकार होना चाहिए। उसके लिए क्या काम चल रहा है, उस बारे में बताऊं। इंडस्ट्री का पोल्यूशन कम हो इसके लिए यहां बदरपुर में एक पॉवर प्लांट चल रहा था, हमने उसे बंद कर दिया, वहां का पोल्यूशन खत्म हुआ। देश में और भी कई पॉवर प्लांट हैं उनके लिए नए मानक स्थापित किए गए हैं। उस स्टैंडर्ड पर नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, अनेक जगह यह आ गई है इससे उनका जो पोल्यूशन पहले होता था, वह अब कम हो गया है। ये सारी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, 24x7 मोनिटरिंग करते हैं। पेटकोक को बैन कर दिया, फर्नेस ऑयल को बंद कर दिया, 2800 उद्योग पीएनजी पर शिफ्ट हो गए, लगभग तीन हजार के आसपास ब्रिक किल्न जिगजाग टेक्नोलॉजी पर आ गए। आठ करोड़ एलईडी बल्ब देश में बांटे गए। एलईडी की वजह से लकड़ी का धुआं जलता था, वह खत्म हुआ, उसकी हैल्थ भी सुधरी, उसके साथ पोल्यूशन भी कम हुआ और लकड़ी भी बची, इससे तीनों फायदे हुए। विद्युत खपत भी हुई, उज्ज्वला आया, एलईडी आया। आज चालीस करोड़ बल्ब गरीबों के घरों में गए, उनकी बिजली की बचत हुई, उनके बिल की बचत हुई। इससे उत्सर्जन कम हुआ, कार्बन एमिशन भी कम हुआ और पॉल्यूशन भी कम हुआ। यह हमें समझना चाहिए। इस काम ने इंडस्ट्री ने सारे मानक बदल दिए। All across 17 centres of industries, we have changed and enhanced the emission control norms to have less pollution and less carbon emission. हमने उस दिशा में काम किया। सबसे बड़ा काम दिल्ली और देश के लिए हुआ है। इतने हाईवे बनते हैं, रेलवे स्टेशन और

हवाई अड्डों का विस्तार होता है। नए वाटरवेज शुरू किए। इस सबके परिणाम से प्रदूषण कम हुआ।

अब मैं इसके तीन-चार आंकड़े बताता हूँ। देश में मेट्रो लाइन 600 किलोमीटर है और 600 किलोमीटर नई बन रही है। इसमें दो करोड़ लोग प्रवास करेंगे। अभी लगभग एक करोड़ लोग प्रवास कर रहे हैं। हाईवे बन रहे हैं। दिल्ली में एयरपोर्ट जाते समय पहले धौला कुंआ में 25 मिनट लगते थे, अब लोग सीधे जा रहे हैं क्योंकि माननीय गडकरी जी ने नए रास्ते का ऐसा विकास किया। अब यहां कन्जेशन नहीं होता है, इसलिए पाल्युशन भी कम होता है। यह तो अभी किया है, पहले माननीय शीला दीक्षित जी ने किया था। ये पहले प्रधान मंत्री हैं जो कहते हैं कि मुझ से पहले आने वाले हर प्रधान मंत्री ने कुछ न कुछ किया है, इसे मानने वाले ये प्रधान मंत्री ही हैं जबकि बाकी ऐसा नहीं कहते थे।

ऐसे बहुत काम हैं। बारापुला से दिल्ली में जो हुआ, वह तो हुआ ही है। एक्सप्रेसवेज देश भर में बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, नए वाटरवेज शुरू हुए हैं। कुछ नेता बोट से वाराणसी की यात्रा कर सके, क्यों? क्योंकि वहां पानी ठीक हुआ, यह भी हमें समझना चाहिए। इस बार सबसे साफ सुथरा कुंभ हुआ।

रेलवे का विस्तार हुआ। जैसा कि हर्षवर्धन जी ने बताया कि दुनिया का पहला देश है जिसने कमर्शियल बम्बार्डियर एयरक्राफ्ट बायो फ्युल पर चलाया। इलैक्ट्रिकल बसें उस समय भी आई थीं और अब भी आई हैं। मैं तो इलैक्ट्रिकल व्हीकल लेकर आता हूँ। हम सभी मंत्रालय के वाहनों को धीरे-धीरे बदल रहे हैं। अब तक 3 लाख 28 हजार ई-व्हीकल्स के लिए जनता को सब्सिडी मिली है। इथनॉल पहले मिक्स ही नहीं करते थे, अब पांच-दस परसेंट मिक्स होता है। इससे धुंआ कम होता है, प्रदूषण कम होता है, यह हमें समझना होगा।

सबसे बड़ा बदलाव दिल्ली में ईस्टर्न और वैस्टर्न पैरिफेरल व्हीकल्स में किया गया। 60,000 ऐसे ट्रक्स दिल्ली में आते थे जिनका दिल्ली में कोई काम नहीं होता था, लेकिन दूसरा

रास्ता नहीं था इसलिए दिल्ली से गुजरते थे। अब अलग रास्ता रिंग रोड हो गया है, इसके कारण 60,000 वाहन, जो दिल्ली को प्रदूषित करते थे, नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बाहर से जा रहे हैं।

हमारे यहां प्रॉब्लम है, काम करे कोई, टोपी पहने कोई, यह काम भी हो रहा है। हम काम कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट दूसरा दे रहा है। ईस्टर्न पैरिफेरल एक्सप्रेस हमने किया। राज्य सरकार ने जो पैसा देना था, वह नहीं दिया और उसके लिए कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि अपना कन्ट्रीब्यूशन दीजिए, सड़क पूरी हो गई है। मैं आज इस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं।

डस्ट का पॉल्यूशन बहुत है। इंडो गैजेटिक बेल्ट में एलुवियल सॉएल है। हिमालय नया पर्वत है। सहयाद्री दक्षिण की सॉएल अलग है। यहां धूल ज्यादा उड़ती है। धूल उड़ने के कारण प्रदूषण बढ़ता है। धूल के कणों के लिए डस्ट सप्लेशन नए कैमिकल्स आए हैं, अब इसका उपयोग होता है और इसका सप्लेशन छः घंटे रहता है, इसके बाद फिर से सिंचाई करनी पड़ती है, स्प्रिंकलिंग करनी पड़ती है।

बायोमास बर्निंग एक बड़ा मुद्दा है। माइनिंग में भी धूल उड़ती है, उसके लिए हमने कड़ाई से नियम बनाए हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी नियम बनाए हैं और पहले अपवाद के रूप में जो सड़क से जाते थे, उसमें बहुत जगह कन्वेयर बेल्ट आई है और उसकी जगह हम और भी दूसरे नए उपाय कर रहे हैं। हम नए नियम तैयार कर रहे हैं। बायोमास बर्निंग व पराली का जो विषय है, वह सच है लेकिन, दिल्ली में भी जलता है। दिल्ली की इंडस्ट्रियल एस्टेट में जलता है। लोग कचरा जलाते हैं। यह उन राज्यों को, उन एजेंसीज को देखना चाहिए कि ऐसा नहीं हो। भारत सरकार ने खुद मशीन दी है। प्रधान मंत्री कार्यालय से रोज इसकी मॉनिटरिंग होती है और बारी-बारी से ट्रांसपोर्ट्स की मीटिंगें करते हैं। इसको हमने करके दिखाया। जैसे अमृत योजना है, बाकी अन्य योजनाएं भी हैं। हमने और भी नई-नई योजनाएं शुरू की हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी : हाइड्रोजन फ्यूल का क्या हुआ।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में और बाकी नए अल्टरनेटिव, कैसे पर्यावरण पूरक बने, हमने पहले बीएस-6 में ट्रांसफर किया, जो वर्ष 2024 में होने वाला था, अब यह वर्ष 2020 में होगा। पहले वर्ष 2014 में देश भर में बीएस-3 ग्रेड का फ्यूल मिलता था। अब बीएस-4 ग्रेड का देश भर में मिल रहा है। दिल्ली में बीएस-6 का मिलने लगा है। देश भर में 1 अप्रैल से बीएस-6 का पेट्रोल-डीजल मिलने लगेगा और वाहन भी बीएस-6 कम्प्लायंट होंगे। हमने पांच साल पहले ही उद्योगों को कहा है कि 1 अप्रैल के बाद इस टेक्नोलॉजी के पुराने वाहन नहीं चलेंगे। नई टेक्नोलॉजी के वाहन चाहिए। इसके चलते वाहनों का 80 प्रतिशत प्रदूषण कम होगा।

मैं एक आखिरी मुद्दे पर आ रहा हूँ। हमने सिटी स्पेसिफिक प्लान बनाया है। क्योंकि हर शहर की कहानी अलग है, हर शहर की बीमारी अलग है। इसके इलाज हेतु सिटी स्पेसिफिक प्लान बनाने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम तैयार किया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत यहां से पैसे भी दे रहे हैं और गाइडेन्स दे रहे हैं। हर सिटी का प्लान अलग बन रहा है। स्मार्ट सिटी, अमृत योजना एवं अन्य सभी रिसोर्सेज से पैसे उसमें डाल रहे हैं ताकि हर शहर का प्रदूषण कम हो, यह उस प्रोग्राम की कल्पना है। लेकिन एक सत्य यह भी है कि इसमें लोगों की भी भूमिका है, हम सबकी भूमिका है। हम जितने पेड़ लगाएंगे, उसका प्रदूषण कम होने में निश्चित उपयोग होता है। इसके लिए अच्छे काम कर सकते हैं, लोग पेड़ लगाते हैं, उनको पद्मश्री सम्मान मिला। यह सम्मान ऐसे लोगों को भी मिलने लगा, जिन्होंने पूरे गांव को ग्रीन किया है। किसी ने मुझे गणित करके बताया कि हम जिन्दगी में जितनी सांसे लेते हैं, उसके लिए हमें जितना ऑक्सीजन चाहिए, वह ऑक्सीजन सात पेड़ लगाकर बढ़ाने से मिल सकता है। सात पेड़ जिन्दगी भर जितना ऑक्सीजन देते हैं, वह हमारी जिन्दगी के लिए सफिशिएंट है। आज हम प्रतिज्ञा करें कि सभी लोग कम से कम सात पेड़ लगाकर पेड़ों की संख्या बढ़ाएंगे। अगर हम यह करते हैं तो हम अपनी ऑक्सीजन बैंक खुद तैयार करते हैं। हमने स्कूल में एक 'स्कूल नर्सरी' योजना शुरू की है। हम इस योजना को और आगे बढ़ाएंगे। स्कूल में नर्सरी होगी। बच्चे वहां खुद पौधा रोपण करेंगे, पौधा आएगा, उसकी परवरिश करेंगे और वर्ष के बाद जब एनुअल रिजल्ट आएगा तो एनुअल ट्रॉफी के

रूप में वह अपना बढ़ा हुआ पेड़ लेकर घर जाएगा। अगर अपने घर में जगह है तो वहां लगाएगा। यदि घर में जगह नहीं है तो किसी को जाकर कहें कि मैंने यह पेड़ तैयार किया है। क्या मेरा पेड़ आपके यहां लग सकता है? लोग हां कहेंगे। एक पेड़ लगाने की मानसिकता बढ़ानी है क्योंकि अवेयरनेस से ही काम होता है। पहले फायर क्रैकर्स कितने बजते थे। धीरे-धीरे कम होते गए। इस साल सबने महसूस किया होगा कि माहौल बदला है। मैं हर वर्ष दीपावली में अपने आवास परिसर में, जो रोड सफाई करते हैं, ड्रेनेज की सफाई करते हैं, ऐसे सभी कर्मचारियों को बुलाता हूं और उनके साथ दो घंटे बैठकर दीवाली मनाता हूं। मैंने उनसे इस साल पूछा कि फायर क्रैकर्स कितने बजे तो उन्होंने कहा कि पिछले सालों की तुलना में 10-20 परसेंट ही बजे हैं, बाकी फायर क्रैकर्स नहीं हो रहे हैं। ये नई-नई अच्छी पहल है। अगर हम एनवायरनमेंट का प्रशिक्षण स्कूल से देते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है कि बच्चे पिताजी को कहते हैं कि मुझे फायरक्रैकर नहीं चाहिए। बच्चे ऐसा कहने लगे हैं, यह नयी शुरुआत है। इसलिए पानी की बचत, पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कचरा उठाना, ट्रैफिक के नियम-पालन करना और नजदीक के काम साइकिल से करें। मैं तो 8 साल से ई-स्कूटर यूज करता हूं। मेरे घर के काम के लिए भी और मैं जब खुद चलाता था क्योंकि कांस्टीट्यूशन क्लब में जाना है या कहीं और जाना है, ...(व्यवधान) बाकी अगर कहीं बाजार भी जाना है, मुझे शौक है। मैं इलैक्ट्रिकल स्कूटर 8 साल से यूज कर रहा हूं। अब तो मंत्रालय का इलैक्ट्रिकल व्हीकल भी आ गया है, तो मैं वही यूज कर रहा हूं।

हमें लोगों का भी सहयोग चाहिए, एक जन-आंदोलन चाहिए। जन-आंदोलन के तहत इस समस्या के निदान के लिए जब हम सब अपना-अपना योगदान देंगे, सरकार भी सबको साथ लेकर काम करेगी तो मुझे विश्वास है कि अगर बीजिंग में प्रदूषण की समस्या पर अगर उनको 15 साल लगे तो हम कम समय में प्रदूषण को मात देंगे और सब मिलकर देंगे। एक नेशनल नॉलेज नैटवर्क बनाया गया है, सभी वैज्ञानिक रोज बैठते हैं। किसी की भी कोई नई तकनीक आई तो वे उसकी जांच-पड़ताल करते हैं और प्रदूषण खत्म करने के रोज नये उपायों को ढूंढते हैं। मुझे लगता है कि

यही रास्ता है और भारत जलवायु परिवर्तन में भी नेतृत्व करेगा और प्रदूषण से भी जल्दी मुक्ति पाएगा। धन्यवाद।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): माननीय अध्यक्ष जी, सारी दुनिया में भारत की उपस्थिति और देश के प्रधान मंत्री की उपस्थिति के कारण अमेरिका ने अपनी अग्रणी भूमिका बहुत सारे विषयों पर की है और भारत नेतृत्व कर रहा है और देश के प्रधान मंत्री ने इसे प्रमाणित किया है। लेकिन नीतिगत तौर पर हम लोगों ने देखा है कि एक प्रिंसिपल इसमें है-पोल्यूटर्स पे। जो पर्यावरण को खराब करेगा और इसी पर नीति आधारित है, जो क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर अभी तक है। अमेरिका क्योंकि अपने आपको इस पर्यावरण के विषय से दूर कर लेता है, जबकि सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर कोई देश कर रहा है तो वह अमेरिका कर रहा है जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर है। लेकिन वह अपने आपको इस पूरे पर्यावरण के विषय से अलग हटाकर दुनिया की राजनीति करता है। क्या भारत की सरकार और अपनी सरकार अमेरिका पर इस बात का प्रभाव डालेगी कि दुनिया भर के जो उत्सर्जन हो रहे हैं या क्लाइमेट चेंज का जो विषय है, उसमें उसकी भागीदारी हो ताकि दुनिया को इससे रिलीफ मिल सके?

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक ऐसा विषय संसद के सामने ला रहा हूँ जो शायद आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेगा और यह वायुयान से संबन्धित है। भारत ने 'कोर्सिका' करके एक समझौता कर लिया है, जिसमें जो उत्सर्जन आसमान में होना है, भारत में जो हवाईजहाज का प्रदूषण है, उस उत्सर्जन का बेस तय कर दिया है। इसका परिणाम होगा कि जिस निर्णय के साथ सिविल एविएशन मंत्रालय ने यह दस्तखत किये हैं कि भारत को आने वाले दिनों में हवाई यात्रा में महंगा पैसा देना पड़ेगा। दुनिया भर के हवाईजहाज जो विकसित होकर चल रहे हैं, वे सस्ते हो जाएंगे। भारत प्रभावित होगा। यह विषय अभी तक भारत और पार्लियामेंट के संज्ञान में नहीं आया है। इस विषय के बारे में पर्यावरण मंत्री जी को अभी आगाह करते हुए मैं इस पर उनका मन्तव्य जानना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप एक साथ ही सबके जवाब दे देना। सबको अवसर देंगे। मंत्री जी सक्षम हैं।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 'कैम्पा' पर सवाल पूछा था कि 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रुपया स्टेट्स जाता है और महाराष्ट्र में भी प्लांटेशन का जो कार्यक्रम है, उस पर थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन और कैसे 'कैम्पा' फंड हर स्टेट में स्पेंड हो रहा है, उसकी क्या कुछ एकाउंटेबिलिटी है?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Speaker, Sir. Since my childhood I have been hearing that Delhi does not have a climate of its own. दिल्ली में अगर गर्मी होती है तो राजस्थान के मरुस्थल से जो हवा चलती है, उसी से दिल्ली की गर्मी बढ़ती है। दिल्ली में जाड़ा ज्यादा होता है। हिमालय से अगर विंड फ्लो करती है तो यहां जाड़ा बहुत ज्यादा होता है। अगर यहां बारिश होती है या नहीं होती है, तो वह पूर्वांचल या पूर्वी हवा से ही नियंत्रण होती है। दिल्ली का अपना कोई एटमॉस्फेरिक कंट्रोल नहीं है, फिर भी यह देश की राजधानी है और हर चीज दिल्ली से ही नियंत्रण होती है। मैंने लगभग 35 मिनट मंत्री जी के भाषण सुने। मैं यही जानना चाहता हूं कि वह थोड़े तक आए, फिर रुक गए। उन्होंने बीजिंग और क्लीन एयर मॉनिटरिंग मेकैनिज्म के बारे में कहा, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि दिल्ली की हवा अपने नियंत्रण में रखने के लिए सबकी जरूरत है। आपने सहूलियत दी है, वह ठीक है। पर, अगर आप उसका नियंत्रण दिल्ली में कर सकते हैं, राजस्थान की गर्मी, हिमालय का जाड़ा और पूर्व की बारिश पर निर्भर न हो कर, आप स्वावलंबी कब होंगे, इसके बारे में बताएं।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में दो चीजों का जिक्र किया है। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी की बात की और कहा कि उससे 80 हजार मेगावाट बिजली पैदा होने लगी। प्रधान मंत्री जी का एक बड़ा इनिशिएटिव है, लेकिन उसमें दो समस्याएं हैं। एक लिथियम बैट्री है, जिससे यह चलता है, वह पूरा का पूरा चीन ही बनाता है। उसका 90 प्रतिशत मार्केट चाइना के पास है। दूसरा, लिथियम बैट्री जो जहरीली गैस पैदा करेगी या उसकी जो स्क्रेप पॉलिसी है, उसके बारे में भारत सरकार को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि मान लीजिए 100 मेगावाट बिजली पैदा होगी, उसका प्लांट लोड फैक्टर केवल 30 प्रतिशत है। केवल 30 प्रतिशत बिजली का ही उपयोग हो पाया है। लिथियम बैट्री से पर्यावरण पर जो असर पड़ेगा, उसके बारे में क्या विचार है?

उन्होंने पीएनजी के बारे में कहा है। यदि हम पीएनजी और सीएनजी पर निर्भरता बढ़ाते हैं, तो भारत सरकार की लॉग टर्म क्या पॉलिसी है? यदि ईरान का मामला हो जाए, इराक का मामला हो जाए, जहां पीएनजी है, यदि उसके साथ गवर्नमेंट की लॉग टर्म पॉलिसी नहीं है, इसी कारण से थर्मल के गैस बेस्ड यूनिट्स 10 सालों तक नहीं चले। भारत सरकार के पास कौन-सी योजना है, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज पर उसका प्रभाव नहीं पड़े?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सभी से मेरा आग्रह है कि मंत्री जी आपकी बात को भूमिका बांधे बिना ही समझ जाएंगे।

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): सर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले नोएडा में बेनेट यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने एक टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया है, जिसके तहत स्टबल बर्निंग को बंद करके स्टबल को हाइ एनर्जी फ्यूल में कनवर्ट किया जा रहा है। उससे किसानों को भी इंसेंटिव दिया जा सकता है। वैसे ही कृषि वैज्ञानिक, स्वामीनाथन जी ने भी कहा है कि अगर बहुत जगहों पर बायोपावर्स बनें और स्टबल को मैन्यूरस में कनवर्ट करें, तो इससे किसानों को इंसेंटिव मनिवाइज या गवर्नमेंट उनसे परचेज करके उनको एनकैरेज कर सकती है कि वे स्टबल

बर्निंग न करें। उनके ऊपर कोअर्सिव मीजर्स न लिए जाएं, बल्कि उनको एनकैरेज किया जाए, उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जाए, जिससे वे एनवायरनमेंट का साथ दें। ओडिशा में नवीन सर के गाइडेंस में कार्बन सिंक्स को एनकैरेज कर रहे हैं। इसके लिए प्राइवेट संस्थानों को भी एनकैरेज किया जाए। क्या केन्द्र सरकार इसके बारे में कुछ सोचेगी?

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में 20 प्रतिशत रिडक्शन और पार्टिकुलेट मैटर 10 में 30 प्रतिशत रिडक्शन का जो राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसका स्पेसिफिक प्लान क्या है? हम उस नेशनल टारगेट को 2024 तक कैसे अचीव करने वाले हैं?

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से यह कहना है कि हम कानून बनाते हैं और राज्य सरकारें उनका पालन करती हैं। लेकिन गुजरात की सरकार ने जो सूरत पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग का कानून बनाया है और झारखण्ड सरकार ने स्टार रेटिंग का बहुत ही अच्छा नियम बनाया है, जिसके तहत वह हर वर्ष एक गैस लेंगे और हर उद्योग को उसका पालन करना पड़ेगा।

झारखण्ड सरकार ने जो स्टार रेटिंग का कानून बनाया है या गुजरात सरकार ने सूरत पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग का बनाया है, क्या उस तरह का कोई नियम पूरे भारतवर्ष में लगाने की मंत्रालय की सोच है या नहीं?

श्री पी.पी. चौधरी (पाली): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे दो क्लैरिफिकेशंस हैं। पहला पाली के बारे में है।

माननीय अध्यक्ष: आप एक प्रश्न ही पूछ लें।

श्री पी.पी. चौधरी : वहाँ पर बहुत लम्बे समय से पाली बेस्ड पावर प्लांट है। वह सारा का सारा पाली उसमें भेजा जा सकता है ताकि यह प्रॉब्लम न आए। अगर हम कहें कि किसान सरसों आदि न बोए, वह तो असंभव है, लेकिन इसको यूज करने के लिए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री क्या योगदान कर सकती है?

दूसरा क्लैरिफिकेशन यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय जी भी किसान हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से इस बात का पता है, इन्होंने पेड़ भी खूब लगा रखे हैं। अगर हम किसानों को इनसेंटिव दें, तो उसके कांसिक्वेंशियल इफेक्ट हो सकते हैं, इसके लिए कोई एक्सट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसानों को मेड़ के चारों ओर पेड़ लगाने के लिए इनसेंटिव्स दिए जाएँ, हर खेत में इस तरह से हो जाए, तो एक भी जगह बिना पेड़ के नहीं बचेगी।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, my clarificatory question relates to an answer which the hon. Minister has given today morning to Question No. 82. Para 'd' of the reply says that the Minister is working on the principle of 6Rs (Reduce, Reuse, Recycle, Recover, Redesign and Remanufacture) to combat plastic pollution.

Sir, most of the State including the Government of Kerala have decided to stop single use of plastics. It has already been banned. When the country is thinking of banning single use of plastics, why should the principles of reuse and remanufacture of plastic be followed?

DR. T. SUMATHY(A)THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH)

: Sir, I would like to ask one question to the hon. Minister through you. I had suggested during the discussion on air pollution that the Government may think about cloud pulling and bringing about artificial rain to clear the air during months like November and December which are seriously prone to air pollution. I would like to know the call of the hon. Minister in this regard.

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक छोटा-सा क्लैरिफिकेशन है। जैसा कि मैंने कहा था कि यह स्टेट सब्जेक्ट है। यदि कोई चीफ मिनिस्टर डेलिबरेटली इसमें सहयोग न करें, तो उनके साथ क्या होना चाहिए? मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मैंने यह पहले दिया भी था। जैसे दिल्ली में ग्रीन सेस लगता है। इसके तहत 15 सौ करोड़ रुपये पड़े हैं, उसमें से कोई राशि खर्च नहीं हुई। इस संबंध में मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): थैंक यू स्पीकर साहब। मिनिस्टर साहब ने अपना रिप्लाय देने के समय इथेनॉल के बारे में बात की।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, आप सबके जवाब लिखित में भिजवा दीजिएगा।

श्री नामा नागेश्वर राव : मिनिस्टर साहब ने इथेनॉल के बारे में बात करते हुए कहा कि 5 पर्सेंट से 10 पर्सेंट तक कुछ किया गया है, ऐसा कुछ कह रहे थे।

मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अभी डेवलपड कंट्रीज में 100 पर्सेंट इथेनॉल यूज हो रहा है। इससे एक तरफ पॉलूशन कंट्रोल होगा और दूसरी तरफ अपनी कंट्री के फार्मर्स को भी बेनिफिट हो जाएगा। जितना भी इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, उससे फार्मर्स का भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। इसलिए इस तरफ थोड़ा ध्यान दे दें।

अभी आप कह रहे थे कि एक आदमी के लिए सात ट्रीज की जरूरत है। यह बहुत अच्छी बात है। तेलंगाना में हम लोगों ने 176 करोड़ ट्रीज लगा दिए हैं। जब हमारा पॉपुलेशन 130 करोड़ है, तो तेलंगाना में 176 करोड़ ट्रीज भी लगा दिए गये। इसके लिए आपने अवार्ड भी दिया है। लेकिन अवार्ड के साथ-साथ थोड़ा पैसे भी दीजिए। लोग पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पैसे खर्च करने के लिए रेडी हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी : प्रकाश जावड़ेकर साहब, आपकी मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि हाइड्रोजन फ्यूल यूज करेंगे, तो इस संबंध में मैंने आपसे पूछा था कि हाइड्रोजन फ्यूल का स्टेटस क्या है? लेकिन आपने जवाब नहीं दिया था। मैं आपसे और भी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आपने बोला था कि जरूरत नहीं है। मैं यह पूछना चाहता था कि हमारे देश में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सब कुछ है, लेकिन जियो थर्मल एनर्जी में हम ज्यादा आगे क्यों नहीं बढ़ सके? मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए यह कहा था। तीसरी बात यह कि पराली की जो बात हो रही है, वह ठीक है, लेकिन यह जो सोर्स है, उस सोर्स से पराली जलाना बंद करने के लिए आपको आर्थिक सहायता करनी पड़ेगी। इस दिशा में आपने कितने रुपये का अनुमान लगाया है? और लास्ट में, carbon sequestration के बारे में आपकी क्या राय है?

माननीय अध्यक्ष: बाकी सब लिखित में दे दीजिएगा। माननीय मंत्री जी लिखित में जवाब दे देंगे। व्यवस्था दे दी गई है।

माननीय मंत्री जी।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: माननीय अध्यक्ष जी, यह अच्छी बात है कि सभी को मौका मिला, लेकिन मैं एक-एक करके शुरू करता हूँ। पहला, अभी हमारे तेलंगाना के माननीय सदस्य और सुप्रिया सुले जी, दोनों ने पूछा था। 'कैंपा' फंड से राज्य सरकारों को मिलने वाला पैसा, 15 साल से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद जो स्थिति पैदा हुई, उसके कारण वह राज्यों को नहीं मिल सका। उसके ब्याज में से हम कुछ पैसे देते थे, लेकिन हमने अगुआई करके सुप्रीम कोर्ट को यह समझा दिया कि कैसे इसका उपयोग तुरंत हो सकता है। मुझे खुशी है कि हमने सभी राज्यों के वन मंत्रियों को बुलाकर 47 हजार करोड़ रुपये सभी राज्यों को दिए हैं। इसमें महाराष्ट्र को 3400 करोड़ रुपये दिए गए हैं। आज के पृष्ठ में भी तेलंगाना व अन्य सभी राज्यों को दिए गये रुपये के आंकड़े दिए गए हैं। आज के पृष्ठ में उत्तर दिया गया है।

दूसरा, कार्बन सिंक तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमने अर्बन फॉरेस्ट्री योजना शुरू की है। मैंने एक दिन देखा कि शहरों में फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन वह एन्क्रोच होती है इसलिए वहां तुरंत कम्पाउन्ड डालने के लिए केन्द्र सरकार पैसा देगी। लेकिन वहां फिर नगर निगम, लोग, इंडस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट सब मिलकर अच्छा वन तैयार करें। वह वन हमने तैयार करने का काम शुरू किया और उसका एक उदाहरण तो पुणे है, जिसे मैंने खुद शुरू किया था। 4 साल बाद मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई कि हजारों अच्छे वृक्ष हुए, सारा माहौल बदल गया। हजारों लोग मॉर्निंग, ईवनिंग वॉक के लिए आते हैं। हजारों पक्षी आते हैं। यह जो शुरूआत हुई, ऐसा ही हर शहर में करने की जरूरत है, जिसके लिए केन्द्र सरकार रुपये देकर मदद करेगी।

तीसरा, एमिशन ट्रेडिंग का जो गुजरात का उदाहरण दिया, वह एक बहुत ही अच्छी पहल है। उसकी जानकारी हम हमारे बुलेटिन में भी दे रहे हैं, लेकिन आपके यहां भी भेजने के लिए मैं

गुजरात सरकार से कहूंगा। एमिशन ट्रेडिंग देकर उद्योगों को प्रोत्साहन देना कि आप एमिशन कम करें और एक तरह से पुरस्कार पाएं, एक नई पहल है। झारखण्ड ने जो स्टार रेटिंग की है, वह भी एक अच्छी पहल है। ऐसी अच्छी जानकारियों से सभी सदस्यों को अवगत कराने के लिए हम राज्य सरकारों से कहेंगे। यह व्यवस्था हम करेंगे।

एग्रो फॉरेस्ट्री- 'मेड़ पर पेड़' बहुत महत्वपूर्ण है और महाराष्ट्र में हॉर्टीकल्चर की योजना वर्ष 1992 से चल रही है। प्रतिवर्ष बेर, आम और अनार के एक करोड़ पेड़ लगाए जाते हैं। ये पेड़ अच्छे से बढ़ते हैं। श्री शरद पवार जी जब मुख्य मंत्री थे, तब यह शुरू हुआ था। तब से यह कंटीन्यूअसली चल रहा है। यह 99 परसेन्ट सक्सेस देने वाला कार्यक्रम है। जिस महाराष्ट्र में फल नहीं मिलते थे, अब वहां पर जहां जाओ, वहां फल ही फल हैं। एक्सपोर्ट भी होना है। तब श्री रामदास अठावले, जो मंत्री थे, उन्होंने ही साइन किया था। इस प्रकार से एग्रो फॉरेस्ट्री और हॉर्टीकल्चर का प्रोग्राम भी लेना है। रामचन्द्रन जी, आपने कहा कि why are the States banning it? In our Constitution, the States have independence to take their own stand and pass their own laws. So, many of them have banned the entire type of plastic. Many of them have banned the plastic below 50 microns. That is, in fact, banned all over India. But some of them have banned single-use plastic. We have issued directions, how to discourage people from using single-use plastic.

14.00 hrs

हर शहर के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में हम पैसे दे रहे हैं। हर शहर का शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लांग टर्म निश्चित प्लान और उसके द्वारा प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, यह तय हुआ है। एथनॉल का प्रयोग ब्राजील में ही सबसे ज्यादा होता है। पिछले बीस साल से किसान लड़ाई लड़ रहे थे कि पेट्रोल-डीजल में एथनॉल को मिक्स किया जाए। आज भारत

सरकार करोड़ों टन एथनॉल परचेज करती है और बहुत अच्छा दाम किसानों को मिल रहा है। पहले यह लॉबी के कारण नहीं हो रहा था, लेकिन अब होने लगा है। ये बदलाव हैं।

लिथियम बैट्री का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा निशिकांत जी ने उठाया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि नवीन ऊर्जा सोलर है, उसमें लिथियम का कोई मुद्दा नहीं है। विण्ड एनर्जी में लिथियम का कोई मुद्दा नहीं है। बायो फ्यूल से तैयार होने वाली ऊर्जा में भी लिथियम का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जो ई-व्हिकल्स हैं, उनमें लिथियम की जरूरत होती है। ...(व्यवधान) मैं भी यही कह रहा हूँ कि लिथियम बैट्री का मुद्दा है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क तैयार किया है, उसमें देश के सभी आईआईटीज़, देश के सभी प्रधान संस्थान, वैज्ञानिक संस्थान और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। ये सब इकट्ठा होकर कंतिन्यूसली नये-नये शोध कर रहे हैं। लिथियम के बारे में भी I am very sure that sooner than later इसके निष्पादन की पूरी योजना तैयार हो रही है कि निष्पादन शास्त्रीय पद्धति से कैसे होगा, इसके लिए हम नये रूल्स भी लाएंगे। यह मैं निश्चित कहना चाहता हूँ। तीसरा स्टबल के लिए नई टेक्नोलॉजी लाए हैं। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम उसकी तुरंत जांच करते हैं और उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करते हैं, उसका ट्रायल करते हैं, अगर वह अच्छी रहती है तो उसके ज्यादा से ज्यादा प्रचलन का हमारा प्रयास होता है।

क्लाउड सीडिंग के बारे में मैडम ने कहा। लेकिन क्लाउड सीडिंग में the issue is, for that also, you must have some cloud conditions in the atmosphere. आप कहीं भी जाकर विमान से क्लाउड सीडिंग नहीं कर सकते हैं। For that also, you require clouds and certain conditions within clouds, then only it becomes successful.

As far as Adhir Ji's concern of hydrogen, आपके मुंह में घी-शक्कर, जल्दी से जल्दी यह क्रैक हो जाए। अगर जल्दी ही हाइड्रोजन का फ्यूल मिल जाता है तो यह दुनिया भर में एक रेवोल्यूशन होगा। हम भी इस को ट्रैक कर रहे हैं और जैसे ही होता है, इस तरह की सभी

चीजों पर प्रयोग करने की भारत सरकार की मानसिकता है। जियो थर्मल के हमारे फिजिकल लिमिट्स हैं। हमारे पास सोलर ऊर्जा है जो लगातार मिलती है और इसकी हमारे यहां बहुत पोटेंशल है। आप भी गए थे और मैं भी गया था। डेनमार्क के बाद जब आइसलैंड में जाते हैं तो आइसलैंड में पूरा शहर जियो थर्मल से ही चलता है। जियो थर्मल से ही वहां सारी हीट मिलती है। हमारे यहां जियो थर्मल की वह कंडिशन तो नहीं है, क्योंकि वहां जमीन की एक विशेष स्थिति है, इसलिए उनको मिल रही है।

पराली के लिए हमने क्या किया है? पिछले दो साल में हमने 1100 करोड़ रुपये उसके लिए दिए हैं। 50 परसेंट सब्सिडी पर मशीन्स किसानों को उपलब्ध करवायी हैं और बाकी जगह कोऑपरेटिव सोसायटी को मशीन दी हैं ताकि वह उसको पराली के लिए हायरिंग करें। ... (व्यवधान) दिल मांगे मोर, यह अच्छी बात है। ऐसा होगा, आपके मुंह में घी-शक्कर। हवाई समझौते के बारे में राजीव प्रताप रुड़ी जी ने कहा है। मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी को यह बात मैं पहुंचा दूंगा।

अमेरिका क्लाइमेट चेंज से बाहर हो गया है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों का मुद्दा है। मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा कि पेरिस समझौते से अमेरिका निकल गया है, लेकिन अभी जब पर्यावरण के ऊपर संयुक्त राष्ट्र का अधिवेशन चल रहा था और उसमें हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का भाषण था, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जी पहली बार खुद पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ में आए, बैठे और उनका भाषण सुनने के बाद अपने कार्यक्रम में चले गए। यह भी है कि मन में अच्छा रखो तो कुछ न

कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए मैं फिर से सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए। जैसा मैंने कहा कि आपके सारे मुद्दे लिखित जो हैं, उन पर पूरा विचार होगा। यह मैं आपको निश्चित आश्वासन करता हूँ।

सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही तीन बज कर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.07 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fifteen of the Clock.

15.36 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty-Six Minutes past Fifteen of the Clock.

(Shrimati Meenakashi Lekhi in the Chair)

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up the Private Member's Business.

PRIVATE MEMBERS' BILLS- Introduced

(i) Constitution (Amendment) Bill, 2019*
(Omission of article 44, etc.)

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधानका और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The Motion was adopted.

एडवोकेट अजय भट्ट : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.37 hrs

(ii) Constitution (Amendment) Bill, 2019*
(Amendment of the Eighth Schedule)

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The Motion was adopted.

एडवोकेट अजय भट्ट : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.37 ½ hrs

(iii) Population Control Bill, 2019*

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छोटे परिवार के सन्नियमों को अपनाकर जनसंख्या नियंत्रण करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for population control by adoption of small family norms and for matters connected therewith”.

The Motion was adopted.

एडवोकेट अजय भट्ट : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.38 hrs

(iv) Essential Commodities (Amendment) Bill, 2019*
(Amendment of sections 3 and 7)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the
Essential Commodities Act, 1955.”

The Motion was adopted.

डॉ. संजय जायसवाल : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.38 ½ hrs

(v) Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2019*
(Amendment of section 3, etc.)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971.”

The Motion was adopted.

डॉ. संजय जायसवाल: महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.39 hrs

(vi) Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Amendment Bill, 2019*

(Substitution of new section for section 4, etc.)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003.”

The Motion was adopted.

डॉ. संजय जायसवाल: महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.39 ½ hrs

(vii) Anganwadi Workers (Regularisation of Service and Welfare) Bill, 2019*

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for regularisation of the services of Anganwadi Workers and conferring the status of not less than those of Group 'C' employees of the Central Government on such Anganwadi Workers.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for regularisation of the services of Anganwadi Workers and conferring the status of not less than those of Group 'C' employees of the Central Government on such Anganwadi Workers.”

The motion was adopted.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.40 hrs

(viii) Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2019*
(Insertion of new section 10E, etc.)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Medical Council Act, 1956.

HON. CHAIRPERSON : The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Medical Council Act, 1956.”

The motion was adopted.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.40 ½ hrs

(ix) Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill, 2019*
(Amendment of section 3, etc.)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Drugs and Cosmetics Act, 1940.”

The motion was adopted.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Item No.15 – Shri Adhir Ranjan Chowdhury – Not present.

Item No.16 – Shri Sunil Kumar Singh – Not present

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.40 ³/₄ hrs

**(x) Mandatory Basic Facilities For Neglected Senior Citizens,
Widows and Orphans Bill, 2019***

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और अनाथों को आवास, खाद्य, जल, औषध और सुरक्षा जैसी अनिवार्य मूल सुविधाओं का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

15.41 hrs

(Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

HON. CHAIRPERSON : The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for mandatory basic facilities like housing, food, water, medicine and security to neglected senior citizens, widows and orphans.”

The motion was adopted.

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.41 ½ hrs

**(xi) Education Loan to Students belonging to Economically Weaker
Section Bill, 2019***

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for education loan to students belonging to economically weaker section and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.42 hrs

(xii) Girl Child and Adolescent Girls (Welfare) Bill, 2019*

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बालिका और किशोरियों को कुपोषण, रक्ताल्पता और उन्हें रोगग्रस्त करने वाले विभिन्न रोगों से संरक्षण तथा तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the protection of girl child and adolescent girls from malnutrition, anemia and various diseases afflicting them and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

HON. CHAIRPERSON: Item Nos.20-22 – Shri Ravneet Singh – Not present

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.42 ½ hrs

(xiii) Special Financial Assistance to the State of West Bengal Bill, 2019^{*}

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of West Bengal for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Sections of people; for the development, exploitation and proper utilization of its resources and to relieve its debt burden.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of West Bengal for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Sections of people; for the development, exploitation and proper utilization of its resources and to relieve its debt burden.”

The motion was adopted.

PROF. SOUGATA RAY : I introduce^{**} the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

^{**} Introduced with the the recommendation of the President.

15.43 hrs

(xiv) Tea Garden Workers (Timely Payment of Dues) Bill, 2019*

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I beg to move for leave to introduce a Bill to ensure timely payment of dues to workers of tea gardens whose management has been directed by the Central Government to be taken over by the Tea Board *vide* Central Government Notification S.O.260(E) dated 28th January, 2016.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to ensure timely payment of dues to workers of tea gardens whose management has been directed by the Central Government to be taken over by the Tea Board *vide* Central Government Notification S.O.260(E) dated 28th January, 2016.”

The motion was adopted.

PROF. SOUGATA RAY : I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.45 hrs

(xv) Right to play Sports Bill, 2019*

DR. (PROF.) KIRIT PREMJBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to confer right to play sports on every child as enshrined in the United Nations Convention on the Rights of the Child and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON : The question is:

“That leave to introduce a Bill to confer right to play sports on every child as enshrined in the United Nations Convention on the Rights of the Child and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

DR. (PROF.) KIRIT PREMJBHAI SOLANKI : I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.45 ½ hrs

(xvi) Prohibition of Indecent Advertisements Bill, 2019*

DR. (PROF.) KIRIT PREMJBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to prohibit indecent advertisements depicting vulgarity, obscenity, violent actions or horror which adversely affect the minds of the citizens particularly of the youth and injure public morality and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave to introduce a Bill to prohibit indecent advertisements depicting vulgarity, obscenity, violent actions or horror which adversely affect the minds of the citizens particularly of the youth and injure public morality and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

DR. (PROF.) KIRIT PREMJBHAI SOLANKI : I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.46 hrs

(xvii) National Food Security (Amendment) Bill, 2019*
(Amendment of section 2, etc.)

DR. (PROF.) KIRIT PREMJBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the National Food Security Act, 2013.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave to introduce a Bill to amend the National Food Security Act, 2013.”

The motion was adopted.

DR. (PROF.) KIRIT PREMJBHAI SOLANKI : I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Item Nos. 32 and 33 – Shri Asaduddin Owaisi – Not present.

Item No. 34 – Shri Ramesh Chander Kaushik and Shri Hans Raj Hans – Not present.

Item no.36 – Shri Feroze Varun Gandhi.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.46 ½ hrs

(xviii) Representation of the People (Amendment) Bill, 2019*
(Amendment of section 62)

SHRI FEROZE VARUN GANDHI (PILIBHIT): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.”

The motion was adopted.

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Item nos.37, 38 and 39 – Shri Ashok Mahadeorao Nete – Not present.

Item no. 41 – Shri Gopal Chinayya Shetty.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.47 hrs

(xix) Constitution (Amendment) Bill, 2019*
(Amendment of article 10)

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री गोपाल शेटी : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.47 ½ hrs

(xx) Representation of the People (Amendment) Bill, 2019*
(Insertion of new section 16A)

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.”

The motion was adopted.

श्री गोपाल शेटी : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.48 hrs

(xxi) Constitution (Amendment) Bill, 2019*
(Insertion of new article 21B)

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री गोपाल शेटी : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.48 ½ hrs

(xxii) Constitution (Amendment) Bill, 2019*
(Amendment of article 15, etc.)

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

डॉ. सत्यपाल सिंह : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.49 hrs

**(xxiii) Compulsory Teaching of Vedic Education in Educational
Institutions Bill, 2019***

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि शैक्षिक संस्थानों में वैदिक शिक्षा के अनिवार्य शिक्षण तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave to introduce a Bill to provide for compulsory teaching of Vedic education in educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

डॉ. सत्यपाल सिंह : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.49 ½ hrs

(xxiv) Central Universities (Amendment) Bill, 2019*
(Insertion of new Section 3E, etc.)

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave to introduce a Bill further to amend the Central Universities Act, 2009”

The motion was adopted.

श्रीमती रीती पाठक : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.50 hrs

(xxv) Women and Girl Child (Prevention of Atrocities) Bill, 2019*

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि बालिकाओं और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों को नियंत्रित करने के लिए कठोर दण्ड, अत्याचारों के पीड़ितों के लिए पुनर्वास उपायों तथा महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अत्याचार के मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for stringent punishment to curb atrocities against girl child and women, rehabilitation measures for victims of atrocities and constitution of special courts to try cases of atrocities against women and girl child and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्रीमती रीती पाठक : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.50 ½ hrs

(xxvi) Constitution (Amendment) Bill, 2019*
(Insertion of new article 30A)

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्रीमती रीती पाठक : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूँ।

HON. CHAIRPERSON: Item No. 49. Shri Sudheer Gupta – not present.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.51 hrs

(xxvii) Opium Growers (Welfare) Bill, 2019*

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अफीम उत्पादकों के लिए कतिपय कल्याणकारी उपायों और अन्य सुविधाओं तथा तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for certain welfare measures and other facilities for Opium growers and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री सी.पी. जोशी : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

15.52 hrs

(xxviii) Special Financial Assistance for Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains in State of Rajasthan Bill, 2019*

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान राज्य में स्थित नए पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के उत्खनन सहित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों की मरम्मत, नवीकरण और परिरक्षण की लागत को पूरा करने के लिए राजस्थान राज्य को वित्तीय सहायता का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Rajasthan to meet the costs of repairs, renovations and preservation of ancient and historical monuments and archaeological sites and remains including excavation of new archaeological sites and remains situated in the State of Rajasthan.”

The motion was adopted.

श्री सी.पी. जोशी : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

HON. CHAIRPERSON: Item No. 52. Shri Rakesh Singh – not present.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22.11.2019.

Item No. 53. Shri Rakesh Singh – not present.

Item No. 54. Shri Rakesh Singh – not present.

Item No. 55. Shri Ramesh Bidhuri – not present.

Item No. 56. Shri Ramesh Bidhuri – not present.

Is there any other hon. Member who was not present at the time his/her name was called?

15.53 hrs

COMPULSORY VOTING BILL, 2019*...Contd.

HON. CHAIRPERSON: We will move to Item No. 57, resuming discussion on the Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matters connected therewith.

Shri Dushyant Singh may please continue.

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): Hon. Chairperson, Sir, I thank you.

When I was speaking last time, I was talking about the happiness factor. Elections are always a happiness factor and this time, in 2019 एक खुशी का माहौल पूरे देश में था। यह माहौल देश में इसलिए था, क्योंकि एक बार फिर से देश के आदरणीय प्रधान मंत्री जी को 282 से 303 सीटें मिलीं। इस बार वोटिंग का पर्सेंटेज भी बढ़ा। वोटिंग का पर्सेंटेज देश में लगभग 65 पर्सेंट से 70 पर्सेंट तक गया। कश्मीर में वोटिंग का पर्सेंटेज थोड़ा कम था। इस पर हमें आगे ध्यान रखना चाहिए। यह लगभग 4 पर्सेंट से कम था। वोटिंग का पर्सेंटेज क्यों बढ़ा, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम क्या किए हैं? He has given impetus to the panchayati raj and the panchayati raj institutions, उसमें जो पैसे मिलते थे, वे बहुत बढ़े हैं। चौदहवें वित्त आयोग के बाद केंद्र का पैसा सीधा पंचायत तक पहुंच रहा है, विकास पंचायत तक हो रहा है। यह विकास इसलिए हो रहा है, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने सोच रखा है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, आखिरी व्यक्ति तक हमें यह राशि देनी है।

*Further discussion on the Motion for consideration of the Bill moved by Shri Janardan Singh Sigiwal, on 12th July, 2019.

पहले भी सरकारें होती थीं, लेकिन कभी भी पैसा अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा। मोदी जी की सरकार आने के बाद मनरेगा में हमने अच्छा काम किया। मनरेगा के काम में प्रति दिन की राशि को बढ़ाया और बजट राशि भी बढ़ाने का काम किया है। आज हम भारत में डिजिटल इंडिया की बात कह रहे हैं, जिसमें गांव और अंतिम छोर के आदमी तक हम कैसे पहुंचें? भारत नेट द्वारा इसे करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत नेट ई-कॉमर्स को बढ़ावा देगा। इससे हमारे नौजवानों का आर्थिक विकास होगा। किसान का उत्पादन मंडी तक पहुंचे और किसान को उसका सही दाम मिले, इसका प्रयास हमने किया है। आज भारत एक यंग इंडिया है। यंग इंडिया में अगर आप मतदाता को देखें तो 33 से कम उम्र के मतदाता ने अच्छा मत दिया और भाजपा को दिया, इसकी वजह से हम 303 सीट जीत कर आए हैं। अगर आप विश्व में देखते हैं In Greece, there was an autocratic rule first in the 6th century BC. It was under the rule of Draco, in 621 BC, the prevailing oral laws were changed to written code. It was enforced by a court of law. It was only when Solon came to power in 6th century BC, he diluted his own powers and established a 400-member Council and set the political agenda. यह ग्रीस में हो रहा है। अगर आप यूएस को देखें, वह मोस्ट फॉवर्ड लुकिंग कंट्री है। वर्ष 1798 में जो लोग प्रोपर्टी खरीदते थे और टैक्स देते थे उनको वोटिंग का राइट था। वर्ष 1792 में 1856 तक अबोलिशन ऑफ प्रोपर्टी टैक्स का क्वालिफिकेशन हुआ। कैंटकी और नार्थ कलेना में किया। वर्ष 1924 तक हरेक व्यक्ति को अमेरिका में वोटिंग का राइट मिला।

हमें अपने देश के निर्माताओं को भी धन्यवाद देना चाहिए। जब हम उनकी ओर देखते हैं और उनकी बातें करते हैं। आदरणीय अय्यर साहब, आदरणीय एन. गोपालस्वामी, आदरणीय के.एम.मुंशी, आदरणीय मोहम्मद सैय्यद सद्दुल्ला, आदरणीय बी.सी.मिस्तल, आदरणीय

डी.पी.खेतान और चेयरमैन डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी इत्यादि ने देश के हरेक वासी को सुविधा दी। आप किसी भी सेक्स, कास्ट, क्रीड, रिलीजन और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या किसी कम्युनिटी से आते हैं, आपको मतदान का हक दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आदरणीय सरदार पटेल जी, जिन्हें आयरन मैन के नाम से जाना जाता है उन्होंने पांच सौ पचास राजाओं और महाराजाओं को देश में जोड़ने का काम किया। हम आदरणीय पटेल जी और आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से कर पाए।

16.00 hrs

भारत यंग इंडिया है। गरीब किसान, गरीब मजदूर और हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिखकर आगे बढ़े। 50-60 साल एक पार्टी जरूर रही, एक पार्टी ने राज किया। एजुकेशन के नाम पर उन्होंने जरूर काम किया होगा, लेकिन जो काम एनडीए सरकार ने किया है और जो परिवर्तन पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय वाजपेयी जी और वर्तमान प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी ने किया है, इससे लोग प्रभावित होकर विदेश से यहां आ रहे हैं, प्रवासी भारतीय देश में आ रहे हैं। अभी हाल ही में टेक्सेस में जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें देखने को मिला कि माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी की पहचान सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी है। हम ये सब एजुकेशन, इंटरनेट की वजह से कर पा रहे हैं।

अब देखने को मिल रहा है कि स्टेट में डेवलपमेंट हो रहा है। हम वोट क्यों देते हैं? क्योंकि नेता हाउस में आएंगे, पंचायत में पहुंचें, विधान सभा में पहुंचें और क्षेत्र का कार्य हो सके। हम सबके बीच में बैठकर, सबके साथ गोष्ठी करके काम कराने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे किसी प्रांत का नाम नहीं लेना है, हम देख रहे हैं कि शहरों में मतदान कम होता है और गांवों में ज्यादा होता है। गांव में हमारा दिल है, देश का दिल है। हमें खलिहान के लिए काम करना है, किसानों के लिए काम करना है, किसानों के खेत तक पानी पहुंचाना है, हर हाथ को काम देना है, स्किल लेबर

बनानी है, इंडिया को सुपर पावर बनाना है, यह हम तभी कर सकते हैं जब सब मिलकर एक साथ काम करेंगे।

जब मतदान होता है तो सबको आना चाहिए। आप बेल्जियम में देखिए, आप मतदान करें या न करें, आपको मतदान केन्द्र पर बुलाया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको मतदान करने की जरूरत है, लेकिन वहां बैठने की जरूरत है। मतदान किसी से करा नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं ताकि सबका पार्टिसिपेशन हो। यह तभी होगा जब हम सब साथ रहेंगे। कोई व्यक्ति बीमार है या उम्र में बड़ा है, तो क्या हम ओल्ड एज होम्स में पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान नहीं करा सकते हैं? क्या हम इसमें प्रवासी भारतीयों के मतदान की बात रख सकते हैं? अस्पतालों में जो लोग मतदान वाले दिन मतदान नहीं कर सकते, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? क्या उनको मतदान पत्र दूरदराज क्षेत्रों में, ओल्ड एज होम में दे सकते हैं? यह सब सरकार पर निर्भर है।

मुझे यही कहना है कि हमारा बड़ा परिवार है। हमें बड़े परिवार में सबको जोड़कर काम करना है। यह तभी हो सकता है जब सब लोग एकजुट होकर आगे बढ़ें। आदरणीय प्रधान मंत्री वाजपेयी जी ने कहा था और मैंने शुरुआत में भी कहा था – पार्टियां आएंगी और जाएंगी, सरकारें बनेंगी और बिगड़ेंगी, लेकिन देश में लोकतंत्र रहना चाहिए। आज हमारा देश हमारी मां है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने यह भी कहा था। हमारी मां है। हमारी मां को हम आगे ले जाएं। यह तभी हो सकता है जब केवल हम नहीं संपूर्ण भारत में सभी 130 करोड़ भारतवासी का इसमें योगदान मिले। आजकल चर्चा होती है कि मैं इस प्रान्त का व्यक्ति हूं, हमें सभी छत्तीस कौम को जोड़कर, प्यार के बंधन में बंधकर, हमें सभी लोगों को साथ में लेकर चलना है। जब हम प्रान्तों को साथ लेकर चलेंगे, प्यार और सद्भावना के साथ चलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, मोदी जी को देखते हुए और उनके अच्छे काम को देखते हुए देश में हम आगे बढ़ेंगे। मैं आखिरी में यह कहूंगा कि मतदान देना

हमारा एक राइट है। आप एक व्यक्ति को यह नहीं कह सकते कि आप उस व्यक्ति को मतदान दीजिए या मतदान कराइए। ये राइट इंडिविजुअल की है, ये राइट कांस्टिट्यूशन फादर ने हमें दिया था। यह राइट हरेक व्यक्ति का है, हरेक व्यक्ति के दिल का है।

आखिरी में मुझे यह कहना है कि जो भी अच्छा करना है, हम सबको साथ में लेकर काम करना है। इस देश की विजय होगी जब हम सबको साथ में लेकर देश को आगे बढ़ाएंगे। जय हिन्द, जय भारत।

DR. SATYA PAL SINGH (BAGHPAT): Thank you, Sir. कम्पलसरी वोटिंग के बारे में जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र की जो एसेंस है, लोकतंत्र की जो आत्मा है, वह यह मानती है कि आदमी को यह अधिकार दिया जाए, यह च्वाइस दी जाए कि वह क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, क्या नहीं बोलना चाहता है। अगर हम यह कहते हैं और इस प्रकार कानून बनाते हैं कि सबको कम्पलसरी वोटिंग करना चाहिए, इसका मतलब सबसे पहले लोकतंत्र पर यह एक बहुत बड़ी चोट है। इससे लोकतंत्र की आत्मा को खतरा है। जब हमें यह अधिकार ही नहीं रहा कि हम वोट देंगे, नहीं देंगे, किसको दें, क्या करें या न दें।

To start with, I am not in favour of compulsory voting. This is number one. लेकिन, वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमारे संविधान के निर्माताओं ने इस पर काफी डिस्कशन किया। जब भारतीय संविधान लिखा गया तब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आए, फंडामेंटल राइट्स आए। It is their right to get registered as a voter. वर्ष 1976 में भारतीय संविधान का संशोधन हुआ, उसके अंदर हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटिज इनकॉर्पोरेट किए, उस समय भी इस पर काफी डिस्कशन हुआ और यह तय किया गया कि वोट करने का जो अधिकार है उसको एज ए ड्यूटी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब It is a right, but it is not a duty, which means it is not compulsory and it should not be compulsory. वर्ष 2004 और वर्ष 2009 के अंदर दो बार प्राइवेट मेम्बर्स लेजिस्लेशन इसी सदन के अंदर इंट्रोड्यूश किए गए कि लोगों के लिए कम्पलसरी वोटिंग होना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि कम्पलसरी वोटिंग अगर होगी, वोटिंग कहीं ज्यादा-कम हो सकता है। जैसे जम्मू-कश्मीर की बात है, कई बार हमें इलेक्शन में फार्स नजर आता है, जब 7 परसेंट वोटिंग, 9 परसेंट वोटिंग हो रहा है और लोग सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। वहां ऐसा लगता था कि वास्तव में हम ऐसी जगह सोच सकते हैं। लेकिन, जहां हम लोगों की परिस्थिति ऐसी है कि लोगों को वोट डालने के लिए स्वतंत्रता से, आजादी से, अपनी इच्छा से अगर हम वोट नहीं डाल सकते, लोक डर की वजह से वोट करते हैं तो कम्पलसरी वोटिंग करेंगे तो हम कैसे करेंगे? जिस देश के अंदर 90 करोड़ वोटर्स हों, क्या

उस देश के अंदर हम इस बात की अनिवार्यता को तय कर सकते हैं? इसलिए 14-15 देशों में जहां पर वोटिंग करने को अनिवार्य किया गया, क्या वहां कम्पलसरी करने से वोट प्रतिशत बढ़ गया? उन देशों में जहां पर वोटिंग का अधिकार कम्पलसरी नहीं है, वहां पर जब तुलना की गई तो वहां पर प्रतिशतता का अंतर अंदाजन 7 प्रतिशत था। इसका मतलब यह नहीं कह सकते कि अगर कम्पलसरी वोटिंग हम लोग करेंगे तो उससे देश के सभी नागरिक वोट करेंगे।

हमारे संविधान के अंदर जब भी संशोधन हुआ, इस बात पर जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें। लेकिन यह अधिकार भी लोगों को दिया गया कि अगर कोई वोट नहीं करना चाहता तो उस पर जबर्दस्ती नहीं की जाएगी। जहां भी जबर्दस्ती का फैक्टर सामने आएगा, लगता है उस समय हम लोग लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। यह आदमी की इच्छा होनी चाहिए, कई बार होता है। पिछली बार यह बात चर्चा में आई थी। मैं किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहता हूं। कई बार ऐसा होता है कि जिस कैंडिडेट को टिकट दिया गया, बहुत लोग ऐसे होंगे जो उसको वोट नहीं देना चाहते हैं। अगर हम जबर्दस्ती करते हैं कि वोट देना है, कौन कैंडिडेट है, किसको वोट देना है। कौन उम्मीदवार है, कौन कैंडिडेट योग्य है कि नहीं है, क्या इस बात की हमें लोगों को आज़ादी नहीं देनी चाहिए?

आजकल प्रोटैस्ट करने का यह एक लोकतांत्रिक तरीका है कि लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। उनको यह अधिकार है कि अगर वे वोट नहीं डाल रहे हैं तो वे एक तरह से अपना प्रोटैस्ट कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि वोट के अधिकार को लेकर हम सब लोगों को इस सदन के अंदर जरूर इस बात पर चर्चा करनी चाहिए और हम सब लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा। कई बार ऐसा लगता है कि जिन लोगों से हमको वोट डालने के लिए निवेदन नहीं करना चाहिए, उनसे भी हमें जाकर निवेदन करना पड़ता है।

इस देश के अंदर दुर्भाग्य से लोकतंत्र के नाम पर एक दुष्ट, गुंडे आदमी के वोट की कीमत भी उतनी है जितनी एक पढ़े-लिखे आदमी या सांसद या विधायक के वोट की है । क्या उन दोनों को बराबर रखना चाहिए?

मैं इस बात को बराबर कहता हूं, जैसे हम लोग कई बार न्याय करते हैं, अगर कोई बकरी किसी किसान का खेत चर जाए, दूसरी तरफ हाथी खेत चर जाए और उनको रोकने के लिए हमारे पास एक डंडा है । अगर दोनों को एक-एक डंडा मारा जाए तो बकरी की टांग टूट सकती है, उसकी कमर भी टूट सकती है, लेकिन डंडा मारने से हाथी पर कोई असर नहीं होने वाला है । हम इस तरह के न्याय की बात करते हैं कि सबको वोटिंग के लिए इस प्रकार से कहा जाए । मेरे विचार से यह ठीक नहीं होगा । इसलिए सदन में चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि जो अच्छे पढ़े-लिखे आदमी हैं, उनके वोट की कितनी कीमत होगी? उसको कितना वेटेज दिया जाए और जो गुंडे लोग हैं, ठीक है, उनको हमारे संविधान में वोट का अधिकार दिया गया है, उनके वोट की कीमत कितनी होनी चाहिए?

मैं तो कई बार सोचता हूं कि एक अच्छे पढ़े-लिखे आदमी के वोट की कीमत दस गुना होनी चाहिए । दस गुना होगी तो हमारे जैसे जो सीधे-साधे लोग हैं, उनको, जो गुंडे लोग हैं, समाज के अंदर गलत काम करते हैं, उन लोगों के पास हमको नहीं जाना पड़ेगा । इसलिए हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि किसको वोट देने का अधिकार है और किसको नहीं है और किसके वोट की कीमत कितनी होनी चाहिए । लेकिन इसको कम्पलसरी करना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, बहुत लोगों ने देखा होगा । हम लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी क्या चीज है? “It is for the people, of the people, by the people.” इस बात को हम डेमोक्रेसी कहते हैं । कई बार मुझे लगता है कि यह डेमोक्रेसी नहीं है, मोबोक्रेसी है । जिसके पास ज्यादा वोट हैं, वही आता है । हम लोगों ने देखा है कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े-बड़े शहरों में जो अच्छे पढ़े-लिखे लोग हैं, वे ज्यादातर वोट ही नहीं डालते हैं । अच्छे पढ़े-लिखे लोग वोट डालने के लिए कम निकलते हैं । जितना ज्यादा

एडवांस्ड शहर है, वहां लोग वोट कम डालते हैं और हमारे झोंपड़पट्टी में रहने वाले गरीब लोग ज्यादा वोट डालते हैं। वे क्यों वोट डालते हैं, बहुत लोगों को यह बात मालूम होगी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ।

मैं एक शहर का पुलिस कमिश्नर था। वहां मैंने देखा कि एक बड़ी झोंपड़पट्टी थी। साढ़े चार बजे तक कोई वोट डालने के लिए नहीं आया। पांच बजे तक का वोट डालने का समय था। मैंने पता करवाया कि इसका क्या कारण है, तो पता चला कि साहब, अभी तक मामला नैगोशिएट हो रहा था। ये लोग 500 रुपये पर वोट मांग रहे थे और जो कैंडीडेट के लोग थे, वे 300 रुपये दे रहे थे। अभी जाकर उनका समझौता 400 रुपये में हुआ है। इसलिए अभी लोग निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। कौन लोग वोट कर रहे हैं? हम तय करेंगे कि इस प्रकार के लोग वोट करेंगे। देश मेरिट पर आगे बढ़ना चाहिए। देश क्वालिटी पर आगे बढ़ना चाहिए। आज सवेरे बच्चों के पोषण की बात की जा रही थी कि बच्चों को कुपोषण से बचाया जाए। उसमें यह बताया गया कि केवल नौ प्रतिशत बच्चे ठीक से सुपोषित हैं। अच्छे परिवारों के बच्चे भी ठीक से पोषित नहीं हैं। हम लोगों को किस प्रकार की जानकारी देते हैं, उसको कैसे आगे बढ़ाएं? ठीक इसी तरह से हम वोट की बात करते हैं, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम गुणवत्ता के आधार पर देश को आगे लेकर जाएं। रिप्रजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट में भी उसके अधिकार को अनिवार्य इसलिए नहीं किया गया कि देश को गुणवत्ता, मेरिट के आधार पर आगे ले जाने की जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई कैसा भी हो, सभी लोगों को वोट डालना चाहिए। अगर सभी लोग इस प्रकार से वोट डालने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। हमें लगता है कि कुछ लोग वोट न डालें तो अच्छा है। इसलिए वोट को कम्पलसरी न करके, लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए। लोकतंत्र का अर्थ है कि आदमी को आजादी होनी चाहिए। वह वोट डालना चाहता है या नहीं, यह बात सुप्रीम कोर्ट में भी आई, तारकुंडे समिति बनी, लॉ कमीशन ने इस पर लंबी चर्चा की। चीफ इलेक्शन कमिशनर कुरैशी साहब थे, उन्होंने इस विषय में कहा कि अगर हम 80 करोड़ लोगों के लिए यह कम्पलसरी करेंगे कि सभी लोग अनिवार्य वोटिंग करेंगे, मान लीजिए कि 80 करोड़ लोगों में से आठ

करोड़ लोगों ने वोट नहीं डाली, तो हम उनको दंड देना चाहते हैं तो उनको सजा कैसे देंगे? इसके लिए सभी को नोटिस भेजना पड़ेगा, उसके लिए कितनी मशिनरी लगेंगी, उसके लिए कितना पैसा खर्च होगा, क्या इतना पैसा खर्च करने के बाद यह देश के लिए उपयोगी हो सकता है? उसमें इतना पैसा खर्च करेंगे, इससे अच्छा है कि हम स्कूल बना दें, कहीं अस्पताल बना दें, हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए दूसरा काम करें। हम लोगों को क्वालिटी ऑफ वोटिंग की बातें करनी चाहिए। कम्पलसरी वोटिंग न करके, देश को आगे बढ़ाने के लिए गुणवत्ता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ कि अनिवार्य वोटिंग करना चाहिए, कम्पलसरी वोटिंग करना चाहिए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदय, मैं कम्पलसरी वोटिंग के प्रस्ताव पर अपना विचार प्रकट करना चाहता हूँ। सतपाल जी का भाषण सुनने के बाद मैं, मैं जो भाषण करने वाला था, उसमें थोड़ा मत परिवर्तन हो गया है। मैं इस मत से सहमत हूँ कि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि यह सभागृह डिबेट एंड डिस्कशन के लिए है। इस सभागृह में जितनी देर तक बैठेंगे, उतना ज्यादा सीखने और समझने के लिए मिलेगा। भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग किस प्रकार से अपनी बातों को रखते हैं। कुल मिला कर इस सभागृह में ज्यादा से ज्यादा समय देना, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए लाभदायक है। मुझे कारपोरेशन से लेकर लोक सभा तक जितना भी पार्टि और मतदान क्षेत्र के लोगों ने मौका दिया है, मैंने उसका पूरा उपयोग करने का प्रयास किया है। सतपाल सिंह जी का भाषण सुनने के बाद, उसकी गहराई में जाने की बहुत आवश्यकता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि कम्पलसरी वोटिंग अगर न भी होता हो तो भारत देश में ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं देश के प्रधान मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वर्ष 2014 के बाद से देश के वातावरण में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। खास कर हमारी युवा पीढ़ी बड़े पैमाने पर मतदान के लिए बाहर आती है। निश्चित रूप से वोटिंग का हायर परसेंटेज होना, देश के लिए लाभदायक है और समाज में जागृति लाने के लिए भी लाभदायक है, मैं ऐसा मानता हूँ।

एक समय ऐसा था कि 30-40 पर्सेंट से ज्यादा लोग वोट नहीं डालते थे। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि 70-80 पर्सेंट तक वोटिंग हो रही है। बदलाव की बात करते हुए, आज मैं टी.एन. शेशन साहब को भी याद करूंगा, जिन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। भारत जैसे देश में लोगों को कायदे के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, कायदे का किस तरह से सम्मान करना चाहिए, इसके बारे में एक बहुत बड़ी दिशा देने का काम टी.एन. शेशन साहब ने किया। उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया में बहुत बड़े बदलाव भी आए हैं। देखते-देखते हम लोग ईवीएम के प्रोसेस में गए। किसी को वोट नहीं देना हो, तो नोटा का भी एक प्रोसेस आ गया है। इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान दस-बीस हजार लोगों ने नोटा का उपयोग किया। इससे जीतने

वाले लोगों के मन में भी बदलाव आ रहा है कि इतना अच्छा काम करने के बाद भी मेरे विरोध में बीस हजार लोग कैसे चले गये, मेरे विरोध में दस हजार लोग कैसे चले गये। इससे एक बहुत बड़ा बदलाव भी आएगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि पर्सेंटेज ऑफ वोटिंग को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे लोकप्रतिनिधि जागरूकता से काम करेंगे।

हमारे देश में जाति प्रणाली के आधार पर भी वोटिंग होती है। मेरे समाज के इतने लोग हैं, इसलिए मैं काम करूँ तो भी ठीक है, न करूँ तो भी ठीक है, मुझे तो लोग वोट देने ही वाले हैं। लेकिन इसके साथ-साथ पर्सेंटेज ऑफ वोटिंग हाई करने की बात होगी, तो उसके मन में कहीं-न-कहीं डर होगा कि मेरे समाज के लोग 30 पर्सेंट हैं, लेकिन उसके अलावा भी 70 पर्सेंट अन्य समाज के लोग हैं। अगर वे बड़े पैमाने पर निकलकर वोट डालेंगे, तो मैं जीत नहीं पाऊँगा। ऐसी बातों से जनप्रतिनिधियों को डर लगेगा, तो वे ज्यादा-से-ज्यादा काम करके अन्य समाज के लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। इससे हम एक हेल्दी डेमोक्रेसी की ओर आगे बढ़ेंगे। जातिवाद से निकलकर एक अच्छा सिस्टम डेवलप करते हुए, देश को एक अलग दिशा में ले जाने के लिए इससे एक बहुत बड़ा लाभ होगा। इसके लिए मैक्सिमम वोट करने की दिशा में हमें काम करना होगा।

जब हम कमपल्सरी वोटिंग की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से लोगों के मन में यह बात भी आएगी, जब इसके बारे में डिबेट होगी, चर्चा होगी, तो मैं चाहूँगा कि ज्यादा-से-ज्यादा देर तक चर्चा चले। ऐसा मैं श्री मेघवाल जी से कहूँगा, इस सभा के मैक्सिमम लोग इस बिल पर चर्चा कर सकें, इसका प्रयास होना चाहिए। पार्लियामेंट में कमपल्सरी वोटिंग पर इतने घंटे बहस हुई और उसमें इतने लोगों ने भाग लिया, जब यह मैसेज देश में जाएगा, तो मतदाता के मन में निश्चित रूप से एक अलग परिणाम आएगा और वह सोचेगा कि मुझे मतदान ज़रूर करना चाहिए। किसको करना चाहिए, यह उसके विचार पर है। लेकिन मुझे मतदान करना चाहिए, यदि इस दिशा में वह जाता है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबकी होगी, मैं ऐसा मानता हूँ।

हम लोग डेमोक्रेसी को और हेल्दी तथा सुदृढ़ करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर पैसे खर्च करते हैं, हम लोग इतनी मशीनरियों का उपयोग करते हैं, इतने मैन पावर का उपयोग करते हैं, इतना करने के बाद भी अगर 30-40 पर्सेंट वोटिंग पर कोई जनप्रतिनिधि जीतकर आता है, तो सिस्टम को ऐसे ही चलने देना चाहिए या इस सिस्टम में और बदलाव की आवश्यकता है, यह भी सोचने की जरूरत है।

श्री सत्यपाल सिंह साहब के भाषण से मुझे एक बात सीखने को मिली। हो सकता है कि मैं इसे मूव करूँ, लेकिन इसको आप ही मूव कीजिए, क्योंकि आपके मन में ऐसा विचार आया है।

अच्छे-बुरे का डेफिनिशन कम-से-कम हम तो कर नहीं पाएंगे। उसकी सूची लम्बी हो जाएगी। लेकिन क्रिमिनल लोगों के बारे में यह निश्चित करना चाहिए कि उनके वोट का क्या वैल्यू हो, इसे हम लोगों को निश्चित करना पड़ेगा।

एक आदमी गुंडा है, एक आदमी बदमाश है, एक ने दो आदमियों का मर्डर किया है, वह जेल में बैठा है और वहाँ बैठकर वह चुनाव का फॉर्म भरता है और वह जीत जाता है। यह हमारी लोकशाही के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हमें उसके वोट की वैल्यू तय करनी होगी। किसी के ऊपर तीन केसेज हैं, तो उसके वोट की वैल्यू इतनी होगी, किसी के ऊपर चार केसेज हैं, तो उसके वोट की वैल्यू इतनी होगी, किसी के ऊपर पाँच केसेज हैं, तो उसके वोट की वैल्यू इतनी होगी। यदि उसको हम 50 पर्सेंट पर भी लाकर रख दें, तो ऐसे लोगों का जीतना मुश्किल हो जाएगा। यह एक अच्छी बात आपके भाषण से मुझे सीखने को मिली। मैं चाहूँगा कि आप ही इससे संबंधित एक प्राइवेट मेम्बर बिल मूव कीजिए। जिस दिन आपका बिल लगेगा, उस दिन मैं आपका समर्थन करने के लिए यहाँ पर साढ़े तीन बजे के बाद भी बैठूँगा।

आप एक अच्छी सोच लाए हैं। जो क्रिमिनल किस्म के लोग हैं, उनके वोट की वैल्यू कितनी होगी, इसके बारे में आने वाले दिनों में हमें सोचना ही पड़ेगा ताकि दुनिया भर के लोग इस बात की

चर्चा करें कि भारत में क्रिमिनल लोगों की जगह क्या है और उनकी क्या वैल्यू है। आपने यह बहुत अच्छी बात बताई।

एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी है। वह चुनाव लड़ता है और जीत नहीं पाता है। क्रिमिनल लोग जीत जाते हैं और जीतने के बाद भी वह जेल में ही रहता है, तो उसके मतदान क्षेत्र के अच्छे लोग सोचेंगे कि मेरा सांसद जेल में है, मेरा विधायक जेल में है, मेरा पार्षद जेल में है। इसके बारे में मैं कहूंगा कि हमें कोई न कोई बदलाव करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मैं मानता हूँ कि यह डिबेट और डिस्कशन होने से देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। जो पढ़े-लिखे बच्चे हैं, वे तो वोटिंग में भाग लेते ही हैं। पहले का समय चला गया। एक समय ऐसा था कि लोग बहुत बड़े पैमाने पर वोटिंग करते थे। पढ़े-लिखे, कम पढ़े-लिखे और अनपढ़ लोगों के बारे में अगर हम बात करें तो जब लोग कम पढ़े-लिखे थे या अनपढ़ थे, तब बड़े पैमाने पर वोटिंग होती थी। उन दिनों में वोटिंग करने का मतलब अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करना होता था। तब लोगों की ऐसी मानसिकता थी। मैं जब बहुत छोटा था, तब घर में खाने-पीने के भी वांदे थे, लेकिन जब वोटिंग होती थी, तो मेरे माता-पिता वोट करने जरूर जाते थे। उनके मन में कभी यह नहीं आता था कि हमारे देश ने हमें क्या दिया, दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है तो फिर हम क्यों धूप में खड़े होकर वोटिंग करें। लेकिन, जैसे-जैसे समय बदलता गया, हम सक्षम होते गए, हम बुद्धिमान होते गए, हम पैसे वाले होते गए, तो हमें लगा कि वोट देने से भी क्या फर्क पड़ता है और नहीं देने से भी क्या फर्क पड़ता है। यह देश तो ऐसे ही चलेगा। यह सिस्टम तो ऐसे ही चलेगा। जो भी बदलाव लाना है, वह हमें अपने बलबूते ही लाना पड़ेगा। इस प्रकार की मानसिकता विकसित हो गई है।

महोदय, हमारे देश के लोगों की एक अच्छी बात भी है कि भारत जैसे देश में जिन लोगों ने अंधाधुंध ढंग से देश को चलाने का प्रयास किया, देश में गड़बड़ी होने लगी, घोटाले होने लगे, तो देश के युवा वर्ग ने अपना रोल तय कर लिया कि हमको इस सारे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। इस प्रकार सही समय पर एक अच्छा नेतृत्व देश को मिल गया। देश के युवा वर्ग ने बड़े पैमाने पर

आकर वोट देना प्रारम्भ किया। इन पांच-छः सालों में देश में जो बदलाव देखने को हमें मिल रहा है, उसके लिए निश्चित रूप से हमें युवा वर्ग को क्रेडिट देना पड़ेगा इतने बड़े पैमाने पर आकर उन्होंने हमें वोट दिया। मुझे कभी-कभी यह भी लगता है कि अगर देश का युवा वर्ग भटक जाएगा तो हम इस देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन का जो लाभ इस समय के बच्चों को मिल रहा है, वही आने वाले समय में हमारे देश को आगे ले जाएंगे। अगर ये युवा वोटिंग से वंचित रहेंगे, वोटिंग में भाग नहीं लेंगे तो वापस बिना पढ़े-लिखे लोग इस सिस्टम में आ जाएंगे और वे इस देश को चलाएंगे। इस तरह फिर से एक बहुत बड़ा बवंडर देश में आ जाएगा। इसलिए मैक्सिमम लोगों को वोटिंग करनी चाहिए। मैं इसका समर्थन करूंगा।

महोदय, खासकर इस बिल पर बात करते हुए मैं इस बात को भी यहां पर उजागर करना चाहूंगा कि हम लोग इतने बड़े सिस्टम को चलाते हैं। हम चाहते हैं कि 100 परसेंट कम्प्लेक्सी वोटिंग हो और यह होनी चाहिए। साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट के कई लोग वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं। आप तो पुलिस डिपार्टमेंट से आए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बड़े पैमाने पर वोटिंग नहीं करते हैं। कॉर्पोरेशन में काम करने वाले लोग बड़े पैमाने पर वोटिंग नहीं करते हैं। जो लोग इलेक्शन ड्यूटी पर रहते हैं, उनके वोट कास्टिंग की व्यवस्था है, लेकिन वे भी वोटिंग नहीं करते हैं। इस बिल के विषय पर चर्चा करते समय कम से कम हमें यह पहल जरूर करनी चाहिए कि आने वाले समय में गवर्नमेंट के लोग वोटिंग करें। आप ड्यूटी पर हैं तो, आपको वोटिंग करने की व्यवस्था अलग से करके रखनी चाहिए। आपको उसमें भाग लेना ही चाहिए। गवर्नमेंट वोटिंग करवाती है और गवर्नमेंट के लोग ही इसमें भाग नहीं लेंगे तो काम कैसे चलेगा?

महोदय, हमें कम से कम यहां से इसका प्रारम्भ करना चाहिए और गवर्नमेंट में काम करने वाले सारे के सारे लोग वोटिंग में भाग लें, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। इस तरह की शुरुआत करने से मैं मानता हूं कि इस देश में एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि कोई बिल पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। लगभग 90 प्रतिशत से ऊपर लोग स्वयं ही वोटिंग करने के लिए तैयार हो

जाएंगे। इस प्रकार से हम लोगों में यह मानसिकता विकसित कर सकते हैं। वह समय अभी बहुत दूर नहीं है। वह समय आएगा, क्योंकि एजुकेशन लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर करेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। इन दिनों पॉलिटिकल परिपक्वता भी देश के लोगों में देखने को मिल रही है। अच्छे लोगों को चुनना लोगों ने प्रारम्भ किया है। अच्छे-बुरे लोगों की समझ भी लोगों में आई है। सरकार क्या है, सरकार के दायित्व क्या हैं और सरकार के दायित्वों को कौन अच्छी तरह निभा सकता है, यह भी लोगों को समझ में आ गया है। सोशल मीडिया ने भी बहुत बड़ा रोल अपनाने का काम किया है। इसके माध्यम से देश में होने वाली दैनन्दिन गतिविधियां लोगों के पास समय पर पहुंच जाती हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा लाभ आने वाले दिनों में हमारे सिस्टम को मिलने वाला है। कुल मिलाकर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, लोकशाही प्रणाली वाले हमारे देश में सारा पॉलिटिकल सिस्टम वोट के आधार पर चलता है। इसलिए लोगों को वोट देना चाहिए, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करने की बहुत आवश्यकता है। मैक्सिमम लोग वोट करें और साथ ही साथ सभी वोटर्स का नाम वोटर्स लिस्ट में दर्ज हो, यह सबसे बड़ी बात है। जिनका नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं है और जो वोटिंग नहीं करते हैं, हम लोग उनकी चिंता करते हैं। हर चुनाव में यह देखा जाता है कि बड़े पैमाने पर लोगों का वोटर्स लिस्ट में नाम ही नहीं होता है। ऑनलाइन सिस्टम के आने के बाद से हम लोगों को बहुत बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिल रहा है। जिन्होंने 36 घंटे ऑनलाइन अपना नाम दर्ज किया था, ऐसे बहुत सारे लोगों को वोटिंग करने का मौका मिला है। सिस्टम में खामियां हैं, लेकिन सिस्टम को चुस्त-दुरुस्त करने का काम करने में सरकार और सरकार के लोग लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को करते हुए हमें लोगों के मन में विश्वास का वातावरण निर्माण करने की बहुत आवश्यकता है। 5-6 साल में थोड़ा बहुत बदलाव इसमें देखने को मिला है, लेकिन अभी-भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। लोगों में सरकार के प्रति विश्वास का निर्माण किस प्रकार से हो, उस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब हम यह काम करेंगे तो वोटर्स को भी लगेगा कि मैं जो वोट देता हूं, वह वोट काम कर रहा है। जब मैं अपने क्षेत्र में घूमता-फिरता हूं, परेशान होता हूं,

पसीना निकलता है, तो वोटर कभी-कभी मजाक में कह देता है कि मेरा वोट काम कर रहा है। आपको घूमना-फिरना पड़ता है तो लोगों को खुशी होती है कि मैं पांच साल में एक बार वोट देता हूँ और गोपाल शेड्डी जी इन पांच सालों में कितना परेशान होते हैं। उनको इसमें एक मज़ा आता है। वोटर का लोकशाही में एक स्थान है, अपनी एक ताकत है और उसी ताकत के आधार पर ही भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को इतने अच्छे ढंग से हम चला पाते हैं। हमारे अनेक राज्य हैं और अनेक प्रकार की भाषाएं होने के बावजूद भी देश का यह सिस्टम चल रहा है, यह पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर चलने के कारण ही हम इस लोकशाही के मंदिर में बैठकर सबकी सहमति से कायदा पास करते हैं और उसको लोगों के बीच ले जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए कम्प्लसरी वोटिंग के विषय पर अपनी बात को यहां रखते हुए मैं यही चाहूंगा कि मतदाता के मन में वोट करना चाहिए, इस प्रकार के भाव का निर्माण करना चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि कम्प्लसरी वोटिंग करना या नहीं करना, इसके पहलू पर भी हम लोगों को चर्चा करनी होगी। अगर कोई बाहर गया है तो उसका क्या होगा, कोई बीमार हो गया है तो उसका क्या होगा? अनेक मुद्दे इसमें से बाहर आ सकते हैं। एक समय ऐसा भी आएगा, जब लोग कहेंगे कि सौ परसेंट नहीं तो 95 परसेंट तक वोटिंग होनी ही चाहिए। अगर 95 है तो 90 क्यों नहीं होनी चाहिए? इन सभी मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। मैं आपके मत से भी सहमत हूँ कि कम्प्लसरी वोटिंग करने से क्या यह लोगों के गले उतरेगा? क्या हम इसको अमल में ला पाएंगे? इस बारे में भी डिस्कशन हो सकता है, लेकिन मैं एक बार फिर इस बात को कहूंगा कि मैक्सिमम लोग वोटिंग में भाग लें, इस तरह के प्रयासों को हमें आगे बढ़ाना होगा। इससे हमारी लोकशाही और सुदृढ़ होगी। 30, 40 या 50 परसेंट वोट लेकर लोग जीतकर आते हैं। उसमें से भी 50 परसेंट ने वोट ही नहीं दिया है। हम इस बात का फिर कैसे दावा कर सकते हैं कि मैं बहुत लोकप्रिय हूँ? वह लोकप्रिय तभी हो सकता है, जब वह 75 परसेंट वोट लेकर जीतेगा। वही लोकप्रिय हो सकता है। 20, 30 या 40 परसेंट वोट लेने वाला सौ परसेंट लोगों का कैसे प्रतिनिधित्व कर पाएगा? यह चर्चा का विषय हो सकता है। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त

करते हुए फिर से यही कहूंगा कि मैक्सिमम लोगों को वोट करने की मानसिकता में लाने की आवश्यकता है। कम्पलसरी वोटिंग के बारे में भी जब यह सारा सदन और मैक्सिमम लोग इस पर चर्चा करेंगे तो अधिकतम लोगों का मत बनेगा और जब अधिकतम लोगों का मत बनता है कि compulsory voting is must, तो फिर उसके आगे मकेनिज्म को तय करने में भी हम लोगों जगह मिलेगी। हमें निश्चित ही इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अंत में मैं फिर एक बार अपनी बात को समाप्त करते हुए सत्यपाल सिंह जी की उस बात को सपोर्ट करना चाहूंगा कि जो क्रिमिनल लोग हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, उनके वोट की वैल्यू और भारत देश के एक अच्छे और सच्चे नागरिक के वोट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए?

माननीय सभापति : गोपाल शेटी जी, इस बिल का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं?

...(व्यवधान)

श्री गोपाल शेटी : सर, कम्पलसरी वोटिंग बिल का मैं समर्थन करता हूँ लेकिन इसके बारे में हमें बहुत ही गहराई से चर्चा करनी चाहिए। ...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): गोपाल जी, यह बिल जनार्दन सिंह सीग्रीवाल साहब का है। उनके बिल को आप समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चेयरमैन साहब यह पूछ रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री गोपाल शेटी : सर, मैंने अपनी भावना बताई है कि आखिर डिस्कस करना चाहिए। ...(व्यवधान)

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): ये पूछ रहे हैं कि आप कम्पलसरी वोटिंग सब्जेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं? चाहे कोई भी लाए। ...(व्यवधान)

श्री गोपाल शेटी : जी सर, चाहे कोई भी लाए, मैं समर्थन करता हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यह गवर्मेंट का मामला नहीं है। This is absolutely a Private Member's Bill. So, you can either oppose it or support it. There is no problem.

SHRI GOPAL SHETTY : Yes, Sir. I know that. इसलिए मैं कह रहा हूँ। ... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सर, एक विषय जो इन्होंने उठाया तो मुझे भी लगा कि कुछ इंटरवीन करना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो वोट नहीं देंगे तो क्या करेंगे? क्या उनको सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है? ऐसा भी कई सदस्यों ने सुझाव दिया है। जैसे राशन है, सरकारी अस्पताल है, लेकिन आपको लगता नहीं है, जैसा सत्यपाल सिंह जी ने कहा कि लोग 9-10 पर्सेंट से जीत कर आ जाते हैं, तो क्या होना चाहिए। कम्पलसरी वोटिंग नहीं हो तो क्या ऑप्शन हो? और कम्पलसरी वोटिंग हो, सजा भी नहीं मिले और फिर भी इम्प्लिमेंट हो जाए, ये सुझाव आने चाहिए। आप तो बहुत माननीय और वरिष्ठ हैं, तो इस पर कुछ सुझाव रखिए। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I think, Constitutional Amendment is required in order to have compulsory voting.

श्री गोपाल शेटी : सभापति जी, इसलिए मैंने कहा कि इस बारे में अभी दूसरा-तीसरा भाषण ही मैंने सुना है और हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने इसके ऊपर प्रकाश डाला कि कम्पलसरी वोटिंग होनी चाहिए। कम्पलसरी वोटिंग होते समय फिर एक बार मैंने कहा कि मैक्सिमम लोगों का क्या मत हो सकता है और लोग अपने विचार किस प्रकार से प्रकट करते हैं। कम्पलसरी वोटिंग हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। अगर मैं मुंबई के बाहर हूँ तो मुंबई के बाहर से भी मैं वोटिंग कर सकता हूँ, इस प्रकार की व्यवस्था भी है। इसी पार्लियामेंट ने एनआरआई लोगों के वोटिंग करने की क्या व्यवस्था है, वह बिल भी हमने पास किया है तो कम्पलसरी वोटिंग लागू करने में बहुत ज्यादा कोई दिक्कत आएगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। सभापति जी, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए, मैं

इस मत से सहमत हूँ कि जब मैं यह कह रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों को वोटिंग करनी चाहिए तो कम्पलसरी वोटिंग का मैं आने वाले दिनों में समर्थन करता हूँ।

धन्यवाद

श्री रवि किशन (गोरखपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे कम्पलसरी वोटिंग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, मैं इस कम्पलसरी वोटिंग के समर्थन में हूँ। कारण यह है कि कई ऐसे यूरोपियन देश हैं, जहाँ पर लोग वोट के अधिकार के लिए लड़ते हैं। They want to vote and they fight कि हमारी एक आइडेंटिटी रहती है। वहीं हमारे हिन्दुस्तान में एक लोकतंत्र है, आजाद हिन्दुस्तान है, तो इसके बहुत सारे गलत फायदे भी होते हैं, जैसे माननीय सदस्य सत्यपाल जी और गोपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सारे क्रिमिनल्स भी जीत जाते हैं, बहुत सारे गलत लोग भी जीत जाते हैं जिन्होंने देश के लिए गलत किया, इस मातृभूमि के लिए गलत किया, इस ज़मीन के लिए गलत किया। और वे जेल में रह कर जीत जाते हैं और हमें पता है कि वे क्रिमिनल है। पता है कि यह आदमी गुंडा है, यह बदमाश है, यह बाहूबली है, यह अपने बल पर जीतता है। हम लोग उनको जिता देते हैं। लोकतंत्र में यह बहुत गलत हो रहा था। जब मैं सिनेमा में आया। महोदय, मैं कलाकार हूँ। When I was doing movies, I used to get all the scripts earlier. From Drama School, I joined the movie industry. So, I used to get such scripts जहाँ पर सारी कहानियों में भ्रष्ट नेता, भ्रष्टाचार, अन्याय, भ्रष्ट पुलिस, शराब के ठेकेदार, जमीन को हथियालेने वाले लोग, these kinds of scripts used to come more. If you remember, in 1990s, उस दौरान जहाँ पर 70 साल एक राज चला और बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए और बहुत कुछ हुआ तो सिनेमा समाज का आइना है। सिनेमाकार या लेखक वही लिखता है जो उसको माहौल में दिखता है या अखबार के फ्रंट पेज पर पढ़ता है। वैसे फिल्में हम करते थे और उन फिल्मों में मैं नायक रहा, जहाँ पर भ्रष्टाचार है, एक विलन है, वोटिंग के दौरान बूथ कैप्चरिंग हो रही है, और अचानक आपने देखा कि सन् 2014 के बाद एक अद्भुत नेता के रूप में श्रद्धेय प्रधान मंत्री जी आते हैं और यह देश जो इतने सालों से त्रस्त था, यह देश इतने सालों से कुंठित था, उसने तय किया कि एक तो व्यक्ति कोई आए, कोई तो मसीहा आए, कोई तो ऐसा आदमी जाए, जो हमको जगाए, जिससे उम्मीदें हो, जो हमने सपने सोचे हैं। भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था,

जो किस्से-कहानियों में था। हमारे लोक सभा चुनावों में लोगों ने देखा जम कर वोटिंग हुई। लोग घर से निकले, लोगों ने वोट किया और एक नई सरकार आई।

16.40 hrs

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

उस सरकार ने वह सारा काम शुरू किया। जो इस देश का युवा चाहता था, इस देश का एक बूढ़ा व्यक्ति चाहता था, देश का किसान चाहता था, देश की महिला चाहती थी कि मेरा भारत ऐसा होना चाहिए। मेरा हिन्दुस्तान ऐसा होना चाहिए और वह वोटिंग के बल पर हुआ। एक सरकार गिर गई, एक सरकार खत्म हो गई, एक पार्टी खत्म हो गई और एक नई पार्टी आई, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, सिर्फ वोटिंग के बल पर। इस लोकतंत्र में एक भाव आया कि वोटिंग करना है। एक नए नेता को प्रधान मंत्री के रूप में देखना है, गरीब इंसान को प्रधान मंत्री बनाना है। वह प्रधान मंत्री आए और देश आज जागरूक हुआ। आज 65 प्रतिशत युवा-पीढ़ी है। We have the largest number of young people, nearly 65 per cent, in this country. उनके बहुत सपने हैं, जब मैं घूमता रहता हूँ, सिनेमा के दौरान या मिलते हैं, फैंस हैं तो हमसे बातें करते हैं और अधिकार भी चाहते हैं। मैं उन सब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब आप अधिकार चाहते हो, आप देश को यूएस की तरह देखना चाहते हो या ब्रिटेन की तरह क्लीन रोड्स हों और प्रोपर आर्गेनाइज्ड कंट्री। आपको वोट करना जरूरी है। आपको आपके अधिकार चाहिए, आपके पास एक ताकत है, आप यह बोल नहीं सकते कि मेरी कोई सुनता नहीं, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पावर नहीं है, आपके पास सबसे बड़ा पावर है। आपने नरेन्द्र मोदी जी को प्रधान मंत्री के रूप में लाकर बता दिया कि येस, बदलाव हो सकता है। यह देश बदल सकता है। रवि किशन को इतने लाख ऐतिहासिक वोट्स से जिता कर इस मंदिर में भेज दिया। मैं तो उनको हीरो था, लेकिन उन्होंने सोचा कि भइया को जिताना है। भइया का जिता कर मंदिर में भेजा जाएगा। अब भइया पर्दे की शूटिंग छोड़ कर सेवा करेंगे और मैं भी गोरखपुर की सेवा में लग गया, क्योंकि इतने वोट्स दे दिए, हम पागला गए, रात को नींद नहीं आती है। रात को लगता है कि अब क्या करें। यहां से निकलो,

क्षेत्र में जाओ, गाँव में जाओ, इसको देखो, इसका अस्पताल, इसका ट्रेन का टिकट बुक करवाओ, इनके ट्रांसफार्मर्स जल गए हैं, इनके इलैक्ट्रिक के बोर्ड जल गए हैं, इसको यहां एम्स में भर्ती करवाओ। पगला दिए, इतने लाख वोट्स नहीं देते तो हम इतना बौराते नहीं। मैं तो अपनी ज़िन्दगी में मस्त था।

माननीय सभापति : अभी भी खूब मस्त हैं।

श्री रवि किशन : नहीं, नहीं अभी बौराए हुए हैं। यह 65 परसेंट जो यंगर जनरेशन है, the compulsory voting is must. हमारे अद्भुत प्रधान मंत्री जी ने कहा है, यह जरूरी है इस देश में। वोट करना बहुत जरूरी है, जब आप अधिकार मांगते हो, जब अच्छी सड़कें मांगते हों, सुविधाएं मांगते हों, अच्छा एम्स मांगते हो, अच्छा अस्पताल मांगते हो, अच्छा पानी मांगते हो, क्लीन शहर चाहिए, क्लीन देश चाहिए तो आप सब को वोट करना है। क्योंकि इसी वोट के बल पर यह सरकार आई। यह प्रतिशत बढ़ा, इसी वोट के बल पर भिन्न-भिन्न, कोई डॉक्टर है, कोई कलाकार है, कोई संगीतकार है, कोई गायक है, इस मंदिर में देखिए, कितने भिन्न-भिन्न लोग आए हैं, इसी वोट के बल पर। अब नहीं सुनाई देता कि कोई बाहुबली आया है। अब कोई खूनी बैठा है। अरे, जिसने सब की जमीन हथिया ली हो, वह बैठा है। अब कोई लूट कर यहां बैठा है। बड़ा दुःख होता जब कोई लूटता है, खसोटता है, खून करता है और वह ऐसे बड़े मंदिर में बैठा रहता। भ्रष्टाचार करता और इस मंदिर में बैठता। किस अधिकार से बैठता है? इसीलिए voting should be made compulsory in this country. भारत में जरूरी है। नहीं तो आज गर्व होता, लोग बोलते नहीं, मैंने इसको चुना है। यह गलत काम नहीं करेगा। रवि किशन गलत नहीं करेगा। ये फलाने विधायक गलत नहीं करेंगे, ये सांसद गलत काम नहीं करेंगे और वह विश्वास आपको गलत करने से डरा देता है। इतने वोट आपको मिलते हैं कि आप डर जाते हो कि भाई कलंकित नहीं होना है, कोई गलत काम हमसे न हो जाए। यह पाप नहीं चढ़ना है। जीवन भर लोग उंगली उठाएंगे। क्या लेकर जाओगे, आदमी खाली हाथ जाता है।

महोदय, मैं हर व्यक्ति से कहना चाहता हूँ कि सब खाली हाथ ही जाते हैं। हमने कभी यह नहीं सुना कि कोई गाड़ी या बंगला पेट पर बांधकर ऊपर गया है। हमने कभी ऐसा नहीं सुना है। हमने तो देखा है, बनारस में लोग बॉडी से अंगूठी भी घर वाले घी लगाकर निकाल रहे थे कि अंगूठी लेकर कहाँ जाते हो। मालूम पड़ा खींचातानी चल रही थी। यह सत्य है। कुछ नहीं जा रहा है। हाँ, यह सत्य है, लेकिन फिर भी लोग लगे रहते हैं कि लूटो, लूटो, लूटो, लूटो। लूटने में देखो 70 साल लूट डाले। Voting is compulsory. Voting is must. अगर आपको अधिकार चाहिए, महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरा देश, जो इस वक्त मुझे सुन रहा है, मैं हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करता हूँ कि भइया, आप लोग अधिकार मांगते हैं, मुझसे बातें करते हैं, आपको ये सुविधाएं, फैसिलिटी चाहिए, आप सब लोग घर से निकलिए और वोट डालिए। वोटिंग के दिन आप गोवा मत जाइए। वोटिंग के दिन आप सिनेमा मत देखिए। वोटिंग का दिन आपके सिनेमा देखने का नहीं होता है। उस दिन आपकी छुट्टी नहीं होती है। वह छुट्टी का दिन नहीं है। मैं हाथ जोड़कर आपसे ऐसा कह रहा हूँ। यह देश, यह भारत, एक नया भारत, जिसे हमारे प्रधान मंत्री जी देख रहे हैं, उसमें हमें सबका साथ चाहिए। “सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास।” 130 करोड़ भारतवासियों, हर बिरादरी, हर जाति, हर धर्म का साथ चाहिए और तब यह देश बनेगा। तब हम अमेरिका को सुपर पावर नहीं कहेंगे, हम चाइना को नहीं कहेंगे, हम भारत को कहेंगे। Voting is must.

महोदय, वोटिंग बहुत जरूरी है। उसी वोट के चलते मैं यहाँ खड़ा हूँ। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मैं पूरे देश से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अगर आप देश से उम्मीद करते हो, तो आप सब लोग घर से निकलिए, मतदान कीजिए और इस देश को अद्भुत बनाइए। यह देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिसको लोगों ने लूट-लूट कर कंगाल बना दिया और यह देश सदियों से लूटा जा रहा है। अब एक अद्भुत प्रधान मंत्री आए हैं, उनका साथ दीजिए, इस सरकार का साथ दीजिए, मतदान कीजिए और आप लोगों की सारी पीड़ाएं खत्म होंगी। आप जो कहते हैं कि हमें यह नहीं मिला, वह नहीं मिला, आप वोटिंग कीजिए और अपने मन

का नेता चुनिए। आप किसी को भी चुनिए, किसी भी पार्टी का चुनिए। यह आदमी हमारा बढ़िया है, यह गाँव का अच्छा आदमी है, इसे चुनते हैं। यह बढ़िया आदमी है, यह काम करेगा। जनता को सब पता है। यह पब्लिक है सब जानती है। आप चुनिए और फिर देखिए, कैसे आपके क्षेत्र का विकास नहीं होगा? आप चुनिए और देखिए, कैसे आपका देश अद्भुत नहीं बनेगा? आप चुनिए तो सही, आप मतदान तो कीजिए। आप घर से निकलिए, यह नहीं होना चाहिए कि बाहर धूप है, थोड़ा ठंडा हो जाए तब वोट डालने जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप वोट डालने के लिए घर से बाहर निकलिए। आप भोर में ही वोट डालने के लिए निकलिए। पहले मतदान कीजिए। धन्यवाद।

महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए इतना समय दिया, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

Voting is must. पूरे देश को मतदान करना जरूरी है।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much Chairman, Sir, for allowing me to take part in this discussion on the Private Members' Bill which has been moved By Shri Janardan Singh Sigrwal, that is, the Compulsory Voting Bill, 2019.

Sir, actually, the discussion, which has taken place in this House today, prompted me to participate. After hearing, Satyapal Singh ji, Gopal Shetty ji and the recent speaker Ravi Kishan ji, in order to have the compulsory voting, definitely a Constitutional Amendment is required. This Bill is not sufficient to serve the purpose. It is because if you want to have compulsory voting, definitely, an amendment to the Constitution is required. It is required because even the Fundamental Duties which are prescribed in Article 51(A) as well as the Directive Principles of State Policy, in both these chapters – the Directive Principles of State Policy as well as the Fundamental Duties of a citizen – nothing is mentioned about compulsory voting or even encouraging of the voting process or the electoral process. It has not been stated in both the Directive Principles of State policy as well as the Fundamental Duties of a citizen, which is there in Article 51(A) of the Constitution. In such a case, I appreciate the interest and appreciate the way by which the Bill has been drafted and brought in the House as a Private Member's Bill. Definitely, that is the reason why we are able to have a discussion on the subject of compulsory voting.

When we think of the Indian Constitution as well as the parliamentary democratic system prevailing in our country, I am very proud to say that India is the biggest democracy in the world. The biggest democracy in the world means more than one billion people are participating in the electoral process or the Parliament is representing more than one billion people of this country.

If we examine the uniqueness of the Indian parliamentary democracy, I came here to the Parliament, in the Lok Sabha in the year 1996 as the 11th Lok Sabha Member. Only for 13 days, Atal Bihari Vajpayee *ji* was the Prime Minister of the country. Immediately after 13 days, a new Government came to power. The voting on the Confidence Motion could not take place. Before that, Atal *ji* resigned. Immediately, Deve Gowda *ji* assumed office as the Prime Minister of this country and Deve Gowda *ji* remained the Prime Minister for 13 months. When the Congress withdrew their support from Deve Gowda *ji*'s Government, I.K. Gujral *ji*'s Government came to power after 13 months. For six months, Gujral *ji*'s Government was there in power. That Government also lost the confidence; that Government also resigned due to various political reasons. Subsequently, election took place. Again, Atal Bihari Vajpayee *ji* came to power in the 12th Lok Sabha. Subsequent to that, that Government was in power only for 13 months; AIADMK had withdrawn their support. Next election took place and again Atal Bihari Vajpayee *ji* came to power and continued in office for five years. Again, election took place and for the next two Lok Sabhas, Dr. Manmohan Singh *ji* was the Prime Minister. The UPA Government was there in power for 10 years. After 10 years, again election

took place and Narendra Modi *ji* became the Prime Minister. Subsequently, for the second time, Modi *ji*'s Government has come to power.

The reason I am suggesting all this is this. It is because of the strength of Indian parliamentary democracy, there is transformation of power from one Government to another, that is from Vajpayee *ji* to Gowda *ji*, from Gowda *ji* to Gujral *ji*, again to Atal Bihari Vajpayee *ji*, then to Dr. Manmohan Singh *ji*, and now to the present Government led by Shri Narendra Modi *ji* in a true democratic process. That is the uniqueness of Indian parliamentary democracy. We have to appreciate that and we are all proud of it because we can examine those Governments or those countries who have obtained freedom along with India; you can very well examine Pakistan. In Pakistan, though they are saying that democracy, democratic system and everything is there, Parliament is there, but they are not even able to survive five years of Government or five years of democratic system. They are not able to survive, as far as Pakistan is concerned. About our neighbouring countries, we can very well say that. The strength of Indian democracy is to be appreciated. We are all proud of that. We are all proudly saying that ours is the biggest democracy in the whole world. So, my suggestion is that we have to strengthen the Indian democratic system. Parliamentary democratic system has to be strengthened.

Parliament is the *sanctum sanctorum* of our democracy. So, my suggestion is this. We have to strengthen the parliamentary democratic

system of our country. How to have a healthy democracy? Definitely, I do appreciate and admit the spirit of the Bill, that is compulsory voting. That means maximum voting percentage is required to have a healthy democracy. If participation of people is not there in the electoral process, then what is the meaning of democracy? Nowadays, election after election, every year, we are seeing a decline in the voting percentage of the electorate. That means we are not having a healthy democracy. That is the real meaning of it. It is because people are not believing in the parliamentary democratic system or the credibility of the democratic system is in question; otherwise people are not aware of the electoral system and the democratic system which is prevailing in our country.

So, we have to find out the reasons by which why the electoral percentage or the voting percentage is coming down. We have to research and we have to find out the reason why it is so. It is because the people are losing their confidence in the democratic system. There are so many defects and laggings in the democratic system which is prevailing in our country. That is why, people are not very much interested in coming and participating in our country. That is why, people are not very much interested in coming and participating in the electoral process. How can you compel a citizen who is not interested in participating in the electoral process to say that you must compulsorily vote if you want to get any benefit? That is not democracy. It is because not to vote is also a democratic right of a particular citizen. I am living in India. That is my right. Right to life and personal liberty guaranteed by

Article 21 of the Constitution is the prime Fundamental Right of a citizen. In order to have Right to life and personal liberty, you have to vote means you are imposing conditions on the Fundamental Rights. That can never hold good. That is why, if you want to have maximum participation of the people in the electoral process, we have to rectify the defects in the democratic system prevailing in our country for which we have to do so many things. I am coming to that.

If you examine the average voting percent, during the last so many parliament elections, it is between 60 – 65 per cent. That means 35 – 40 per cent of the people are not participating in the electoral process. The average voting percentage is very low. In such a situation, the hon. Member has moved this Private Members' Bill to have compulsory voting.

Sir, clause 8 of the Bill is imposing so many punishments. So, we cannot agree with the clause 8. This says:-

“Any person who fails to cast his vote shall be liable to a fine of rupees five hundred, two days of imprisonment, forfeiture of his ration card, be rendered ineligible for contesting any election for a period of ten years from the date of his conviction, be ineligible for allotment of a plot or a house in Government owned organisation, be ineligible to get loan of any kind from any financial institution owned by the Government, be ineligible to any welfare scheme

announced by the Government from time to time and forfeit his salary allowance. ”

We cannot agree for this provision in clause 8. That is why, I have stated the clause. I have the right to vote. At the same time, I am having the right to not to vote. Compulsory voting means that it is taking away the democratic right of a citizen of the country. So, we cannot support the proposition of having compulsory voting in our country.

How can we bring people to the electoral process or to the democratic political process? We have to bring awareness among the people and in the electorate to participate in the electoral process. I would like to make some suggestions. Shri Arjun Ram Meghwal has made some observations.

Meghwal Ji, I would like to draw your attention to this Bill. As he has already stated, instead of penalizing the citizens who have not cast vote in the electoral process, give some incentives to those who have voted in the election. How can we give an incentive? We are having an electoral identity card. Suppose at the time of casting the vote in the polling booth, the voter identity card may be renewed. We are now going from pillar to post to get the life certificate for the pension. Life certificate has to be produced before the bank or before the authorities concerned for the other social welfare pensions. So, let all the electoral identity cards be renewed in the electoral polling booth and definitely,

that will be a life certificate. Automatically, that will be an incentive as far as the citizen is concerned to go to the polling booth and to cast his vote.

Now, he is having an option for voting or to abstain from voting. That option will be there for him. He can very well abstain. Suppose he is not interested in the candidates who have been fielded up by the various political parties, absolutely he is having a democratic right to say that he is not interested in the electoral process or he is abstaining from voting for all these candidates.

17.00 hrs

Why have all the people taken this identity card? It is not with any political interest. It is not for taking part in the electoral process. Even after getting the electoral identity card, why the people are not casting their votes? They have taken the electoral identity card to use it for so many other purposes like for getting ration card, for getting Aadhaar card or for getting the welfare pension. This electoral identity card is one of the material documents by which they will get the benefits from the Government, whether it is the Central Government or the State Government. So, they are not interested in the electoral process. So, let us give some incentive or take some persuasive efforts so as to bring the people to the polling booths so that more electoral participation takes place. This is not compulsory. This is in a way to make the people access the polling booths so that they can cast their votes. If they are not interested in any candidate, they can very well abstain from casting their

votes to a particular candidate. That is the suggestion which I would like to make in the discussion on the Compulsory Voting Bill.

I fully support Shri Gopal Shetty Ji and also Shri Ravi Kishan Ji. Shri Ravi Kishan Ji has already left. This is my second alternative suggestion which I would like to make. If you are making compulsory voting or if you are insisting on compulsory voting, then a Constitutional amendment should be required; that a Government can be formed only if a party or a coalition front is having not less than 51 per cent of the total votes cast. That amendment should also come. Suppose you are making compulsory voting or you are insisting on it through a Bill to have compulsory voting of the electorates, definitely, the political party or the coalition front, which is forming the Government, should have a minimum of 51 per cent of the total votes cast.

Mr. Chairman, Sir, you may be well aware and I also know that in the Eleventh Lok Sabha, Janata Dal, a party, was having only 34 MPs in this House. I was also present. Deve Gowda Ji was the Prime Minister of our country. That is the beauty of the Indian democracy.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): प्रेमचन्द्रन साहब, वह तो पार्टी थी । मेरे स्टेट झारखंड में एक निर्दलीय चीफ मिनिस्टर बन गया । अकेला, निर्दलीय, मधु कोड़ा । So, this is the beauty of democracy.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I am saying that this is the beauty of our parliamentary democracy. Even a single party Member can become the Chief Minister of the State or Prime Minister of the country. I do not disagree with it. It

is not because I am a lone Member from my party. But still even a single Member can speak like this. This is also the beauty and strength of our parliamentary democracy.

डॉ. निशिकांत दुबे : इसका मतलब यह है कि आप भी एक दिन प्रधान मंत्री बन सकते हैं।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : You cannot rule out that chance also. So, my point is, most of the Governments are minority Governments. Even this Government is having 31 per cent of the total votes cast. If we examine, even when a Government is having two-thirds majority, a Government with a total of 51 per cent votes cast is very, very rare in our past experience.

Another suggestion, which I would like to make, is regarding electoral reforms. If you want to cure our electoral processes, definitely, electoral reforms are highly required. T.N. Seshan, the former Election Commissioner, who has recently died, made an observation at the time when he took the office of the Election Commission. What was his first observation? His first observation was that corruption begins from the date of filing nomination. So, we have to cure the defects in the electoral process. That is the theme or that is the main thing which is to be required. This Government is having an absolute majority. Even Bharatiya Janata Party is having a simple majority to rule the country, and its Government is there. Definitely, let this be the first or the prime agenda. Drastic structural electoral reforms are the need of the hour so as to strengthen and bring a healthier democratic system. So, I urge upon the Government to bring the electoral reforms.

Sir, I also want to suggest for the State funding of elections. Why should a candidate have to suffer? Nowadays, it is very difficult for the people who are not rich or are from the common families to meet the electoral expenses. Earlier most of the big houses were supporting the MPs in the House. But today they are directly coming to the House on their own. That is a drastic change which we have now seen. Money is playing a big role, a very important and significant role in the electoral process. That role has to be checked for which State funding of elections is highly required.

The other point that I want to raise is about the electronic voting system. When we seek for the compulsory voting system, many electronic experts, IT experts throughout the world are suggesting that there are many issues as far electronic voting is concerned. Even the developed countries have all come back to the manual voting. They have already left this practice of voting through electronic voting machines. Why do not India, the biggest democracy in the world, go back to the manual voting so as to have the credibility of the voting system in our country?

At present, the people have apprehensions whether it is correct or not. They are not fully sure about it. A big cloud of suspicion is there. A number of representations have already been submitted before the Election Commission. There have been a number of allegations made in respect of electronic voting machines. We, the Opposition parties have met the hon. President of India to have manual voting instead of electronic voting in the last 17th Lok Sabha

elections in our country. We have also represented before the Election Commission of India. Let us go back to the manual voting system as it is being done in the developed economies in the West.

The last point that I want to raise before this House is regarding the voting right of Non-Resident Indians. The NRIs is a big community of our country. When we move a Bill for mandatory voting, we cannot ignore them. In my State of Kerala, the deposits from the NRI community is more than Rs.1 lakh crore per year. They are the backbone of Kerala economy. Likewise, it goes for Gujarat. It is true in terms of the most of the States. NRI community interests have to be protected. What is their civil right? Right to voting is their civil right. I fully agree that we have passed a law in this regard in the 16th Lok Sabha. But, unfortunately, that has not been carried so far. I also moved an amendment to have proxy voting at the time of consideration of the Bill. But, unfortunately, that has been rejected. I urge upon the Government to kindly consider to provide a *pakka* voting right to all the NRIs.

Sir, they are building the Indian economy. They are backing the Indian economy. They are strengthening the Indian economy. They are outside the country but they still love India. They want to be the citizens of India and that is why they still love India and are coming back to India. So, the NRIs should definitely be given the right to vote so that more electoral participation could be possible so far as Indian democratic system is concerned.

Therefore, Sir, I am not fully opposing the Bill. There are many good observations also in the Bill. At least, the Bill has given an opportunity to have a detailed threadbare discussion about the electoral process in the country. The penal provisions or even imprisonment in case they do not cast their vote will not hold good. A comprehensive legislation is required for this. I would suggest that let the Government think of having a comprehensive legislation on voting, on the entire electoral process and electoral reforms so that entire political democratic system of our country can be strengthened in a better way. That is the best way by which we can strengthen our democratic system.

I hope that the Government will think in such a direction. Since you are having the absolute political majority to have such a drastic change in the country, if you are able to abrogate Article 370, if you are able to divide the State of Jammu & Kashmir into two Union Territories, definitely this is a welcome step on the part of the entire political electorate in the country. We would like to have our system to be rectified beyond any corruption. The electoral process shall not be governed by money and muscle power. The poor, the down-trodden working-class representatives should get an opportunity to come to Parliament and to Assemblies. Money should never be the criterion for this. Nowadays, money is controlling the entire election scenario. That has to be rectified only through the electoral reforms. I urge upon the Government for drastic structural reforms.

With these words, I conclude. I once again appreciate the hon. Member for putting such an earnest effort to move this Bill for consideration. Thank you.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I shall be brief in my submission on the Compulsory Voting Bill, 2019. I appreciate the mind of the hon. Member. He wants to make democracy more representative. He wants that more people should participate in voting. For that, he has proposed both carrot and a big stick. He has proposed some punishments - which Mr. Premachandran mentioned - fine, two days' imprisonment, forfeiture of ration-card and forfeiture of ten days' salary for Government employees etc. He has also proposed some incentives like giving preference in jobs under the Central Government, giving preference in admission etc.

The hon. Member has formulated the Bill with an intention. His intention is that democracy becomes more meaningful. While appreciating that, I still have to oppose the Bill because in democracy, there cannot be any element of coercion. As Mr. Premachandran rightly said, I have a right to vote and I have a right also not to vote. You know that one of the recent amendments made in the electoral process is inclusion of NOTA – none of the above – votes. I may go to vote and I may not vote for any of the candidates listed. I think, it is a good addition to democracy. So, democracy should be absolutely free and without any coercion, without any compulsion.

What is the solution? Mr. Premachandran proposed some incentives. I would say no to them. The solution is that we have to lead a campaign to increase the awareness of the people. Not only the political parties, the Election Commission, the Central Government and the State Governments

should also campaign that people should come out and vote. In recent times, Election Commission has done a campaign to inspire people to vote, though it has not been so successful. In some States, polling is as high as 80 per cent and in some other States, polling falls below 50 per cent. It should be our intention that the maximum number of people vote.

While opposing the Bill, I appreciate the mindset of the hon. Member. I have to mention only two to three things about election. First, we have a majority Government at the Centre. We have seen earlier Governments falling in two or three years. I think that the term of Parliament should be fixed for five years so that there is no incentive for anybody to break a party, to encourage defections. The Tenth Schedule or the anti-defection law was a good step in this direction. I think, if you make the life of the Parliament fixed, then there will be some Government at the Centre because permutations and combinations do take place. We have seen how in Maharashtra, two parties went together to the poll and after the poll, the two parties separated. Those who were in the opposition have joined with one of the parties and now, they trying to form a Government there. That is possible. ...(*Interruptions*) Today or tomorrow, they will form the Government. It is a setback for the ruling party, but what to do? That is politics.

The other thing I want to mention is that electronic voting machines should be done away with. The opposition parties have repeatedly represented that electronic voting machine is capable of being hacked. That is why, the

advanced countries, like America and Germany, have gone back to the ballot process. I do not have faith in the electronic voting machines. They are capable of being manipulated, hacked, manoeuvred etc. So, I think we should bring a Bill in Parliament for scrapping the electronic voting machine system. Shri Premachandran, as his final point, mentioned that elections can become meaningful only when we can do away with money and muscle power. We have done away with muscle power to a great extent. Introduction of Central Industrial Security Forces during Assembly and Parliamentary elections has removed the fear of booth capturing and forcible voting to a great extent, though not to the fullest extent. But to a great extent, elections have improved. Stories of booth capturing and rigging are less and less today, which is very good for the country.

Shri Premachandran rightly pointed out that money power is a big problem in our elections. It seems to me some times that people from the middle class and poor class cannot contest elections at all. In some States, I hear, people are spending Rs. 10 crore or Rs. 20 crore and even up to Rs. 60 crore for winning a single Lok Sabha seat. In our State it does not happen. All the parties fight with less money, more or less within the Rs. 70 lakh limit prescribed for the Parliament elections.

When Shri Jaitley was the Finance Minister he proposed the system of electoral bonds. He brought it during the Budget, in the Finance Bill. Now, this electoral bond system has become a bone of contention. It is because, it

seems in the first tranche of electoral bonds that were sold, which was about Rs. 220 crore, 95 per cent of the money went to the ruling party. This system of electoral bonds is not transparent. You do not know who is giving the money. You only know that some money has been given by some person and it has been deposited in the account of a party in whose name the bond is taken. There have been many complaints. The Reserve Bank earlier objected to this system of electoral bonds. The Election Commission also objected to this system of electoral bonds. But the Government still went through it.

Four hon. Ministers are present here. I would urge the Government to please do away with these opaque and non-transparent electoral bonds. Common people do not participate in this. Today, I have seen a report which says that rich people love electoral bonds. More than 91 per cent donations were over Rs. 1 crore each. That means it is only the rich, the moneyed people, who want to curry favour with somebody, especially with the ruling party, are giving the money. That is why we have reached a point where we must realise that this electoral bond system is not working. It has set a bad precedent. It has continued to favour the ruling party.

With these words, I want to thank Shri Sigriwal for having brought this Bill. We should discuss the electoral process in our country in an impartial manner. It is good that the discussion has come up due to his Bill. I would again say that democracy is for a free society. People should be free to vote or

not to vote. They should be free to vote for any party or to vote for no party. That is their fundamental right and there should be no interference with that.

With this, I end my speech. Thank you.

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): सभापति महोदय, सदन में अनिवार्य मतदान के लिए जो प्राइवेट बिल आया है, उसके ऊपर आपने मुझे बोलने की इजाजत दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। वोट देना एक राष्ट्र धर्म के समान है। वोट राष्ट्र का एक कर्तव्य है। वोट देना अनिवार्य है और मतदान एक महादान है। इसके ऊपर अभी कई सांसदों ने विस्तार से कई बातें बताईं। मेरा तो यह मानना है कि जब तक मतदान शत-प्रतिशत नहीं होगा, अभी गुंडे-मवाली की बात चल रही थी, जम्मू-कश्मीर में 9 प्रतिशत मतदान होता है और वहां सांसद और विधायक चुनकर आ जाते हैं। यह कहाँ का न्याय है?

मतदान अनिवार्य है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और इस देश में मतदान सबसे बड़ी शक्ति है। कोई भी व्यक्ति पैसे उधार ले लेता है, उधार कोई दे देता है परंतु मत तो उसका मन होता है, तभी वह उसको देता है। मैं कहूंगा कि बड़ी खुशी की बात है कि वर्ष 2014 में सिद्ध पुरुष हमारे माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी आए, उसके बाद मतदान के प्रति आम जनता में जागरूकता पैदा हुई है। उसका परिणाम निकला कि गरीब, मजदूर, किसान का भी मतदान के प्रति रुझान बढ़ा है। परंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो इस देश में अपने आपको बुद्धिजीवी वर्ग मानते हैं, उनका हर दृष्टि से प्रभाव है परंतु वोट देने जाते समय उनको शर्मिन्दगी महसूस होती है। इसीलिए गुंडे, मवाली कई इस तरह के जन-प्रतिनिधि जीतकर आ जाते हैं। मेरा उस बुद्धिजीवी वर्ग से भी निवेदन है, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारे देश की संस्कृति जैसी किसी देश की संस्कृति नहीं है। आज से नहीं, बल्कि अनादिकाल से ही हमारी संस्कृति के बराबर कोई देश नहीं है। हमारे मां-बाप के प्रति, बड़ों के प्रति आदर भाव, छोटों के प्रति प्यार जैसी संस्कृति है, वह दुनिया में कहीं नहीं है। परंतु मैंने यह देखा है कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं, उनकी सब बुराइयां हमने ग्रहण कर ली हैं। उनकी अच्छाइयां हम ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। हिन्दुस्तान में हर व्यक्ति यह सोचता है कि मैं ही मेरे खानदान में अकलमंद पैदा हुआ हूँ। आने वाली सात पीढ़ी धूर्त पैदा होगी। इसलिए मुझे ही सम्पत्ति इकट्ठा करके जाना है।

जिस दिन मतदान होता है, जो बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े-लिखे हैं, जब तक उनका मत प्रतिशत नहीं बढ़ेगा, तब तक सही मायने में हमारा देश प्रजातंत्र कहलाने का हक नहीं रखेगा। मैं आज के दिन यही कहना चाहूंगा कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए और यह भी कहा जाता है कि 'भय बिन होत न प्रीति' इसलिए कोई न कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जैसे हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी चाह रहे हैं कि सभी मतदान अवश्य करें।

हालांकि चुनाव आयोग काफी कुछ कोशिश कर रहा है, परंतु चुनाव आयोग के कर्मचारी या अधिकारी भी तो आखिर इंसान हैं। मैंने देखा है कि चार दिन पहले वोटर लिस्ट में नाम है और ज्यों ही मतदान के दिन हम वोटर लिस्ट को देखते हैं तो पन्ने के पन्ने गायब मिलते हैं। उससे जो मतदान प्रतिशत है, वह काफी गिर जाता है। उसके ऊपर भी हमें पूरी पैनी नज़र रखनी चाहिए।

दूसरे, जो सज़ायाफ़ता व्यक्ति है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है तो ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए कि जो गुंडे हैं, उनको भी वोट से कैसे वंचित किया जाए? इसके लिए भी कोई न कोई चिंतन या मनन होना चाहिए। वोट का अधिकार सबको मिलना चाहिए परंतु जिन्होंने कई मर्डर किये हुए हैं, यह देखा गया है कि जेलों के अंदर रहते हुए भी जीतते हैं। इसलिए इसके ऊपर भी चिंतन और मनन होना चाहिए क्योंकि हमारा देश एक बहुत बड़ा प्रजातंत्र है।

आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गई। तब देश और दुनिया को पता लग गया कि मत का क्या महत्व होता है। इसलिए मत देना अनिवार्य है। इसके लिए जितना आप प्रोत्साहन दे सकें, उतना आप प्रोत्साहन दें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो मत नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कोई सजा का प्रावधान हो। परंतु जो मत दे रहे हैं, उनको तो प्रोत्साहन दे दें। उनको कुछ न कुछ इंसेंटिव दें। विधेयक में इस तरह का कुछ प्रावधान लाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मत प्रतिशत बढ़ सके।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाइए ।

I am to inform the hon. Members that four hours have already been taken for this Bill thus almost exhausting the time allotted for its consideration. As there are eight more Members to take part in the consideration of this Bill, the House has to extend time for further consideration of this Bill. If the House agrees, the time for consideration of this Bill may be extended by one hour.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बहस चल रही है, इसलिए समय बढ़ाना उचित रहेगा ।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, इसका समय एक घंटा बढ़ाया जाता है ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: अभी हम समय बढ़ाते हैं । बाद में हाउस जैसा कहेगा, वैसा कर लेंगे । अभी एक घंटा समय बढ़ाते हैं । आप बोलिए ।

श्री भागीरथ चौधरी : सभापति महोदय, जिसने गरीबी नहीं देखी है, उसको क्या पता है कि गरीबी क्या चीज होती है । हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, नरेन्द्र भाई मोदी जी ने, मैं इस पवित्र सदन में कहता हूं कि वह भाग्यशाली व्यक्ति होता है, जिसने ऐसी गरीबी देखी हुई है । वह चाहे मुझे रोटी नसीब हो, मुझे रोटी मिलनी चाहिए और उसको रोटी नसीब नहीं हो, इस तरह की गरीबी देखा हुआ व्यक्ति आगे पहुंचता है, तो वह महान होता है और उसके विचार भी महान होते हैं । नरेन्द्र भाई मोदी जी का सपना है कि आज इस देश में 130 करोड़ जनता है । लगभग यहां 90 करोड़ वोटर्स हैं । यहां ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत में मतदान हो, ताकि जो जनप्रतिनिधि चुन कर आएँ, वे आम जनता के विचारों से, उनकी भावनाओं से चुन कर आएँ । बागपत से माननीय सांसद, सतपाल सिंह

जी चुन कर आए हैं, वह कह रहे थे कि वोट देना कोई जरूरी नहीं है। जब नोटा का प्रावधान कर दिया तो वोट देने जाना जरूरी है। यह राष्ट्र धर्म है, जो वोट के प्रति उदासीनता रखता है, जो वोट देने ही नहीं जाता है, वह यह सोचता है कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, तो यह कैसे बनेगा? जिसमें इतनी जागृति नहीं है, वोट देने की फुर्सत नहीं है, वोट देने की उसकी इच्छा प्रबल नहीं है, वह चाहता है कि देश आगे बढ़े तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? हम सारी सुविधाएं चाह रहे हैं, हमें ये तभी मिलेंगी, जब आम जनों में वोट देने के प्रति उमंग, उत्साह हो। आज हमें खुशी है कि वर्ष 2014 में 282 सीटें आईं और अब की बार 303 सीटें आईं, यह युवा वर्ग की चेतना है। युवा वर्ग जगा है और उनमें वोट देने के प्रति प्रबल इच्छा है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें आई हैं।

सभापति महोदय, मेरा यह मानना है कि कुछ ऐसा होना चाहिए। कश्मीर में 9 प्रतिशत मतदान हुआ, लोग सांसद और विधायक बन गए, यह कहां का न्याय है? चुनाव आयोग को इसके ऊपर कोई न कोई फैसला लाना चाहिए। इसके ऊपर भी सदन में विचार होना चाहिए कि 9 प्रतिशत मतदान हो और वहां से जन प्रतिनिधि चुन कर चले जाएं।

अभी हमारे राजस्थान में नगरपालिका के चुनाव था। हमारे लोक सभा क्षेत्र में नसीराबाद आता है। वहां एक वार्ड में 18 वोट्स थे। मैं वहां गया और कहा कि सभी 18 वोट्स पड़ने चाहिए। एक वोट दुबई में था। मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए, दुबई वाला वोट आना चाहिए। आप उसको फोन करो। यदि इस देश के प्रति उसकी प्रबल भावना है, तो वह जरूर आएगा। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि वह दुबई से वोट देने आया। मुझे बताते हुए यह भी खुशी है कि वे सभी 18 वोट्स भारतीय जनता पार्टी को मिले। हमारा वहां का पार्षद जीता। मैं इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग को नमन करता हूं। जब शत-प्रशित बुद्धिजीवी वर्ग मतदान करने लग जाएगा, तो मैं शर्तिया कह रहा हूं कि चाहे इस सदन में हो, प्रदेश की विधान सभा में हो, सरपंच हो या वार्ड मेम्बर हो, जो जन प्रतिनिधि जीतेगा, वह अच्छा होगा। वह लुटेरा नहीं होगा। सभापति महोदय, इसके लिए कोई ऐसा प्रावधान

करें। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि किसी को पनिशमेंट दें, लेकिन कोई स्कीम लाई जाए। अभी मंत्री जी आ गये हैं। पहले राजा का बेटा राजा बनकर पेट से ही पैदा होता था, लेकिन अब तो मतपेटी से राजा पैदा होता है। इसलिए मत बहुत ही कीमती है। इसका कोई मूल्य नहीं है।

मेरा निवेदन है कि चाहे मतदान धीरे-धीरे करें, लेकिन यह अनिवार्य कैसे हो, इसके ऊपर हम सभी को चिन्तन और मनन करना चाहिए। जब शत-प्रतिशत मतदान होने लग जाएगा, तो मैं यह कह सकता हूँ कि यह देश एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी का यही सपना है कि शत-प्रतिशत मतदान हो।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): माननीय सभापति महोदय, the Compulsory Voting Bill, 2019, जिसे श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जी लेकर आए हैं, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

अभी बहुत ही विद्वान माननीय सदस्यों द्वारा बड़े विस्तार से विचार रखे गए, मैं समझता हूँ कि हर बात अनिवार्य है। कुछ लोगों ने इसके समर्थन में बोला और कुछ लोगों ने कहा कि इसे अनिवार्य करना जरूरी नहीं है। अनेक प्रकार की बातें हुईं। लेकिन, मैं अपनी बात इस बात से शुरू करना चाहता हूँ कि जब इतना महत्वपूर्ण बिल आया है, तो सर्वप्रथम मेरा यह मत है कि जो नोटा शुरू किया गया है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि नोटा केवल भ्रमित करने का एक साधन है। यह मेरी भावना है कि लोग मतदान स्थल तक जाते हैं और उनका वोट किसी के काम नहीं आता है। इससे लोग व्यंग्य में और अजीब प्रकार की शैली में बातें करते हैं कि हम वोट डालेंगे, तो नोटा का बटन दबाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि इससे जो मतदान करने वाले होते हैं, वे भी हतोत्साहित हो जाते हैं।

इस पर मैं कोई ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं केवल पाँच मिनट में अपनी बात पूरी कर लूँगा।

जब देश के नागरिक एक पक्ष में होकर एक साथ चलकर राष्ट्र के नाम पर मतदान करते हैं, तो देश में एक मजबूत सरकार बनती है। जब एक मजबूत सरकार बनती है, तो वह मतदान के कारण बनती है। जब मजबूत सरकार बनती है, तो एक ऐसा प्रधान मंत्री चुनती है कि जब वह इस संसद भवन में प्रवेश करता है, तो इस मन्दिर में मत्था टेककर प्रवेश करता है।

मैं यह मानता हूँ, मैं अपनी पार्टी का एक छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ। जब मैं विधान सभा का चुनाव लड़ता था, मुझे एक-एक वोट के वैल्यू की जानकारी है। जब मैं 2014 में यहाँ चुनकर आया, तो क्षेत्र की जनता ने राष्ट्र के नाम पर मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाने के नाम पर रिकॉर्ड वोटों से

मतदान करके मुझे यहाँ जिताकर भेजा। मैं समझता हूँ कि मतदान इतनी ताकत देता है कि उसके आधार पर कोई जनप्रतिनिधि जब यहाँ चुनकर आता है, तो अपनी जिम्मेवारी ज्यादा समझता है। वह ऐसा मानता है कि लोगों ने ताकत के साथ मतदान किया है। जब उस पार्टी का प्रधान मंत्री इस मन्दिर में अपना मत्था टेकता है, तो उससे भी व्यक्ति को एक सम्बल मिलता है कि मुझे ईमानदारी से काम करना है, सुचिता से काम करना है और निष्पक्ष होकर काम करना है।

देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के लिए देश के लोगों ने उसी ताकत के साथ मतदान किया। एक ऐसा प्रधान मंत्री चुना, जिसे अपने घर की चिन्ता नहीं है। लेकिन, उन्होंने देश के छह करोड़ बेघर लोगों के घर बनाने के लिए, जब सरकार चलती है, तो ऐसे छह करोड़ लोगों के घर बनने का काम होता है।

हमारी माताएँ और बहनें, जिनको जब शौचालय की आवश्यकता पड़ती थी, वे कष्ट में जीती थीं, तो किसी भी प्रधान मंत्री ने इसके लिए नहीं सोचा। अगर देश के बारह करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने सोच-समझकर राष्ट्र के नाम पर मतदान किया, निष्पक्षता से मतदान किया, जिसके कारण एक मजबूत सरकार बनी, यह उसके कारण हुआ है।

वर्तमान में अनेक विषय हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूँ। हो सकता है कि हमारे साथी कहें कि ये योजनाएँ बताने लगे। मैं अनिवार्य मतदान इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी-अपनी आवश्यकताएँ हैं, अपना मन है, अपना भाव है, अपनी पीड़ा और राष्ट्र के प्रति अपना-अपना चिन्तन है। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं राष्ट्र को ऐसा देखना चाहता हूँ। कुछ लोग अपने राष्ट्र को दुनिया का सिरमौर देखना चाहते हैं। जब धारा 370 खत्म हुई, तो इस मतदान के कारण ही खत्म हुई। जब धारा 370 को समाप्त किया जाता है, तो दुनिया में जितने भारतीय रहते हैं, उनको लगता है कि हमारे यहाँ जो चूक हुई है, उसको ठीक करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है, तो इस सरकार ने किया है। वर्ष 2014 के बाद वर्ष 2019 में भी देश के मतदाताओं ने

बड़ी ताकत के साथ यहाँ पर यह सरकार बनाकर भेजी, जिसके कारण देश में 370 जैसी धारा खत्म हुई है। अगर इतना मतदान लोग न करते, लोग पक्षपात करके मतदान करते तो ऐसा न होता। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि कुछ लोग जाति के आधार पर मतदान करते हैं और जाति के आधार पर पक्षपातपूर्ण काम करने वाले लोगों के दबाव में, उनके प्रलोभन में, जो मतदान करते हैं, उन पर भी कोई न कोई अंकुश लगाने की आवश्यकता है। देश के बहुत से सुदूरवर्ती ऐसे इलाके हैं, जहाँ हमारे निर्धन भाई-बंधु रहते हैं। हो सकता है कि कुछ आवश्यकताओं के कारण कभी उनका मन बदल जाता हो, यह तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि जो जनप्रतिनिधि केवल मतदान के समय देश के मतदाताओं को प्रभावित करने का काम करते हैं, वह इस पवित्र संसद में आने के हकदार नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की किसी भी विधान सभा में जाने के वे हकदार नहीं हैं।

महोदय, आज सीग्रीवाल जी यह बिल लेकर आए हैं कि मतदान आवश्यक होना चाहिए। हमारे पूर्व के वक्ताओं में हमारे श्री सत्यपाल जी बोल रहे थे कि कुछ गुंडे-माफिया होते हैं, जिनके दबाव में भी मतदान होता है। माफियाओं द्वारा भी कई बार मतदान को प्रभावित करने का काम किया जाता है। मैं इस बात के लिए निर्वाचन आयोग का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि विगत काफी समय से, जब से मतदाताओं की फोटो लगने लगी और आधार कार्ड से उसका लिंकेज हो गया, फर्जी वोटिंग और माफियाओं द्वारा जो बूथ कैप्चरिंग की जाती थी, उस पर रोक लगी है और निष्पक्ष मतदान हो रहा है। इसी निष्पक्ष मतदान की बदौलत आज देश में अच्छा काम हो रहा है, अच्छी सरकारें आ रही हैं और ठीक प्रकार से सरकारें काम कर रही हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से एक और सुझाव है कि देश में जब भी कुछ लोग भेदभाव और जातीयता के आधार पर काम करते हैं और भोले-भाले मतदाता उनकी बातों में आकर उनको चुनकर उन्हें जनप्रतिनिधि बना देते हैं और उनकी सरकार आ जाती है, तब ऐसे लोग भेदभाव को बढ़ावा देने का काम करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में

पूर्व में कुछ ऐसे राजनीतिक दल रहे, जिन्होंने जातीयता के बीज बोकर भेदभाव पैदा करके अपनी सरकार बनाने का काम किया और लोगों का मतदान से विश्वास उठ गया। उन्होंने गुंडों, माफियाओं को बढ़ावा दिया और अनेक प्रकार के जो गलत काम होते थे, उनको करने वाले लोगों को बढ़ावा मिला। बूथों पर निष्पक्षता से मतदान नहीं हो पाया, जिसके कारण विपरीत परिणाम आते रहे। जब से निष्पक्ष मतदान शुरू हुआ है, देश में एक अलग तरह से काम हो रहा है। अभी कुछ समय पहले कुंभ मेला हुआ। मैं इस मतदान को कुंभ से भी जोड़ने की बात करता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जब कुंभ हुआ और जब देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी वहाँ पहुँचे तो उस कुंभ में जितने स्वच्छता कर्मी थे, उनको देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई कि इतना साफ-सुथरा स्वच्छ कुंभ हुआ है। इसके लिए प्रधान मंत्री जी ने उन सफाई कर्मी भाई-बहनों के पैर धोने का काम किया। मेरे संसदीय क्षेत्र के कुछ सफाई कर्मियों के माननीय प्रधान मंत्री जी ने पैर धोए। मैं बताना चाहता हूँ कि पिछली बार जब वहाँ पर उप चुनाव हुए, तो चुनाव के बाद गांव के लोगों, जिनमें जातीयता की बात होती थी, उन्होंने स्वप्रेरणा से एकत्र होकर गांव-गांव जाकर मीटिंग की कि जिसको चाहे उसको वोट करना, लेकिन आप लोग कुंभ से गंगाजल लेकर आए थे, उसे लेकर कम से कम यह शपथ अवश्य लीजिए कि हम कभी जातियों के बीच अंतर नहीं महसूस करेंगे। हम अगर मतदान करेंगे तो निष्पक्षता के आधार पर करेंगे।

महोदय, इस कारण से आस-पास के दो-तीन सौ गांवों में जातीयता के कारण से जो दीवार थी, उसको पाटने का काम हुआ। मैं समझता हूँ कि मतदान के माध्यम से ही देश को सही दिशा मिल सकती है। जनप्रतिनिधियों के बारे में अनेक प्रकार की बातें होती हैं। कुछ प्रशंसक होते हैं, कुछ आलोचक होते हैं। अलग-अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं। अलग-अलग प्रकार की बातें करते हैं और यह प्रजातंत्र की खूबसूरती भी है, लेकिन जनता सब-कुछ जानती है। देश का एक-एक मतदाता एक-एक चीज जानता है कि कौन प्रतिनिधि कैसे काम करेगा, कौन सी सरकार कैसे काम करेगी, कौन सा मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री कैसे काम करेगा? उसी का परिणाम होता है कि जब भी कोई सरकार अच्छा काम करती है तो देश का मतदाता उत्साह के साथ मतदान करना

चाहता है। जो भी कम उम्र के मतदाता हैं, वे जब पहली बार मतदान करते हैं तो उनमें बड़ा उत्साह होता है कि हमें मतदान के लिए जाना है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी हम लोगों को वर्ष 2019 के इलेक्शन में कुछ नौजवान लड़के मिले, जो पहली बार मतदान कर रहे थे। वहां एक ने मुझ से बोला कि मैं अपना एग्जाम छोड़कर आया हूं। हम लोग भले ही जनप्रतिनिधि के तौर पर जिम्मेवारी को समझते हैं कि कैरियर का सवाल है, आप अगली बार भी मतदान कर सकते थे, लेकिन उसने बोला कि सांसद जी कम से कम आप यह बात मत बोलिए। आपको बोलने का अधिकार नहीं है। हमारी परीक्षा है और उसके लिए हम दोबारा रिव्रैस्ट कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन पांच साल में एक बार यह पर्व आता है और हम मतदान जरूर करेंगे, क्योंकि हमें पहली बार मौका मिला है। जब देश की युवा पीढ़ी इतने भाव से चुनावों को ले रही है तो मैं समझता हूं कि मतदान निश्चित रूप से अनिवार्य होना चाहिए। हमारे यहां लोगों को जो अपेक्षाएं हैं और जब ताकत के साथ लोग निकलते हैं, एकजुट होकर के, गांव में जो छोटे-छोटे पोलिंग स्टेशंस होते हैं, उन पर आठ-दस गांव, पूरवे और मजरे के लोग जब मतदान करने जाते हैं, उनमें कई लोग बुजुर्ग और वयोवृद्ध होते हैं, उनको हमारे नौजवान लोग बेलगाड़ी, ट्रैक्टर, बाइक वगैरह से या अपने संसाधनों से और अपने खर्च पर ले जाते हैं तो वे यह सिद्ध करते हैं कि हम देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। इस मतदान में जिस प्रकार का ओपिनियन आया है और उससे फिर देश में सरकार बनी है। जब हमारी युवा पीढ़ी इतने भाव के साथ काम कर रही है, मैं समझता हूं कि मतदान को अनिवार्य करने से कई चीजें बहुत अच्छी होंगी।

सभापति महोदय, आप वरिष्ठ हैं और लम्बे समय से संसद में हैं। आप भी इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि कई गांवों में जब हम लोग जाते हैं और जब पार्टी लाइन की बात होती है और दूसरे पक्ष के लोग होते हैं, वे बात करते हैं कि हमारे यहां यह कठिनाई है या वह कठिनाई है तो गांव के लोग ही उनको टोक देते हैं कि तुम तो मत बोलो कम से कम, तुम तो मतदान भी नहीं करते हो और मतदान के दिन यहां आते भी नहीं हो। आज अगर आपको प्रतिनिधि यहां मिल गए हैं तो आपको तो उनको बोलने का अधिकार नहीं है। आज गांवों में यह भी जागरूकता है और लोग

इस बात को बोलते हैं। आज सरकार की किसी भी नीति के लिए कोई व्यक्ति मानता है तो बोलता है कि हमने मतदान किया है और हमने अच्छा काम किया है। हमने सरकार चुनी है और सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, उनका लाभ आज धीरे-धीरे हर प्रकार से नीचे तक पहुंच रहा है।

महोदय, अनिवार्य मतदान की बात आज हो रही है। मैंने कहा है कि नोटा को समाप्त किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है, बाकी आगे सोचा जाएगा। हमारी सेना और अर्द्धसैनिक बल के लोग हैं, हमारे अप्रवासी भारतीय हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ रहे हैं, उन सभी के मतदान का सरकार प्रबंध करती है, इसको भी बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जिम्मेदार नागरिक और अपनी ड्यूटी के पाबंद लोगों का भी मन करता है कि वह मतदान करें। फौज और इलेक्शन ड्यूटी के लोग तो मतदान करते हैं। लेकिन कुछ लोग अस्पतालों में एडमिट होते हैं। बहुत से सीनियर लोग होते हैं, उनका मन होता है। मतदान के समय किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिट होते हैं तो उनको बड़ी चिंता होती है। लोग फोन करते हैं और बोलते हैं। कई बार लोग मतदान नहीं कर पाते हैं तो उम्मीदवारों को फोन करते हैं कि हम मतदान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और हम आपकी विचारधारा के साथ हैं। उनको भी कुछ ऐसा अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज में अगर हमारे वयोवृद्ध लोग बीमार हैं या उनकी देखरेख करने वाले तीमारदार लोग हैं, उनको भी मतदान करने का अवसर मिल सके। हमारे श्रमिक लोग हैं, जिनको घर के भरण-पोषण के लिए बाहर काम करना पड़ता है। बहुत से विद्यार्थी बाहर हैं। हमारे बहुत से ड्राइवर्स हैं और जब मतदान होता है तो हमारे यहां यातायात और आवागमन के साधन में लगे होते हैं। इनकी संख्या छोटी नहीं है, मेरा मानना है कि 50 लाख से अधिक की इनकी आबादी है। जब मतदान होता है तो उससे कई बार वे वंचित रह जाते हैं। हमारे गार्ड्स हैं, जो बैंक या एटीएम में लगे हुए हैं। वे ड्यूटी नहीं छोड़ सकते हैं, उनको भी मतदान का अवसर मिलना चाहिए। बहुत से होटल और रेस्टोरेंट्स में जो कुक और वेटर्स होते हैं, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। इन बातों को गम्भीरता से लेकर कुछ इस प्रकार का प्रयोजन करना चाहिए ताकि जो लोग मतदान करना चाहते हैं, अभी मेरे से पूर्व के वक्ता बता रहे थे कि दुबई से आकर भी लोगों

ने वोट दिए हैं। जो लोग स्वप्रेरणा से अपने खर्च पर मतदान करने आते हैं, निश्चित रूप से वे लोग धन्य हैं और देश के ऐसे एक-एक नागरिक को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे लोगों को कुछ न कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए। गांव में ब्लॉकवाइज एक सूची होनी चाहिए कि जिस गांव के लोगों ने सर्वाधिक प्रतिशत में मतदान किया है, उस गांव में कोई भी योजना पहले आएगी। यह सरकार “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” वाली सरकार है, किसी से कोई भेदभाव होने वाला नहीं है। लेकिन कोई भी चीज अगर कहीं पहुंचनी है तो कम से कम एक कम्पीटिशन की भावना पैदा हो कि इस गांव ने 80 परसेंट मतदान किया था और उस गांव ने 60 परसेंट मतदान किया था। 80 परसेंट मतदान करने वाला इस सुविधा से पहले संतुष्ट हो गया और 60 परसेंट वाले का नाम बाद में आएगा तो मैं समझता हूँ कि जब कम्पीटिशन का भाव पैदा होगा तो लोग इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जैसे आज हमारे विद्यार्थी, आप देखते हैं कि इतना कंपटीशन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 99 परसेंट मार्क्स लेने के बाद, बहुत प्रतिभाशाली और मेधावी छात्र, जिनका किसी भी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन वे बड़े प्रतिभाशाली लोग होते हैं। मैं समझता हूँ कि मतदान के लिए यह एक-एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है।

सभापति महोदय, समय कम है और अभी अनेकों वक्ता बोलने वाले हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। इस विषय पर बोलने के लिए हमारे पूर्व के सभी विद्वान वक्ताओं ने अपने पूरे विषय रखे हैं, मैं यही बात कह कर अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि जब मतदाता स्वप्रेरणा से जा कर मतदान करता है और बहुत से लोगों की, जनप्रतिनिधियों की सेवाएं भी नहीं होती हैं, वह उनको जानता भी नहीं है, जब लोक सभा में बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं, रिमोट एरिया के रहने वाले लोग होते हैं, उनके पास कई जगह सुविधाएं नहीं होती थीं, अब तो टेलिविजन पहुंच गया है, लोगों को जानते हैं, पहले का जमाना ऐसा होता था कि लोग गांवों में संसद सदस्य को जान भी नहीं पाते थे।

महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि जितने भी लोग मतदान करते हैं उन मतदाताओं को कुछ सुविधा मिल सके और उनको प्रोत्साहन मिल सके। गांवों की सूची बने और ऐसे गांवों के लोगों को सम्मानित किया जाए। हर ब्लॉक में जो हाइएस्ट वोटिंग पर्सेंटेज वाले गांव हों।

17.46 hrs

(Hon. Speaker in the Chair)

अध्यक्ष महोदय, उन हाइएस्ट वोटिंग पर्सेंटेज वाले गांवों के लिए, सरकारों को कुछ न कुछ, चुनाव आयोग से लिस्ट ले कर, उनको एक न एक कुछ ऐसी सौगात जरूर देनी चाहिए, उनके यहां कोई एक ऐसा सेंटर, ऐसा कोई विद्यालय, ऐसा अस्पताल मिले, ताकि पूरे ब्लॉक को लगे कि अगर इतना मतदान हमने किया होता तो आज यह सुविधा हमारे गांव में होती। ये प्रेरणा सब लोग लेंगे तो अच्छा होगा। मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

धन्यवाद।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : पुष्पेन्द्र जी, आप इसको थोड़ा और इलैबरेट कर के लिख कर दे देना। आपका ही सुझाव अच्छा है। यह सजेशन पॉजिटिव साइड पर है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय वरिष्ठ एडवोकेट श्री पी.पी. चौधरी जी।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने जो कम्पलसरी वोटिंग बिल पेश किया है, उसको अगर नट शैल में देखा जाए तो खास कर तीन बातें उभर कर आती हैं। Firstly, this Bill requires every elector to vote compulsorily in elections with certain exceptions जैसे बीमार है या कोई अन्य कारण हो गया है। Secondly, it requires the Election Commission to ensure protection and safety of voters and to compile a list of eligible voters who have not cast their votes. Thirdly, the Bill also provides for penal provisions in case of not casting vote and incentives to

those, who cast their votes. अगर इसको देखा जाए तो इसमें मिक्स बात है। मैं कहना चाहूंगा कम्पलसरी वोटिंग भारत के संविधान के तहत हो नहीं सकती है। लेकिन इसमें जो सजेशंस आ रहे हैं, वे इलैक्शन कमीशन के लिए भी काम के साबित होंगे। इसमें इलैक्शन रिफॉर्म्स के लिए बहुत अहम मुद्दे सामने आए हैं और भी आगे आएंगे, इसमें और भी वक्ता बताएंगे। जब भारत का संविधान सन् 1950 में लागू हुआ तो एक लोकतंत्र के हिसाब से हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी का जो मतलब होता है, for the people, by the people and of the people कुल मिला कर यह है कि जो पीपल की विल है, वह अल्टीमेट है। अगर भारत के संविधान को पूरा का पूरा देखा जाए तो चाहे फंडामेंटल राइट्स हों, चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हों, तो जो Will of the people हैं, वो सुप्रीम है और विल ऑफ दी पीपल को हम कम्पलसरी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की कम्पलसरी वोटिंग के लिए कई तरह के चैलेंज सामने आ सकते हैं। जब भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ और हमारा पूरा का पूरा सिस्टम लोकतंत्र का सिस्टम है, उसमें कहीं भी यह बात नहीं है कि राइट टू वोट जो है, वह संवैधानिक अधिकार है। राइट टू वोट, जो भारत के संविधान के तहत और हमारे इलैक्शन एक्ट के तहत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत जो राइट टू वोट है, वह स्टेट्यूटरी राइट है। लेकिन अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट के साथ-साथ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी ड्यूटी बनती है कि एक देश का लोकतंत्र कैसे मज़बूत हो। इस वजह से हर वोटर के लिए यह होना चाहिए कि कम से कम वह वोट डालने के लिए जाए, क्योंकि भारत के संविधान में रानी हो या मेहतरानी हो, सभी को वोट का अधिकार दिया गया है और इस वोट के अधिकार को उपयोग में लेना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : आपने क्या बोला, दोबारा रिपीट कीजिए।

श्री पी. पी. चौधरी : भारत के संविधान के तहत, लोकतंत्र के स्पिरिट और ऑब्जेक्टिव के तहत और हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत अगर पूरा देखा जाए तो चाहे रानी हो या मेहतरानी हो, सब को वोट का अधिकार है।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: चौधरी साहब, जब कॉन्स्टिट्यूट असेम्बली में डिबेट आई थी तो किसी ने कहा कि एक आदमी को यहां एक वोट का अधिकार मत दो। सब को बराबर मत दो। उसमें यह आया था कि जैसे कोई सेठ है, वह एक वोट दे तो उसका एक हजार गिना जाए। कोई सर की उपाधि वाला है। तब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का यह कहना था कि एक आदमी को एक ही वोट देने का अधिकार होगा। इक्वल वैल्यू होगी। 'चाहे रानी हो, चाहे मेहतरानी हो।' यह उनका क्वोट है।

श्री पी. पी. चौधरी : मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूँ। हमारे जो संविधान निर्माता हैं, बी आर अम्बेडकर साहब, उन्होंने इस बात को लेकर जब कॉन्स्टिट्यूट असेम्बली में इस बात पर बहस चली, क्योंकि भारत में एक अपरिपक्व डेमोक्रेसी है। वर्ष 1947 की बात है कि इस तरह का प्रावधान रखा जाए या नहीं रखा जाए। हमारे जो विजनरी थे, संविधान के निर्माता, उनके दिमाग में यह बात थी, क्योंकि वोट के राइट को हम एक ह्यूमन राइट कह सकते हैं। ह्यूमन राइट में हम यह नहीं कह सकते कि किसी का राइट ज्यादा हो और किसी का कम हो। आज वोट का जो राइट है, हम देखते हैं कि जिस हिसाब से परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो है, आज की तारीख में हम देखते हैं कि इलैक्शन कमीशन चाहे विज्ञापन के जरिये, चाहे अवेयरनेस के जरिये, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, 25 जनवरी को पूरा का पूरा अवेयरनेस कार्यक्रम करता है। उसकी वजह से निश्चित रूप से वोटिंग परसेंटेज जो इंक्रीज हुई है, उसमें फर्क पड़ा है। इसके साथ-साथ मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हम देखते हैं कि जो पोलिंग परसेंटेज होती है, चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे लोएस्ट लेवल पर ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव हो, वहां पर बॉटम लेवल की जो परसेंटेज है, वह ज्यादा होती है। जो लोक सभा का परसेंटेज है, अगर हम देखें कि चाहे पंचायत लेवल पर हो, चाहे म्यूनिसिपल लेवल पर हो, परसेंटेज ज्यादा होगी। स्टेट लेवल पर उससे थोड़ी कम होगी, लेकिन लोक सभा के लेवल पर देखते हैं तो परसेंटेज कम आती है, क्योंकि इसमें जो पब्लिक रिप्रजेंटेटिव्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट जो है, उनका वोटर्स के लिए जो परसुएशन है, वह बहुत जबर्दस्त होता है। अब सवाल यह आता है कि इस परसुएशन की वजह से पोलिंग

परसेंटेज इनक्रीज होकर, हम कहीं देखते हैं, कहीं-कहीं अवेयरनेस इतना जबर्दस्त है कि 95 परसेंट पोलिंग होती है, कहीं किसी बूथ पर 99 परसेंट पोलिंग होती है। लेकिन कहीं किसी बूथ पर 30 परसेंट होती है। जो यह गैप है, हम उस गैप को कैसे भरें, क्योंकि इसमें इलैक्शन कमीशन का भी रोल होगा। हम इसमें रिफॉर्म किस तरह लेकर आएंगे, जिससे हमारी पोलिंग परसेंटेज इंक्रीज हो। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, हेल्दी लोकतंत्र के लिए पोलिंग परसेंटेज का इनक्रीज होना बहुत जरूरी है।

जिस हिसाब से हम देखते हैं कि वर्ष 1951 में जैसे एवरैज पोलिंग परसेंटेज 45 परसेंट थी, लेकिन वह बढ़ते-बढ़ते ज्यों-ज्यों अवेयरनेस आई, एजुकेशन बढ़ी, लिटरसी बढ़ी, वह परसेंटेज 67 परसेंट हुई। लेकिन अभी भी जो 67 परसेंट है, वह काफी नहीं है। और भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई वोटिंग नहीं करता है, रिफॉर्म में यह आना चाहिए कि उसका कारण हो? कोई इलनैस हो, कोई कारण हो, लेकिन कम्पलसरी वोटिंग हम नहीं कर सकते। इसके लिए हम इन्सेंटिव का प्रावधान कर सकते हैं। हम आधार में इस तरह की मार्किंग कर सकते हैं, जिस तरह कई डेवलपड कंट्रीज में होता है। उनके ड्राइविंग लाइसेंस में, अगर वह डिफॉल्ट करते हैं तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस में नेगेटिव मार्किंग होती है। हमने भी यह लॉ बना दिया है और कुछ स्टेज के बाद में उसकी नेगेटिव मार्किंग के आधार पर जैसे ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होता है, उसमें आधार के जो बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स या इन्सेंटिव, उसमें बहुत विचार किया जा सकता है कि इन्सेंटिव के बारे में क्या किया जा सकता है? इसमें इस तरह का रिफॉर्म आना जरूरी है। इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जब पोलिंग हो जाए तो इसमें कम्पलीट रिसर्च विंग होनी चाहिए। जब हम चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो तो उसमें एक रिसर्च विंग ऐसा हो, जिसमें यह पता लगाएं कि परसेंटेज की पोलिंग जो है, पर्टिक्युलर एरिया में पोलिंग परसेंटेज कम क्यों आई? इस तरह की एक रिसर्च विंग जिला लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर हो। उसके आने के बाद उन लोगों से, जो ब्लॉक लेवल पर अधिकारी हैं, उनकी कमेटी बनाकर और इसी तरह से जिला के स्तर पर कमेटी बनाकर पोलिंग परसेंटेज कम होने के कारण आने चाहिए क्योंकि कई जगहों पर हम

देखते हैं कि जो ढाणियां हैं, वे दूर-दूर पर हैं, कहीं-कहीं कंसेन्ट्रेशन ज्यादा है तो वहां आपको आधा किलोमीटर, एक किलोमीटर की दूरी पर पोलिंग बूथ मिल जाएगा, लेकिन जहां सात-आठ किलोमीटर की दूरी पर ढाणियां हैं, वहां आपको पोलिंग बूथ नहीं मिलता है। गांव में साधन नहीं हैं, रोड्स नहीं हैं। इसलिए सवाल यह है कि क्या वहां पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए कि पोलिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाई जाए? वहां लोग गुस्सा दिखाते हुए भी जाते हैं, वे गरीब होते हुए भी वोट देने जाते हैं।

हम देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में गांवों में गरीब जनता का योगदान जबर्दस्त है। हम देखते हैं कि यह अपने आपमें एक अनुकरणीय काम है। कई इलाकों में हम देखते हैं कि ढाणियों में लोग दूर-दूर पर बसे होते हैं और वहां जो पोलिंग बूथ हैं, उसका रेडियस 15-20 किलोमीटर होता है। इसके बावजूद भी वहां 95 प्रतिशत पोलिंग होती है। इसका कारण है कि वहां लोगों में एक उत्साह है। वे इसे एक त्यौहार की तरह मनाते हैं, लेकिन यह हर जगह नहीं है। जहां पर 90-95 प्रतिशत पोलिंग होती है, उसका उदाहरण लेकर चुनाव आयोग को पूरे देश में इसके लिए एक अवेयरनेस कैम्पेन चलाना चाहिए कि किस तरह से वहां पर कमजोर लोग होते हुए भी, समाज के अंतिम छोर पर लोग होते हुए भी वे भारत के लोकतंत्र के लिए वोटिंग कर रहे हैं और इसमें उनका सहयोग जबर्दस्त है। इस तरह से, ऐसे बूथ्स, जो ढाणियों से दो किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर हैं तो चुनाव आयोग द्वारा यह व्यवस्था होनी चाहिए कि पोलिंग बूथ्स कम से कम दो किलोमीटर की रेडियस में आ जाएं। गांव में लोगों के पास कोई साधन नहीं होता है, कोई व्हीकल नहीं होता है। वे पैदल चल कर दूर-दूर वोट देने जाते हैं। ऐसी जगहों को चिह्नित किया जाना चाहिए कि अर्बन और रूरल एरियाज के लिए एक ही पैरामीटर्स न हों कि एक बूथ इतनी आबादी पर हों। आबादी के साथ-साथ उनकी दूरी का भी डिटरमिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसे आबादी के हिसाब से कर दिया और अगर वही फॉर्मूला आप रूरल एरियाज में ले गए तो अर्बन का फॉर्मूला रूरल एरियाज पर लागू नहीं होना चाहिए। इसलिए आबादी के साथ-साथ उसकी दूरी

भी देखी जानी चाहिए। अगर बूथ नजदीक होगा तो लोकतंत्र में उनके वोट देने की जो मंशा है, वह और भी ज्यादा होगी।

हम देखते हैं कि माइग्रेशन भी होते हैं। जब हम विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में रोजगार के लिए लगातार माइग्रेशन होता रहता है। अगर पोलिंग होती है तो वे लोग अपने रोजगार छोड़ कर वहां नहीं आ सकते। वे प्राइवेट और अन-ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। सरकारी नौकरी में तो पोलिंग के लिए उन्हें भेज देते हैं, लेकिन जो असंगठित सेक्टर हैं, उनके लिए आज जबकि टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गयी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से पोलिंग बूथ्स पर आउटसाइड वोटर्स के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर सकते हैं कि वे वोटर्स उस पोलिंग बूथ पर अपना मत दे सकें। इस तरह की मैकेनिज्म को हम हर शहर में हर जगह कर सकते हैं क्योंकि वोटर्स की लिस्ट तो हम कहीं पर भी किसी का भी देख सकते हैं। फिर क्यों नहीं किसी शहर में हम पोलिंग बूथ बना दें कि उस शहर में दूसरे प्रदेशों के जो माइग्रेटेड लेबर्स हों या वे किसी तरह की बिजनेस में हों या चाहे कोई काम करते हों, मगर वे बाहर से हैं तो उनके लिए उसी शहर में एक स्पेसिफाइड बूथ हो। कम्प्यूटर में उसकी लिस्ट देखकर उन्हें उनके आधार कार्ड या वोटर कार्ड के आधार पर उन्हें वोटिंग की परमिशन दी जाए। अगर इस तरह का मैकेनिज्म किया जाता है तो मेरा मानना है कि पोलिंग परसेंटेज में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी।

जहां तक कम्पलसरी वोटिंग की बात है तो इस तरह की कम्पलसरी वोटिंग के लिए अगर मान लीजिए कि कोई लेजिटीमेट विजन है तो उसके बाद भी हम इसे नहीं कर सकते क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में साफ लिखा हुआ है - Freedom of Speech and Expression. जहां तक Freedom of Speech and Expression की बात है तो Freedom of Speech has freedom not to speak with respect to any political opinion. फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह भी माना जाना चाहिए कि अगर वह वोट देना न चाहे तो उसे हम इसके

लिए कम्पेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसे परसुएड कर सकते हैं। अगर कोई वोट देना न चाहे तो उसके कई कारण हो सकते हैं क्योंकि यह हो सकता है कि उस क्षेत्र में विकास न हो, कोई खास उम्मीदवार उसे पसन्द न हो, उस क्षेत्र का पूरा का पूरा गांव उसका बहिष्कार कर रहा हो। अगर हम कम्पलसरी वोटिंग कर देते हैं तो मेरा मानना है कि ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन के अनुच्छेद 2 का यह उल्लंघन होगा। यह किसी व्यक्ति का अधिकार है - to vote and not to vote.

18.00 hrs

इसलिए भारत के संविधान में इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया और इसे कंस्टीट्यूशनल ड्यूटी नहीं मानी गई। कंस्टीट्यूशनल ड्यूटी में यह बात जरूर है कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम उसको परसुएड कर सकते हैं कि वह वोट दें। उसको वोट देने के लिए कम्पलसरी करना अपने आप में एंटी डेमोक्रेटिक होगा।

माननीय अध्यक्ष: आपका भाषण अगली बार जारी रहेगा।

श्री पी. पी. चौधरी : अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 25 नवंबर, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.01 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on
Monday, November 25, 2019/ Agrahayana 4, 1941 (Saka)*
